

REPORT OF THE OVERSIGHT COMMITTEE, NGT, U.P, LUCKNOW**IN THE MATTER OF:-****ORIGINAL APPLICATION NO. 394/2022****IN RE: PUSHPENDRA KUMAR****VERSUS****BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KADAURA & ORS.****INDEX**

Sl. No.	Particulars
1.	REPORT OF OVERSIGHT COMMITTEE
2.	Annexure – 1 (Meeting dates 06.09.2023)
3.	Annexure – 2(List of 410 Gaushalas)
4.	Annexure – 3 (Blockwise List regarding Napier Grass, Barseem & Green Fodder)
5.	Annexure – 4 (Detailed List regarding Napier Grass, Barseem & Green Fodder)
6.	Annexure – 5 (Inspection report of Dhaguakalan Gaushala)
7.	Annexure –6 (Matra Gaushala)
8.	Annexure – 7 (Mawai Brahman Gaushala)
9.	Annexure – 8 (Garrehi Gaushala)
10.	Annexure –9 (Udanpur Gaushala)
11.	Annexure – 10 (Kushmara Bawni Gaushala)
12.	Annexure – 11 (Baagi Gaushala)
13.	Annexure – 12 (Khutmili Gaushala)
14.	Annexure – 13 (Kanha Gaushala, Kadaura)
15.	Annexure – 14 (Nagar Palika Parishad, Kalpi)
16.	Annexure – 15 (Jeetamau Gaushala)

17.	Annexure – 16 (Maddeya Gaushala)
18.	Annexure – 17 (Malthua Gaushala)
19.	Annexure – 18 (Khadgui Gaushala)
20.	Annexure – 19 (Nyamatpur Gaushala)
21.	Annexure – 20 (Urkarakalan Gaushala)
22.	Annexure – 21 (Mae Gaushala)
23.	Annexure – 22 (Jaaigha Gaushala)
24.	Annexure – 23 (Hamirpura Gaushala)
25.	Annexure – 24 (Eton Gaushala)
26.	Annexure – 25 (Madaripur Gaushala)
27.	Annexure – 26 (Bastepur Gaushala)
28.	Annexure – 27 (Ramhetpura Gaushala)
29.	Annexure – 28 (Chitaura Gaushala)
30.	Annexure – 29 (Kursenda Gaushala)
31.	Annexure – 30 (Padkula Gaushala)
32.	Annexure – 31 (Sarawan Gaushala)
33.	Annexure – 32 (Nagar Panchayat, Madhogarh)
34.	Annexure – 33 (Chhiriya Salempur Gaushala)
35.	Annexure – 34 (Bhitara Gaushala)
36.	Annexure – 35 (Kanha Gaushala, Jalaun)
37.	Annexure – 36 (Kanasi Gaushala)
38.	Annexure – 37 (Akniwa Gaushala)
39.	Annexure – 38 (Lohai Gaushala)
40.	Annexure – 39 (Ghilor Gaushala)
41.	Annexure – 40 (Kanha Gaushala, Konch)

42.	Annexure – 41 (Sunaya Gaushala)
43.	Annexure – 42 (Nari Gaushala)
44.	Annexure – 43 (Jamrohi Kalan Gaushala)
45.	Annexure – 44 (Kaushalpur Gaushala)
46.	Annexure – 45 (Pindari Gaushala)
47.	Annexure – 46 (Bhuwa Gaushala)
48.	Annexure – 47 (Kanji House, Ait)
49.	Annexure – 48 (GO Dated 02.01.2019)
50.	Annexure – 49 (GO Dated 28.01.2019)
51.	Annexure – 50 (GO Dated 08.08.2019)
52.	Annexure – 51 (GO Dated 12.09.2020)
53.	Annexure – 52 (GO Dated 04.05.2022)
54.	Annexure – 53 (GO Dated 20.05.2022)
55.	Annexure – 54 (GO Dated 18.04.2023)
56.	Annexure – 55 (GO Dated 01.06.2023)
57.	Annexure – 56 (GO Dated 03.07.2022)
58.	Annexure – 57 (GO Dated 03.08.2022)
59.	Annexure – 58 (GO Dated 14.10.2022)
60.	Annexure – 59 (GO Dated 04.01.2023)
61.	Annexure – 60 (GO Dated 18.01.2023)
62.	Annexure – 61 (GO Dated 18.04.2023)
63.	Annexure – 62 (GO Dated 11.07.2023)
64.	Annexure – 63 (GO Dated 17.07.2023)

REPORT OF THE OVERSIGHT COMMITTEE IN COMPLIANCE WITH THE DIRECTIONS OF HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL (NGT) IN O.A. NO. 394 OF 2022 IN RE: PUSHPENDRA KUMAR VERSUS BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KADAURA AND OTHERS VIDE ORDER DATED 20.07.2023

1. The matter under consideration in the aforesaid OA is the non-compliance of the Guidelines issued by the CPCB as revised in July, 2021 and the Manual of Management of Gaushalas issued by the ICAR, New Delhi in December, 2016 for the Management of Gaushalas and Dairy Farms, in the Gaushalas of district Jalaun. The Hon'ble NGT passed the following order in the aforesaid OA on 20.07.2023 and directed the Oversight Committee as under:

“.....Accordingly, the Committee headed by (presently Justice SVS Rathore), Oversight Committee, Lucknow is authorized and directed to examine and monitor the compliance of the order in coordination with the PCB and department concerned and to submit the report independently within three months. Committee to continue till further order.”

2. In pursuance of the aforesaid order, the Oversight Committee considered it appropriate to seek factual report from the Additional Chief Secretary, Animal Husbandry Department, UP Government; UP Pollution Control Board and District Magistrate, Jalaun on the allegations made in the OA and to physically inspect the Gaushalas in district Jalaun for assessing their management from an environmental perspective by randomly selecting about 10% of them to assess the ground reality. For this purpose, the Committee visited Jalaun district three times. On its first visit on 06.09.2023, the Committee first had a meeting with the concerned administrative officers, responsible for the supervision and proper management of Gaushalas in the district. As the District Magistrate was on

1039

long leave, the Chief Development Officer (CDO) coordinated the entire exercise. In the said meeting, he informed that in total, there are 574 Village Panchayats in district Jalaun and 410 Temporary & Permanent Govansh Ashray Sthals (hereinafter called the Gaushalas) of different kinds housing 34909 bovines, whose details are given below **(Annexures-1 and 2)**:

S. No.	Types of Gaushalas	No. of Gaushalas	Number of bovines
1	Temporary	377	30818
2	Permanent	8	1827
3	Kanha	7	1946
4	Kanji House	18	318
	Total	410	34909

- (i) In all the Gaushalas, in total 5227 plants have been planted.
- (ii) In 383 Gaushalas, Napier grass is grown on an area of 88.428 hectares and on an area of 98.563 hectares Barseem and other green fodder have been sown **(Annexures-3 and 4)**.
- (iii) In all the Gaushalas, inside and outside the sheds, there is Kharanja and sufficient unpaved space available for bovines to roam around.
- (iv) In all the Gaushalas, sufficient numbers of caretakers have been engaged; they clean the Gaushalas three times a day i.e. in the morning, noon and evening.
- (v) In Gaushalas, pits have been dug for the collection, composting and disposal of cow dung. Instructions have been issued to all the Block Development Officers (BDOs) for the construction of urine pits and the work has also started at some places.

1040

- (vi) In none of the Gaushalas, cow dung, urine and waste fodder, or any type of bovine waste is discharged in any river or drain; hence there is no possibility of pollution of river water. Also, none of these is being discharged in any drain or sewer; hence there is no possibility of any drain or sewer getting choked or causing water pollution.
- (vii) 82 nodal officers from different departments of the Government inspect all the Gaushalas of the district twice every month on a regular basis. They also record their observations in the inspection register kept at the Gaushala for ensuring compliance of the statutory and Government directions and guide them to undertake this important work in a better way.
- (viii) It was informed that during the Financial Year 2022-23, the Government provided a grant of Rs. 107.50 crore for the construction of shelters and Rs. 12.77 crore for fodder. The Village Panchayats contributed Rs. 37.65 lakhs for infrastructure and Rs. 5.03 crores for the salary of the Gopalaks. Besides, the Animal Husbandry department at the district level provides full medical support including medicines, vaccines, etc. to these Gaushalas on priority.
- (ix) The awareness campaign for the preservation and maintenance of the bovines in an environmental friendly way is being carried out through Chaupals being held in all 574 Village Panchayats every Friday. In 03 Gaushalas, namely, Chamari, Muhana and Kanha Gaushala Jalaun, biogas plants have been established.
- (x) Till last financial year, the ear-tagging of 100% bovines was done. However, as per the present instructions of the Government, all the stray bovines are to be brought into the Gaushalas. The ear-tagging work is going on.

1041

- (xi) All 07 Kanha Gaushalas have applied for NOC from the UPPCB, out of which 06 Kanha Gaushalas have been granted NOC and the remaining one is in process.

Thus, in the meeting, a highly satisfactory status of the management of Gaushalas was presented before us.

After this meeting, a field inspection was undertaken but because of heavy rains, only one Gaushala could be inspected. Thereafter the second visit was made on 19.09.2023 in which 04 Gaushalas were inspected. Lastly, the Committee made inspections continuously for three days i.e. on 24th, 25th and 26th September, 2023 in two teams-one headed by the Chairman (Justice SVS Rathore) and the other headed by the Member (Anant Kumar Singh). The Committee tried to cover some of the Gaushalas of each Block of district Jalaun.

3. In total, there are 09 Blocks in the district. Each Block has different types of Gaushalas. Following table will show the Blocks, the number of different types of Gaushalas established there and inspected by the Committee:

S.No.	Name of Blocks	Total no./type of Gaushalas	No./type of Visited Gaushalas (Inspection Report shown as Annexures)
1.	Kaduara	Permanent- 02 Temporary- 45 Kanha Gaushala- 01 Kanji House- 05	<u>Temporary- 07</u> Matra (Annexure-6) Mawai Brahman (Annexure-7) Garrehi (Annexure-8) Udanpur (Annexure-9) Kushmara Bawni (Annexure-10) Baagi (Annexure-11)

1042

			<p>Khutmili (Annexure-12)</p> <p><u>Kanha Gaushala- 01</u></p> <p>Kanha Gaushala, Kadaura (Annexure-13)</p>
2.	Rampura	<p>Permanent- 01</p> <p>Temporary- 19</p> <p>Kanha Gaushala- 02</p>	<p><u>Temporary- 03</u></p> <p>Mae (Annexure-21)</p> <p>Jaaigha (Annexure-22)</p> <p>Hamirpura (Annexure-23)</p>
3.	Kuthaund	<p>Temporary- 33</p> <p>Kanji House- 02</p>	<p><u>Temporary- 03</u></p> <p>Eton (Annexure-24)</p> <p>Madaripur (Annexure-25)</p> <p>Bastepur (Annexure-26)</p>
4.	Nadigaon	<p>Permanent- 02</p> <p>Temporary- 48</p> <p>Kanha Gaushala- 01</p> <p>Kanji House- 02</p>	<p><u>Temporary- 04</u></p> <p>Kanasi (Annexure-36)</p> <p>Akniwa (Annexure-37)</p> <p>Lohai (Annexure-38)</p> <p>Ghilor (Annexure-39)</p>
5.	Dakor	<p>Permanent- 02</p> <p>Temporary- 63</p> <p>Kanha Gaushala- 01</p> <p>Kanji House- 03</p>	<p><u>Temporary- 02</u></p> <p>Dhaguakalan (Annexure-5)</p> <p>Bhuwa (Annexure-46)</p> <p><u>Kanji House- 01</u></p> <p>Kanji House, Ait (Annexure-47)</p>
6.	Maheva	<p>Temporary- 51</p> <p>Kanji House- 01</p>	<p><u>Temporary- 07</u></p> <p>Nagar Palika Parishad, Kalpi (Annexure-14)</p>

			Jeetamau (Annexure-15) Maddeya (Annexure-16) Malthua (Annexure-17) Khadgui (Annexure-18) Nyamatpur (Annexure-19) Urkarakalan (Annexure-20)
7.	Madhogarh	Temporary- 20 Kanji House- 02	<u>Temporary- 06</u> Ramhetpura (Annexure-27) Chitaura (Annexure-28) Kursenda (Annexure-29) Padkula (Annexure-30) Sarawan (Annexure-31) Nagar Panchayat, Madhogarh (Annexure-32)
8.	Jalaun	Permanent- 01 Temporary- 38 Kanha Gaushala- 01 Kanji House- 01	<u>Temporary- 02</u> Chhiriya Salempur (Annexure-33) Bhitara (Annexure-34) <u>Kanha Gaushala- 01</u> Kanha Gaushala, Jalaun (Annexure-35)
9.	Konch	Temporary- 60 Kanha Gaushala- 01 Kanji House- 02	<u>Kanha Gaushala-01</u> Kanha Gaushala, Konch (Annexure-40) <u>Temporary- 05</u> Sunaya (Annexure-41)

			Nari (Annexure-42) Jamrohi Kalan (Annexure-43) Kaushalpur (Annexure-44) Pindari (Annexure-45)
	Total	Permanent- 08 Temporary- 377 Kanha Gaushala- 07 Kanji House- 18	Permanent- 00 Temporary- 39 Kanha Gaushala- 03 Kanji House- 01
	Grand Total	Total- 410	Total- 43

The Committee selected these 43 Gaushalas randomly taking care that Gaushalas, situated even in the remotest part of the district, are covered. Some of the selected Gaushalas (Baagi-Kadaura and Jamrohi Kalan-Konch) did not have an all-weather road to reach there. Separate Reports of each inspected Gaushala has been prepared along with photographs and relevant documents, which form part of this Report.

4. The Committee also inspected the meat market/shops of Orai town. At the time of inspection, all the meat shops were found closed whereas the other shops were open. On query, it was informed that it was neither a closure day of the market nor of the meat shops. It appeared that the shopkeepers got prior information about the proposed inspection; therefore, they put their shutters down. It was informed by the officers concerned that not even a single meat shop has been granted NOC/license from the State Food and Drug Administration or the Municipality as none of the meat shops conforms to the norms prescribed therefor. It was also

1045

informed by the officers that there is no slaughter-house in the district. It appears that the animals are being slaughtered in or around the shop itself, the traces of which could be noticed during the inspection even at the closed meat shops.

5. The Guidelines for Environmental Management of Dairy Farms and Gaushalas (CPCB Guidelines) and Manual on Management of Gaushalas (ICAR Manual) broadly provide that:

- a) Pucca floor with proper slope and drainage should be there for proper handling and scientific disposal of cow dung, urine and wastewater.
- b) Covered space (tin shed) should be there for the protection of bovines from heat, rain and cold.
- c) For every adult bovine, at least 3.5 sq m covered area and 7.0 sq m open area should be available.
- d) For feeding an adult bovine, a feeding manger (Charni) of 60–75 cm in length should be provided.
- e) A handling area (10m x 5m) with necessary arrangements should be there for providing health related services to the bovine.
- f) Ear tagging should be done of every bovine sheltered in the Gaushala by the concerned Veterinary Officer.
- g) In every Gaushala, the concerned authority is required to maintain proper records/registers in the prescribed format.
- h) Every Gaushala is required to maintain the health of bovines by providing appropriate nutrition, disease prevention, biosecurity as well as medical treatment to ensure the minimizing disease incidence.
- i) A standard vaccination and deworming protocol appropriate for the bovines to be scheduled in a manner to prevent them from the diseases,

i.e. Foot & Mouth Diseases (FMD); Hemorrhagic Septicemia (HS); Black Quarter (BQ), Anthrax, Brucella and Rabbits.

- j) No residential dwellings, health centers, hospitals and schools should be located at least within 100 meters of these Gaushalas. It should also not be located within 200 meters from a water-spread area and it should be away from the flood plain area of rivers and areas having shallow groundwater.
- k) Guidelines for Waste Management (Solid Waste, Wastewater and Air Quality) in Gaushalas should be followed strictly.

6. **Government Orders (G.O.) relating to Gaushalas:**

In the year 2019, the U.P. Government decided to be the caretaker of all the abandoned bovines roaming around the fields of farmers and damaging the standing crops. In order to achieve this goal, a decision was taken to bring the stray bovines to existing Permanent Gaushalas, establish new Temporary Gaushalas and convert Kanji Houses into Gaushalas. For proper management of these Gaushalas, the State Government issued GOs from time to time which are as follows:

- (i) Vide GO No. 4324/Saintees-2-2018-5(53)/2018 dated 02.01.2019 (**Annexure-48**), the UP State Government issued a self-contained policy direction for the establishment and operation of temporary Gaushalas in all rural and urban local bodies (i.e. Gram Panchayats, Blocks, District Panchayats, Nagar Panchayats, Nagar Palikas, Nagar Nigams). The GO, inter alia, provides for identifying of land, creation of infrastructure, rendering other services at the temporary Gaushalas; their economic self-sustainability, resource mobilization through convergence and five five-tier administrative mechanisms for

1047

monitoring the establishment, implementation and management of temporary Gaushalas.

- (ii) Vide GO No. 261/Saintees-2-2019-5(53)/18 dated 28.01.2019 **(Annexure-49)**, the Government had issued the directions for the bovines as establishing Temporary Gaushalas, demarcation of land and its transfer, demarked places to make shelters usable, provision of drinking water, electricity, fodder in temporary Gaushalas, security arrangements, housing and environment, medical facilities, labour arrangements. To make financially self-sustainable, financial assistance & restriction on abandoning stray bovines by the farmers. It has also provided for the formation of the State Level Monitoring, Evaluation and Review Committees. Some advisory guidelines were issued for the implementation of the policy.
- (iii) GO No. 3256/Saintees-2-2019-30(4)/2019 dated 08.08.2019 **(Annexure-50)** provided to ensure public participation in the implementation of welfare oriented Govansh Sahbhagita Yojna.
- (iv) Vide GO No. 62/2020/4938/Saintees-2-2020-30(4)/2019 dated 12.09.2020 **(Annexure-51)**, instructions were issued under the Sahbhagita Yojna to provide cows from various Gaushalas established and operating in the District to the eligible and willing families having mal-nourished children.
- (v) GO No. 674/Saintees-2-2022-5(53)/18 TC-2 dated 04.05.2022 **(Annexure-52)** was issued to collect Bhoosa through donation from people for maintenance of bovines preserved in Gaushalas. GOs dated 20.05.2022 **(Annexure-53)** and 18.04.2023 **(Annexure-54)** were reiterations of the above GO for expediting the collection and preservation of Bhoosa.

1048

- (vi) Vide GO No. 822/ Santees-2-2022-5(53)/2018 TC-1 dated 01.06.2023 **(Annexure-55)** provides for identification and procurement of land for establishing temporary Gaushalas and construction work to be done through convergence of MNREGA and other schemes.
- (vii) Vide GO No. 1347/33-3-2022 dated 03.07.2022 **(Annexure-56)**, instructions were issued to expedite expenditure of the fund available with different authorities for this purpose.
- (viii) GO No. 1854/33-2-2022-5913/2019 dated 03.08.2022 **(Annexure-57)** authorizes the District Magistrate to purchase Cattle Catchers/Multipurpose Vehicles or to hire the same as per requirement.
- (ix) GO No. 2078/Santees-2-2023-5(53)/2018 TC-7 dated 14.10.2022 **(Annexure-58)** relates to online data feeding of various activities relating to Gaushalas, development of Go-ashray portal, mobile app and transfer of funds through PFMS.
- (x) Vide GO No. 05/Santees-2-2023-5(53)/18-TC-2 dated 04.01.2023 **(Annexure-59)** and Vide GO No. 103/Santees-2-2023-5 (53)/18 TC-4 dated 18.01.2023 **(Annexure-60)** relate to the purchase of at least one cattle catcher at every tehsil by 31.01.2023 for 100% preservation of bovines at the temporary Gaushalas by 31.03.2023; to obtain a certificate from the District Magistrate about it and to transfer funds immediately to the parent Gram Panchayat through the pooling of State Finance Commission (SFC) fund so that a shortage of funds for the maintenance of bovines may not be felt.
- (xi) Vide GO No. 80 CM/Santees-2-2023-5(53)/2018 TC-6 dated 18.04.2023 **(Annexure-61)**, instructions were issued to ease the

financial management of temporary Gaushalas/participation scheme to release funds through Direct Benefit Transfer (DBT).

- (xii) Vide GO No. 1538/Santees-2-2023-5(53)/2018 TC-6 dated 11.07.2023 (**Annexure-62**), the State Government has issued detailed guidelines to expedite the process of transfer of funds through DBT.
- (xiii) GO No. 1706/Santees-2-2023-5(53)/2018 dated 17.07.2023 (**Annexure-63**) about the supervision of the micro-management plan of Gaushalas for the effective implementation of the guidelines issued for the preservation and maintenance of bovines. The District Magistrate has been made responsible for making the scheme effective through close and comprehensive monitoring from his level.

7. OBSERVATIONS OF THE OVERSIGHT COMMITTEE

During the inspection of 43 Gaushalas of all types i.e. Temporary/Permanent Govansh Ashray Sthals/Kanha Gaushalas/Kanji Houses, the Oversight Committee observed the following:

GAUSHALA COMPLIANT WITH NORMS:

- i. Only one Kanha Gaushala of Block-Jalaun is being maintained in a very systematic and proper manner meeting all the standards prescribed by various authorities the details of which can be referred in **Annexure-35**. Besides using the waste products of the bovines for traditional composting, it has facilities for the production of biogas, fuel cake and vermicomposting. Its record-keeping is also proper and up-to-date. As all other Gaushalas of all types were found deficient in their compliance of prescribed environmental norms and GOs, this

1050

report will hereinafter discuss them in respect of the remaining 42 Gaushalas only excluding this Kanha Gaushala, Jalaun.

NON-COMPLIANT GAUSHALAS:

NON- FUNCTIONAL ONES

- ii. Although the remaining 42 Temporary/Permanent Govansh Ashray Sthal/Kanha Gaushala/Kanji House (to be referred hereinafter as Gaushalas) have been shown on papers as operational for the last 04 years, but to the surprise of the Oversight Committee, the one at Mawai Brahman of Block-Kadaura was found to be non-existent on the ground. Only a piece of land with iron net fencing was there. There was no trace of bovine living there, such as feeding and drinking troughs, drinking water source, shed, safe storage place for stock of Bhoosa, green fodder, grains, etc. For details, **Annexure-7** may be referred.

Similarly, at Khutmili, Block-Kadaura, although at the time of inspection, 08 bovines were seen grazing inside but non-matching of their ear-tag numbers with that recorded in the Tagging Register, no trace of bhoosa and green fodder in the trough and at the site, lack of adequate facilities for feeding, drinking water, shelter, fodder storage and inconsistent entries in records maintained by different officials and the statement of the representative of the Pradhan left no room in the minds of the Committee that this Gaushala is actually non-functional. Inspection report of Khutmili, Block-Kadaura annexed with this report as **Annexure-12** may be referred for details.

1051

The actual functioning of 02 Gaushalas, viz. Eton, Block-Kuthaund and Lohai, Block-Nadigaon are also doubtful on account of the facts mentioned in the detailed inspection reports of the respective Gaushalas enclosed as **Annexures -24 & 38**.

GENERAL UPKEEP AND WASTE MANAGEMENT:

- iii. In the meeting held on 06.09.2023 at the district headquarters, it was informed that the Gaushalas are cleaned three times daily i.e. in the morning, noon and evening but the general upkeep of all the remaining 42 Gaushalas was very poor. At some places, cleaning was being done at the time of inspection by more number of persons than actually employed in the Gaushalas for regular services. At 17 Gaushalas (Lohai, Dhagua Kalan, Jeetamau, Khadgui, Malthua, Nyamatpur, Ramhetpura, Chitaura, Kursenda, Padkula, Bhitara, Sunaya, Nari, Jamrohi Kalan, Kaushalpur, Pindari and Mawai Brahman) the pucca floors of the tin sheds and outside were having ½ to 1-inch dry crust of dung. Cleaning of the Gaushala even on weekly basis seemed doubtful.
- iv. In 32 Gaushalas viz. Udanpur, Ghilor, Kanasi, Jaigha, Bastepur, Akniwa, Mae, Khutmili, Lohai, Baagi, Kanha Gaushala-Kadaura, Eton, Madaripur, Dhaguakalan, Matra, Garrehi, Nagar Palika Parishad-Kalpi, Jeetamau, Malthua, Khadgui, Urkara Kalan, Chitaura, Kursenda, Padkula, Sarawan, Nagar Panchayat-Madhogarh, Chhiriya Salempur, Kanha Gaushala-Konch, Sunaya, Jamrohi Kalan, Kaushalpur and Bhuwa, pucca compost pits for disposal of cow dung have been constructed, but in spite of that the same were not in use. Cow dung was being collected at almost all the places in the open within the

Gaushala or at a place close to the Gaushala and the pucca compost pits were lying dry or were filled with other waste materials. Everywhere it was stated that the dung is being used for manure purposes only, therefore, constructing pucca pits is a wasteful expenditure and destructive of the environment. In the remaining Gaushalas, it is collected in open areas haphazardly. The inappropriate disposal of cow dung is causing foul smell and polluting the environment.

- v. In all 42 Gaushalas, there was no proper arrangement for collection and disposal of urine and wastewater. 13 Gaushalas viz. Mae, Bastepur, Udanpur, Kushmara Bawni, Khutmili, Kanha Gaushala-Kadaura, Matra, Garrehi, Sunaya, Jeetamau, Malthua, Khadgui and Kanha Gaushala-Konch have pucca soakpits but due to poor drainage they are disfunctional. 03 Gaushalas viz. Ghilor, Akniwa and Hamirpura have kaccha soakpits. As there was no plan to use the urine for any definite purpose except composting, urine stored in the pucca soakpits was proving more polluting. Mostly they were not being used due to poor drainage but at one or two places where they were being used, they were creating an environmental problem by spreading intense foul smell and also delaying its biodegradation.
- vi. Solid and liquid waste of Madaripur, Block-Kuthaund Gaushala was found to be draining towards the water-logged area within the Gaushala premises, which was directly connected with the pond of the village and was also surrounded by the Abadi. Four other Gaushalas, viz. Dhaguakalan-Dakor, Udanpur, Kusumara Bawni and Kanha Gaushala, Kadaura were discharging their liquid waste into public drains which were joining water bodies at some distance. In

spite of this, the Oversight Committee was informed in the meeting dated 06.09.2023 held at district headquarters that there is no such discharge in any water body.

IMPROPER SITE SELECTION:

- vii. 25 of the 42 Gaushalas, viz. Udanpur, Ghilor, Kanasi, Jaaigha, Akniwa, Mae, Kushmara Bawni, Hamirpura, Madaripur, Dhaguakalan, Matra, Mawai Brahman, Garrehi, Nagar Palika Parishad-Kalpi, Kanha Gaushala- Konch, Malthua, Urkara Kalan, Chitaura, Kursenda, Nagar Panchayat-Madhogarh, Sunaya, Jamrohi Kalan, Pindari, Kanji House-Ait and Bhuwa, have been established within 100 meters of the inhabited area, which is against the prescribed norms.
- viii. The locations of 19 Gaushalas, viz. Dhaguakalan, Mawai Brahman, Garrehi, Nagar Palika Parishad-Kalpi, Jeeteamau, Maddeya, Malthua, Khadgui, Ramhetpura, Chitaura, Kursenda, Padkula, Nagar Panchayat-Madhogarh, Sunaya, Nari, Jamrohi Kalan, Kaushalpur, Pindari and Madaripur are absolutely inappropriate as they have been established in water-logging area or near a water body. At the time of inspection, 03 Gaushalas viz. Nari & Jamrohi Kalan of the Block-Konch and Ramhetupura of the Block-Madhogarh were in knee-deep water. There was absolutely no way to go inside the Gaushala leave alone reaching the bovines to verify facts. Cow dung and urine were mixing with the logged water causing pollution. Health of bovines in these Gaushalas was really bad and bovines were having mud on their bodies. Having regard to the prevailing conditions here, the Oversight Committee is of the view that these Gaushalas actually do not function during rainy season. Due to inspection the bovines have

been brought here. These Gaushalas are running for last 3-4 years and in spite of that, no effort has been made to raise the ground level of these Gaushalas or to shift the same to some higher places. It was told that every year this situation is repeated but no solution has been found. It appears that the officers responsible for selecting the site for establishing Gaushalas have not taken the desired interest in selecting the sites.

- ix. The Oversight Committee inspected the Maddeya Gaushalas of Block-Mahewa where it was extremely difficult to reach even by a jeep. Motorcycle was used to reach there. The condition of this Gaushala situated in such a remote area was not as bad as others located at easily accessible places **(Annexure-16)**.

INADEQUATE INFRASTRUCTURE

- x. Out of 42 Gaushalas, only 04 Gaushalas viz. Jeetamau, Khadgui, Kursenda and Nagar Panchayat-Madhogarh have sufficient space for bovines as per the prescribed norms. Only 09 Gaushalas, viz. Matra, Malthua, Khadgui, Udanpur, Baagi, Chaitaura, Kursenda, Hamirpura and Bastepur have sufficient feeding place (Charni) to cater fodder to all bovines sheltered there. 36 Gaushalas (excluding Matra, Mawai Brahman, Maddeya, Jamrohi Kalan and Eton) have brick soling under their tin-sheds.
- xi. During the inspection, the Oversight Committee found that same feeding troughs were being used for all types of bovines. There was no separate trough for weak, young or very old bovines. Even at Kanha Gaushala, Kadaura where shades are earmarked for different categories of bovines, they were found rushing to a nearby shed for

1055

eating and nobody was there to guide them to the earmarked shed. Since the number of bovines in each Gaushala is more than its feeding capacity, the weak, very old and young bovines are unable to reach the troughs unless the strong ones vacate the place after eating to their satisfaction. As a result, the vulnerable bovines do not get sufficient feed.

In none of the 42 Gaushalas, a separate shed for sick bovines was found. However, the caretakers informed that these sick animals are kept on one side of the same shed, but it does not serve the purpose.

- xii. The Oversight Committee found that in 17 Gaushalas, viz. Kanasi, Akniwa, Dhaguakalan, Mawai Brahman, Garrehi, Nagar Palika Parishad-Kalpi, Ramhetpura, Chitaura, Kursenda, Nagar Panchayat-Madhogarh, Bhitara, Sunaya, Nari, Jamrohi Kalan, Kaushalpur, Pindari and Kanji House-Ait, no Inspection Register was maintained. At Dhaguakalan Gaushala, there was only one inspection note in the Inspection Register recorded on 08.08.2023 stating in two lines that everything was found in order. Details may be seen at **Annexure-5**. Wherever the Inspection Register was maintained, it was found that the inspection notes were short, cryptic and perfunctory in nature. These notes also contradicted the entries made in various registers maintained at the Gaushala. It was also observed that certain directions have been issued by the authorities, but there is nothing to show that in subsequent inspection any effort was made to ensure that earlier directions have been complied with. This type of inspection and inspection reports make the inspection useless and defeat the very purpose of it. In the teeth of the above observed

facts, during our meeting with district level officers on 06.09.2023, it was informed that “82 nodal officers from different departments of the Government inspect all the Gaushalas of the district twice every month on a regular basis. They also record their observations in the inspection register kept at the Gaushala for ensuring compliance of the statutory and Government directions and guide them to undertake this important work in a better way.”

FEED AND FODDER:

- xiii. It was informed in the meeting dated 06.09.2023 that 383 Gaushalas have grown Napier Grass covering an area of 88.428 hectares and Barseem and other green fodder on an area of 98.563 hectares, but at none of the Gaushala, the Oversight Committee found the Bhoosa mixed with green fodder being fed to the bovine or it lying anywhere in the premises. Only oral information was given by the Gopalaks or the officials in some Gaushalas that they are being grown at private land taken on rent at some other place but no entry was found in records about expenditure made on growing or purchasing the green fodder or issuing green fodder for feeding bovines as was being done in case of bhoosa in the Stock Register.
- xiv. G.O. dated 02.01.2019 envisages that the bovine sheltered at the Gaushalas will get proper diet and medical care including vaccination for various diseases. But almost at all the functional Gaushalas only 4 kg or less of Bhoosa has been reported being fed to the bovines without green fodder, grains and supplements. At Lohai Gaushala of Block-Nadigaon, the bovines were dependent totally on grazing of green grass in the field only which was very clear from the colour of

the dung. There was no trace of feeding Bhoosa to the bovine at this Gaushala (**Annexure-38**). On the contrary, the submerged Jamrohi Kalan Gaushala of the Block-Konch, there were only 25 bovines, but per day more than 03 quintals of Bhoosa was being shown as consumed in the Stock Register.

- xv. G.O.s dated 04.05.2022, 20.05.2022, 03.03.2023 and 18.04.2023 provide for collection and preservation of Bhoosa for the maintenance of bovines. During the inspection, the villagers made a complaint about rotten bhoosa being given in the feed of bovines and only due to inspection, fresh bhoosa has been kept in the charni. Rotten bhoosa was found in Bhoosa Ghar in some of the Gaushalas, such as Dhaguakalan, Dakor, Kursenda and Madhogarh. At one place we saw rotten bhoosa for feeding was lying in the open partly covered with a plastic sheet.

EAR TAGGING:

- xvi. GOs provide that all the bovines brought to the Gaushalas should be ear tagged at the earliest as the financial grant is dependent on the number of ear tagged bovines. The Oversight Committee verified the availability of tags on the ears of bovines and to its surprise in only 01 Gaushala (i.e. Kanji House- Ait), all the bovines were ear tagged. In Dhaguakalan Gaushala, which the Committee visited the first, only 05 male bovines were tagged against 86 bovines present in the Gaushala. 71 bovines were shown as tagged in the Tagging Register. The Veterinary Officer admitted that he prepared this register recently before this inspection. At every other place, the situation was more or less the same with huge variations in numbers.

- xvii. In 33 Gaushalas, the hurriedly prepared Tagging Register did not mention the date of tagging. 09 Gaushalas (Nagar Palika Paraishad-Kalpi, Kursenda, Sarawan, Pindari, Bastepur, Jaaigha, Kanha Gaushala-Kadaura, Kanasi and Madaripur) did mention/show the date of ear tagging in some manner but the incredibility of their entries could be established on asking relevant questions in front of all. In order to give a glimpse of the level of manipulation in Tagging Registers, the inspection report of Bastepur Gaushala of the Block-Kuthaund (**Annexure-26**) may be referred. At this Gaushala, the Tagging Register does not have a regular column to mention the date of tagging of a particular bovine. The date of tagging has been mentioned in the column "Tagging Number" apparently as a subsequent entry. Similarly, the date of death has been mentioned in the column "Tagging Serial Number" but the fact of death is mentioned in the "Remark" Column. According to this register, 02 bovines having died on 10.04.2023 and 14.04.2023 respectively but they have been shown to have been tagged on 18.04.2023. Further, there were only 78 bovines at this Gaushala between 01.04.2023 to 18.04.2023, but 83 bovines are shown to have been ear tagged.
- xviii. The Oversight Committee also matched the ear tag numbers of few of the bovines with those mentioned in the Tagging Registers in about 12 Gaushalas. In 07 Gaushalas, not a single tag of the bovine could be matched with the number entered in the Tagging Register. Only in 04 of these Gaushalas, the tag numbers of bovines matched. This gives credence to the complaint that actually less number of bovines are kept in the Gaushalas but large numbers of bovines are shown on papers to receive higher grants from the Government and

at the time of inspection some bovines are brought from outside to meet the number mentioned in the records of the Gaushala. The Oversight Committee also observed that the non-matching ear tags were of the healthier bovines in the Gaushalas suggesting that the health of the bovines of the Gaushala is poorer than the imported bovines. It was impossible for the Oversight Committee to verify all the numbers of ear-tags of bovines present in Gaushalas because of poor and incredible way of record keeping. Therefore, after doing the sample check and finding a definite pattern, it did not waste further time on such verification.

- xix. Tagging Register is the backbone of the functioning of Gaushalas but it has been maintained in the most shabby and irresponsible way by the concerned local officials of the Animal Husbandry Department and not at all supervised and verified by the Supervisory Officers. Everyone was found having his own way of maintaining the records in a thin notebook type of register contradicting their own entries and entries made in other registers of the Gaushalas. On interrogation in front of everyone present, quite few of them admitted that the records had been prepared recently in a hurry. After having inspected 42 such Gaushalas, it is the firm conviction of the Committee that no effort has been made to maintain the Tagging Registers in a proper way. It has been disclosed in detail in all the inspection reports forming part of this Report.

MEDICAL SERVICES:

- xx. No First Aid Kit was available in 40 out of 42 Gaushalas. Kanha Gaushala-Kaduara also had the temporary office of the Veterinary

Officer with sufficient medicines in stock in its campus. Kushmara Bawni Gaushala-Kadaura had a First Aid Kit with very little medicines. During the inspection, almost everywhere it was stated by the Veterinary Officers that the vaccination of HS and LSD has been given to all eligible bovines, but only at 25 Gaushalas, viz. Kanasi, Jaaigha, Mae, Hamirpura, Lohai, Baagi, Kanha Gaushala-Kadaura, Eton, Dhagua Kalan, Nagar Palika Parishad-Kalpi, Kanha Gaushala-Konch, Malthua, Khadgui, Ramhetpura, Kursenda, Padkula, Sarawan, Nagar Panchayat-Madhogarh, Chhiriya Salempur, Bhitara, Sunaya, Nari, Kaushalpur, Pindari and Bhuwa, some formal or informal records were shown. In 17 Gaushalas, viz. Kanasi, Jaaigha, Mae, Hamirpura, Lohai, Kanha Gaushala-Kadaura, Garrehi, Kanha Gaushala-Konch, Padkula, Sarawan, Bhitara, Sunaya, Nari, Kaushalpur, Pindari, Chitaura and Kanji House-Ait, deworming of the bovines have been reported as either having been done or to be done in near future.

- xxi. Details about giving medical services to the bovines were found recorded in the Treatment Registers of the Gaushalas kept with the Livestock Extension Officers (LEO). It was told by the LEO and the Veterinary Officer (VO) that as and when informed by the Gaushalas, the medical services are provided as soon as possible. Considering the assignment of a large number of Gaushalas to one worker and various types of inconsistencies found in the Treatment Register and the Inspection Register makes the Oversight Committee believe that entries made in the Treatment Register are doubtful.
- xxii. In none of the Gaushalas, any handling area was found on the site much less the area provided in the guidelines.

- xxiii. In 06 of the 42 Gaushalas, it was told by the Gopalaks that the bovines were being given some bath but this fact could not be ascertained during inspection. In all other Gaushala, the bovines are not given baths in spite of clear prescription in the guidelines and the facility of a submersible pump in the Gaushala.
- xxiv. As often informed during inspection, each LEO has been made incharge of an unmanageable number of Gaushalas. One, Shri Devendra Kumar Kushwaha told that he is incharge of more than 30 Gaushalas, therefore, he is not able to do justice to the task. Even in normal course, one LEO is looking after about 10 Gaushalas. At 03 Gaushalas (Kaushalpur, Sunaya and Nari Gaushalas of the Block-Konch), the Gopalaks were not able to recognize the LEO or the VO. In the presence of the Veterinary Officer, one Gopalak said that on the death of bovines, immediately information is given to the Veterinary Officer but nobody comes. The Veterinary Officer explained that he had to visit 58 Gaushalas under his charge, so it was not possible for him to visit every Gaushala frequently or immediately on receiving the call. But, it is a hard fact that post-death formalities are not being carried out and recorded properly. In a nutshell, because of allotment of an unmanageable number of Gaushalas to the LEOs and the Veterinary Officer, the health service to the bovines of the Gaushalas is suffering.

CONCEALMENT OF DEATH:

- xxv. As regards the death of bovines, during the inspection the villagers informed that a large number of bovines had expired during the last winter, but from the records, this fact could not be substantiated.

1062

The villagers insisted that the death of bovines is being concealed. At Mae Gaushala, Block-Rampura (**Annexure-21**), one tractor owner informed the Oversight Committee that for 30 days his tractor was engaged in transporting fodder to Gaushala and for 30 days it was used to transport 30 dead cattle, but he has not been paid for that. In the record, there was no such mention to support his version. On investigation before the public, the representative of Pradhan admitted the above facts and promised to pay the balance amount.

Further, In Jaigha Gaushala, Block-Rampura, according to the Tagging Register, a total of 187 bovines were tagged. 16 of them were handed over to the volunteers for rearing under the People's Participation Scheme whose details are properly maintained in the Register. So, at the time of inspection, 171 tagged bovines should have been there but there were only 87 such bovines. No explanation was given for the missing bovines in such a large number.

At the time of inspection of Kanha Gaushala, Kadaura, letters written by the VO, Kadaura to the Executive officer and the CVO about large number of missing bovines were presented to us which were given to the CVO for giving his comments but no comments have been received.

Besides the above, mismatch in the statements of the Gopalaks, Pradhan and village level functionaries, and various entries in the Tagging Register, Govansh Count Register, Bhoosa Stock Register etc. compels the Oversight Committee to take a view that deaths of bovines are being concealed. In some places, in the Govansh Count Register only an entry of "Mrit" was made, but there

was no corresponding record maintained by the Veterinary Officer to show that which is mandatory.

IMPROPER MAINTENANCE OF RECORDS:

- xxvi. None of the 42 Gaushalas was found satisfactory in its record-keeping. There was no uniformity in the maintenance of records in these Gaushala and most of them were following their own formats with respect to these records. They are not kept on the basis of daily transactions as a matter of routine but they were found to have been prepared in a hurry for the sake of inspection of this Committee only in different types of note books.
- xxvii. As per the entries made in the Cash Book of Gaushala at village Udanpur, Block-Kadaura, same cheque (No. 482286 dated 04.08.2023) has been shown to have been issued to two different persons, namely, Kamlesh, son of Hari Narain and Suresh Kumar (father's name not mentioned). On this date, two bearer cheques each have been shown to have been issued to both the above recipients, each being below Rs. 20,000/-. The counterfoil of the cheque book was not produced. No reasons for not issuing a single cheque to each of them and how the same cheque could be issued to two persons was given by the officials. Their silence clearly suggested that the record had been prepared in a hurry, just before the inspection and payments were being made through bearer cheques of value less than Rs. 20,000/- to keep complete control on the money withdrawn by the bearer. Similar anomalies were found in the Cash/Account Books of other Gaushalas also. In later phase of inspection, they adopted the strategy to state to the Oversight

Committee that no Cash Book has been prepared so far in this financial year. It is pertinent to mention that it is a permanent running record.

xxviii. In Kanha Gaushala, Kadaura, evidence was produced by the representative of the petitioner that an amount of Rs.2,29,902/- was paid in the bank account of Shri Bharat Prajapati, who is an employee of the Nagar Palika, showing it to be the payment towards the supply of Bhoosa. The Executive Officer, Nagar Palika and other officials admitted this transaction and extended the clarification that Shri Singh had purchased bhoosa from a large number of farmers when the contractor stopped the supply, therefore, payment was made to him, who in turn paid it to farmers. They had no answer to the query that why the payment was not made into the bank account of the farmers when all of them have an account. During debriefing session, the District Magistrate informed that the complaint has been found to be correct prima facie. He is going to take action against the persons responsible for it. This incident along with the anomalies found in the Cash-Book of Udanpur Gaushala and others and non-presentation of Cash-Book by large number of Gaushalas clearly suggest that the fund meant for purchasing diets for the bovines is being misused in different ways.

xxix. The reason, generally stated, for not producing the record or producing a record having entries of the past few months only by the Gram Vikas/Panchayat Adhikari or the Livestock Extension Officer (LEO) or the Veterinary Officer was that their predecessors did not give him the old records while handing over the charge. It may be correct in few cases but largely it was a ploy to avoid scrutiny

because actually they are not being maintained properly. “Cash-Book was not handed over to him”, was the claim made by the Village Panchayat Adhikari, Incharge of Jaigha Gaushala, Block Nadeegaon but the charge memo produced by him clearly showed at serial number-4 that he had received it. Specific arrangements should be made to ensure that the predecessor is relieved by the controlling officer only if the successor gives a certificate that the former has handed over all the records pertaining to the Gaushalas under his charge to the latter.

- xxx. Normally, cattle are fed at a particular time every day but, at all 42 Gaushalas, the Committee inspected, it found that the cattle were being fed whether it was morning time or afternoon or late evening. It was felt that large number of cattle brought from outside could not have stayed inside without the allurements of the feed at the time of inspection. Bringing cattle from outside at the time of inspection to match the number recorded in the Head Count Register do suggest that more fund is being claimed from the Government than the actual entitlement on the basis of bovines actually staying in the Gaushala. Green fodder, grains and supplements were missing in the feeding troughs and also in the stores, Stock Registers and Account Books, yet it was claimed that green fodder was being fed by purchasing from the market or growing it on rented lands.
- xxxi. Various inconsistencies in different registers and statements made by the Gopalaks, Pradhans, village level functionaries and the payments to the suppliers without making entries in the Cash-Books and Account Books do point out towards the misuse of the Government

funds meant for this purpose. It requires a deeper probe into the matter by a specialised agency.

NON-COMPLIANCE OF GOVERNMENT ORDERS (GOs):

xxxii. In order to make the Gaushalas self-sustainable, the policy GO dated 02.01.2019 envisages the production of biogas, compost/vermicompost, soap, incense sticks, mosquito repellent, gonile (phenyl from bovine urine) etc. from Panchgavya in collaboration with UP State Bio-energy Board, Khadi and Village Industry Department, MSME Department, Skill Development Mission, RD Department, Horticulture Department etc. and their marketing. It also lists cow dung and urine based economic activities, such as bio-farming, bio-horticulture and making flower pots, fire cakes, pesticides etc. for eco-friendly existence of the Gaushalas, but in practice, cow dung is collected in the premises in haphazard way and is sold/donated to farmers before the start of every cropping season. Other possible uses of cow dung, urine and wastewater have not been attempted. In fact, they are not being used even for composting in a scientific manner. There is a need to dispose the cow dung, urine and wastewater in a scientific and eco-friendly manner in kuccha compost pits until an alternative use of the cow dung and urine is planned. Proceeds of this should be utilized as income and spent on the maintenance of the bovines as stipulated in the GO.

xxxiii. Although it is provided in the GO that 2% of the proceeds of Mandi fee, cess on excise duty, 0.5% of the profit which State Public Sector undertakes to use in the form of their Corporate Social Responsibility (CSR) and “cow welfare cess” imposed by the UP Expressways and

Industrial Development Authority (UPEIDA) would be utilized for the maintenance of these Gaushalas, but as per the information furnished by the district level officers in the meeting held on 06.09.2023, they are not getting any fund from these sources. Infrastructure is being created through the funds available in MNREGA, honorarium of Gopalaks is coming from Gram Nidhi and, maintenance grant of Rs. 30/- (not enhanced to Rs. 50) per bovine for fodder, etc. and medical facilities are coming from the budget of the Animal Husbandry Department. No contribution either in cash or kind has been received till now from charity-oriented individuals or institutions. At village level, sometimes some farmers do contribute Bhoosa in small quantity but we found its mention in records at 02 Gaushalas only.

xxxiv. Almost all the concerned officers of the Gaushala complained that they cannot afford to feed the bovine properly within the limits of Government grant of Rs. 30/- (now enhanced to Rs. 50/-) per bovine during the lean season due to very high market price. Although GOs dated 08.08.2019 (**Annexure-50**) and 12.09.2020 (**Annexure-51**) provide for encouraging public participation for the management of the Gaushalas in the districts and also encouraging them to adopt bovines for rearing them under the Govansh Sahbhagita Yojna, which also entitles them for the daily diet grant from the Government. During our discussion with officials and the general public, this also came to light that very little assistance comes either in cash or kind from charity minded public or institutions. Very few people have adopted bovines for rearing.

xxxv. GOs dated 03.08.2022 (**Annexure-57**), 04.01.2023 (**Annexure-59**) and 18.01.2023 (**Annexure-60**) provide that every Block will purchase a cattle-catcher on priority which will be utilized for immediate transportation of stray cattle on receiving information but this arrangement is not found functioning in the district. Stray cattle were seen roaming around and sitting by the roadside all over in the urban areas of the district.

xxxvi. Gaushalas have been established across the State of U.P. to keep the unclaimed and stray bovines inside so that it does not damage the standing crop of the farmers in the field. Considering the special condition of the Bundelkhand region, the Government vide G.O. dated 12.06.2023 permitted grazing and roaming of cattle in open fields till June end. However, they were being let out for grazing even in the month of September, at the time of inspection by the Committee. There was a general complaint from the public that all stray cattle have not been brought inside the Gaushalas and cattle inside Gaushalas are also let out in the open. We also noticed good number of stray cattle in the urban areas on roads. Some of the concerned officials of the Gaushalas, viz. Ghilor, Mae, Kushmara Bawni, Hamirpura, Khutmili, Lohai, Kanha Gaushala-Kadaura, Eton and Mawai Brahman accepted that the cattle are taken out for grazing in the daytime.

xxxvii. As per the information furnished during the meeting held on 06.09.2023 at the district headquarters, 5227 plants have been planted in 410 Gaushalas of the district. But on the spot, very few plants were found in only some of the Gaushalas inspected by the Oversight Committee. In some Gaushalas, some tree guards were

there, but there was no plant therein. In 02 Gaushalas, viz. Sunaya-Konch and Lohai-Nadigaon, few tree guards were lying in the Bhoosa store. In most of the Gaushalas which have been running for the last 3 to 4 years, there was absolutely no plantation in spite of the fact that they had sufficient land for the purpose. It appears that no interest has been taken to ensure plantation around or inside the Gaushalas.

xxxviii. These Gaushalas are functional for over three years and rampant violations of environmental laws are being committed by them continuously. No action either by way of handholding or invoking punitive provisions of law seems to have been taken against these Gaushalas. At the time of inspection, the RO, UPPCB Jhansi and also the CDO Jalaun mentioned that notices have been issued/received by the Gaushalas for their violations in compliance of the orders of the Hon'ble NGT. The RO, UPPCB Jhansi also informed that an EC of Rs.2,45,000/- has been imposed on the BDO, Kadaura for violation for a period of 49 days. The CDO Jalaun pointed out that notices have been issued to the Gaushalas of this district only whereas no action has been taken in Jhansi and Lalitpur districts which are under her jurisdiction. He also pleaded that this is a welfare scheme of the Government, so no such action should be taken. The action taken against the BDO, Kadaura seems to be a token action to show the Hon'ble NGT that action has been taken because the violations by Gaushala are continuing since its establishment and in the entire district. No information regarding recovery of EC has been received.

1070

No doubt, these Gaushalas are welfare activities of the State Government, but the officers implementing these schemes and the RO as the regulator have to ensure that these Gaushalas do not pollute the environment in the manner they are doing now in the interest of bovines, human beings and environment.

COLLAPSE OF IMPLEMENTATION AND SUPERVISION MECHANISM:

xxxix. GO dated 02.01.2019 regarding the establishment and management of Gaushalas stipulates that there will be Block, Tehsil and District Level Committees, besides the Division and State Level Committees for the monitoring, evaluation and review of this welfare scheme of the State Government. This GO elaborates the tasks to be performed by these committees. When asked about the pathetic condition of these Gaushalas and role played by the Block Level Committee under his leadership to ameliorate their condition, no satisfactory response was given by the BDOs accompanying the Oversight Committee at the time of inspection. Even the CDO, CVO and DDO accompanying the team had no answer for what they had presented to the Oversight Committee at the district level meeting held on 06.09.2023 and what was being observed as the ground reality. The Oversight Committee has no hesitation in stating that the implementation and supervision mechanism of this welfare scheme of the State Government has collapsed totally. The Block as well as the Tehsil and District Level Committees are not functioning effectively. In some of the Inspection Registers, the inspection note recorded by the BDO was available but it did not bring out the deficiencies apparently visible in the Gaushalas. Similar was the quality of notes recorded by

other Supervisory Officers, namely, the Veterinary Officer, ADO (Panchayat), ADO (ISB) etc.

- xl. Inspections by senior officers are meant to guide the ground level functionaries and provide them the support needed from higher levels for performing the task efficiently and effectively but they were not found to have been done seriously, objectively and truthfully. Deficiencies found in the inspection should be recorded factually and their compliance should be monitored closely, but it was found lacking altogether in all the Gaushalas.

RAY OF HOPE:

- xli. By the time the Committee made the second visit to the district, new District Magistrate Shri Rajesh Kumar Pandey took charge. While the Committee was inspecting Gaushalas in the district as per its random plan, he also made independent inspections of some other Gaushalas to understand the ground realities and take appropriate remedial measures. After completing its inspection, the Committee had a one-to-one debriefing meeting with the District Magistrate in which experiences were shared by both sides. The District Magistrate appeared to be enthusiastic and committed to implement this welfare oriented scheme properly by leading from the front. He also assured that on the basis of what he has experienced himself and the oral feedback given by the Oversight Committee, he will ensure that the GOs issued by the State Government for the proper maintenance of the Gaushalas and the guidelines of the CPCB and the ICAR are implemented in letter and spirit. The Oversight Committee assured him to share a copy of its report to the Hon'ble NGT so that he takes

necessary steps for the improvement of the system without losing time any further.

8. RECOMMENDATIONS

In view of the aforementioned observations, the Committee recommends as under:

- (i) As mentioned in paragraphs 5 and 6 above, there is no ambiguity with regard to what needs to be done to manage the Gaushalas in an eco-friendly and economically viable manner, but they are not being followed even in letters what to talk of its spirit. It is because no supervisory guidance is being provided and control is being exercised by senior officers for ensuring that these provisions are enforced properly. In order to make the implementation and monitoring of this welfare scheme effective, the first step that needs to be taken by the district administration is to prescribe, if not already done, a standard proforma for maintaining records, namely, Govansh Register, Stock Register of Bhoosa, green fodder and grains, Tagging Register, Treatment Register including vaccination, Inspection Register, Account Book and Cash-Book. They should be maintained in hardbound register whose pages should be numbered and certified by the person maintaining the register as well as the immediate supervisory officer. These should be running registers and changed only when filled completely and not at the end of every financial year or at convenience. It will be desirable to supply these Registers centrally from the district level.
- (ii) After prescribing the proforma, a training should be organized for all the Gram Pradhans, Gram Vikas Adhikaris, Gram Panchayat

1073

Adhikaris/ Assistants, Livestock Extension Officers, their Supervisory Officers, Nodal Officers, etc. for proper maintenance of these records and their storage at a safe place inside the Gaushala. These Registers should be kept at the Gaushala in which entries should be made by the officials concerned when they visit it to perform some task. The Inspection Register should contain a check-list so that the inspecting officers record their findings in respect of each of them factually and objectively. The deficiencies so recorded should be rectified at the earliest. The check-list should also include a specific point on whether the deficiencies pointed out in the previous inspection note have been rectified or not. If they are found not rectified in time, then the inspecting officer should bring this fact immediately to the notice of the Block Development Officer and the Veterinary Officer.

- (iii) One week after the training, these Gaushalas should be inspected every week by the immediate Supervisory Officers and every fortnight by the Nodal Officers. After three months, if the Block Development Officer is satisfied that the managers of the Gaushalas have developed the habit of maintaining the records properly and the bovines as per the GO, the frequency of inspections by the immediate Supervisory Officer and Nodal Officer may be changed to once in a fortnight and once in a month respectively.
- (iv) If one village level officer of different department is incharge of several Gaushalas, then a roaster should be prepared by the Block Development Officer and the Veterinary Officer to secure the attendance of these functionaries on specified dates so that if public has any grievance, it can be redressed.

- (v) There is a provision in the GOs that efforts should be made to receive funds through convergence from various developmental schemes, CSR funds of the State PSUs, donations from charity organizations/ individuals etc. and if in spite of harnessing these sources, adequate fund does not come through for proper functioning of the Gaushalas, then the District Magistrate should submit a plan to the Government for receiving balance amount. No such plan was reported to have been sent to the Government so far. The District Magistrate should take stock of the entire situation and prepare a plan for seeking additional fund for creation of requisite infrastructure at these Gaushalas for operating them in an eco-friendly and economically viable manner.
- (vi) As regards inadequacy of the diet money of Rs. 30/- (enhanced to Rs. 50/-) per bovine per day, it will be desirable that a concrete workable fact-sheet is prepared at the district level taking into account all possible expenditures including transparent procurement of Bhoosa, green fodder and grains etc. for the entire year, and if the existing grant is found to be inadequate, recommendation for enhancing the same should be sent to the Government.
- (vii) No Gaushala should be allowed to keep more bovines than permissible under the norms of the CPCB and ICAR in respect of various infrastructure facilities, namely, tin sheds, feeding and drinking troughs, open space for roaming, handling area etc.
- (viii) Although brick-soling was found under a large number of tin sheds and drain was also there under some tin sheds, but urine and waste water was not being carried through the drains to the disposal point because of the slope problem. If the floors are made of concrete

1075

with adjoining drains, it will give a permanent solution to the problem of cleanliness.

- (ix) An appropriate arrangement for the separate feeding place for sick, weak and young bovines should be made.
- (x) Direction should be given to the District Magistrate to ensure effective arrangement to protect the bovines from extreme cold, summer and rainy weather condition.
- (xi) Vacant Government/Gram Sabha land should be allotted to the Gaushalas on priority for growing green fodder within a period of one month by launching a special drive.
- (xii) Plantation should be done within and outside the periphery wherever possible in a large scale in all the Gaushalas.
- (xiii) Gaushalas situated in water-logging area or connected with the ponds or near the *Abadi* should be shifted to a proper place in the interest of health of bovines, human beings and the environment.
- (xiv) All the bovines should be ear tagged within 07 days of arriving at the Gaushala and appropriate entries should be made in the relevant register kept at the Gaushala.
- (xv) The problem in the proper functioning of these Gaushalas is not the inadequacy of the provisions in the CPCB Guidelines, ICAR Manual and the directions of the Government, but in their actual implementation. Therefore, a mere direction again to the District Magistrate for ensuring compliance of these provisions is not going to improve the ground situation. The District Magistrate should be given six months' time to ensure that the existing provisions are implemented on ground properly and submit a compliance report to the Hon'ble NGT. Thereafter, the Hon'ble NGT may get it verified

1076

through a third party independent of the government of UP by visiting atleast 10% of the Gaushalas physically.

(xvi) Strict action under law should be taken against the meat-shop owners operating without proper NOC/license from the competent authorities.

(xvii) The UPPCB may be directed to take action against the polluting Gaushalas in accordance with the environmental laws after the expiry of the dead-line given to the District Magistrate by the Hon'ble NGT for ensuring compliance of these laws.

30-Nov-23

30-Nov-23

X Anant Kumar Singh

Anant Kumar Singh
Member, Oversight Committee
Signed by: Anant Kumar Singh

X SVS Rathore

Justice SVS Rathore
Chairman, Oversight Committee
Signed by: SURENDRA VIKRAM SINGH RATHORE

Nov 30, 2023

1077

मा० न्यायाधीश श्री एस०वी०एस० राठौर की अध्यक्षता में दिनांक 06-09-2023 मा० एन०जी०टी० कोर्ट के अनुपालन सम्बन्धित समीक्षा बैठक हेतु नेरेटिव।

1. जनपद में कुल 377 अस्थाई गौ आश्रय स्थलों में 30818 गौवंश संरक्षित है।

ग्रामीण - जनपद में कुल 8 स्थाई गौ आश्रय स्थल में 1827 गौवंश संरक्षित है।

शहरी क्षेत्र - जनपद में कुल 7 कान्हा गौशाला में 1946 गौवंश संरक्षित है।

जनपद में कुल 18 कांजी हाउसों में 318 गौवंश संरक्षित है।

जनपद में कुल अस्थाई/स्थाई/कान्हा गौशाला/कांजी हाउस 410 गौशालाओं में कुल 34909 गौवंश संरक्षित है।

2. जनपद की समस्त गौशालाओं में 5227 वृक्षारोपण (410)

3. जनपद की समस्त गौशाला में 88.428 हेक्टेयर नेपियर घास ()

4. जनपद की समस्त गौशाला 98.563 हेक्टेयर बरसीम एवं हरा चारा ()

5. जनपद जालौन की समस्त गौशालाओं में शैड के अन्दर एवं बाहर खडण्जा है, घूमने के लिए कच्चा स्पेश है।

7000/-m 6. समस्त गौशालाओं में पर्याप्त संख्या में मानदेय केयर टेकर रखे गए हैं। जोकि सुबह, दोपहर, शाम को सफाई करते हैं।

7. गौशालाओं में गोबर निस्तारण हेतु अलग से गड्ढे बनवाए गए हैं, जिनमें गोबर एकत्रित कर कम्पोस्ट बनाया जाता है।

8. यूरिन पिट बनवाने के लिए सभी खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं तथा कार्य शुरू हो गया है।

9. किसी भी गौशाला से गोबर, यूरिन एवं बेस्ट फूड, नदी या नाले में नहीं बहाया जा रहा है तथा किसी भी प्रकार का गौवंश का अवशिष्ट किसी भी नदी में नहीं बहाया जा रहा है। जिससे किसी भी नदी के जल की प्रदूषित होने की सम्भावना नहीं है तथा न ही किसी नाले या सीवर में बहाया जा रहा है जिससे किसी भी नाली या सीवर के चोक होने की सम्भावना नहीं है, जिससे वाटर पोल्यूशन की सम्भावना नहीं है।

10. जनपद जालौन में गौशालाओं का निरीक्षण विभिन्न विभागों के 82 नोडल अधिकारी द्वारा कराया गया तथा समस्त गौशालाओं के आय व्यय एवं 12 बिन्दु पर सूचना समस्त खण्ड विकास अधिकारियों से प्राप्त की गई।

11. समस्त कान्हा गौशाला में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की N.O.C के लिये आवेदन किया जा चुका है जिनमें से 06 गौशालाओं की N.O.C प्राप्त कर ली गयी है। शेष प्रक्रियाधीन है।

जनपद की स्थाई / अस्थायी
गौ-आश्रय स्थलों में संरक्षित
गौवंशों एवं उनकी दूरी
जनपद-जालौन

अस्थाई / स्थाई गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित गौवंश की सूची।

1079

दिनांक:- 14-08-2023

क्र० सं०	विकास खण्ड / नगर पंचायत / नगर पालिका परिषद का नाम	गौ आश्रय स्थल का प्रकार	ग्राम का नाम	गौशाला में संरक्षित गौवंश की संख्या	जनपद मुख्यालय से गौ आश्रय स्थल की दूरी	गौ आश्रय स्थल जाने का रूट
1	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	औता	60	10 कि०मी०	उरई से चुर्खी रोड़
2	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	पिया निरंजनपुर	0	10 कि०मी०	उरई से चुर्खी रोड़
3	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	रूरा अडडू	90	11 कि०मी०	उरई से चुर्खी रोड़
4	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	ऐधा	80	29 कि०मी०	उरई से एट कोटरा रोड़
5	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	कुरकुरु	120	28 कि०मी०	उरई से एट कोटरा रोड़
6	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	सैदनगर	64	35 कि०मी०	उरई से एट कोटरा रोड़
7	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	सिकरीव्यास	172	29 कि०मी०	उरई से अजनारी कोटरा रोड़
8	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	धुरट	60	27 कि०मी०	उरई से झॉसी रोड़
9	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	बिरगुवां	60	13 कि०मी०	उरई से अजनारी कोटरा रोड़
10	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	नुनसाई	120	18 कि०मी०	उरई से झॉसी रोड़
11	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	ददरी	82	15 कि०मी०	उरई से करमेर रोड़
12	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	करुई बु०	90	15 कि०मी०	उरई से करमेर रोड़
13	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	खरका	122	12 कि०मी०	उरई से करमेर रोड़
14	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	ऐर	70	10 कि०मी०	उरई से करमेर रोड़
15	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	करमेर	82	10 कि०मी०	उरई से करमेर रोड़
16	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	मिनौरा कालपी	170	6 कि०मी०	उरई से करमेर रोड़
17	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	रिरुआ	90	13 कि०मी०	उरई से करमेर रोड़
18	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	जलालपुर चिरगुवां	76	15 कि०मी०	उरई से चुर्खी रोड़
19	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	राहिया	77	7 कि०मी०	उरई से कालपी रोड़
20	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	जयपुरा	69	9 कि०मी०	उरई से कालपी रोड़
21	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	चौरसी	104	3 कि०मी०	उरई से कालपी रोड़

अस्थाई / स्थाई गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित गौवंश की सूची।

1080

दिनांक:- 14-08-2023

क्र० सं०	विकास खण्ड / नगर पंचायत / नगर पालिका परिषद का नाम	गौ आश्रय स्थल का प्रकार	ग्राम का नाम	गौशाला में संरक्षित गौवंश की संख्या	जनपद मुख्यालय से गौ आश्रय स्थल की दूरी	गौ आश्रय स्थल जाने का रूट
22	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	रगौली	189	9 कि०मी०	उरई से कालपी रोड़
23	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	जैसारी खुर्द	72	19 कि०मी०	उरई से राठ रोड़
24	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	कहटा	82	22 कि०मी०	उरई से राठ रोड़
25	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	मकरेछा	85	25 कि०मी०	उरई से राठ रोड़
26	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	डकोर	151	16 कि०मी०	उरई से राठ रोड़
27	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	चिल्ली	108	8 कि०मी०	उरई से अजनारी कोटरा रोड़
28	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	गोरन	181	16 कि०मी०	उरई से अजनारी कोटरा रोड़
29	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	गुढ़ा	90	13 कि०मी०	उरई से राठ रोड़
30	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	बन्धौली	100	10 कि०मी०	उरई से राठ रोड़
31	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	जैसारी कलां	110	17 कि०मी०	उरई से अजनारी कोटरा रोड़
32	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	कुसमिलिया	122	12 कि०मी०	उरई से राठ रोड़
33	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	टिमरों	106	15 कि०मी०	उरई से अजनारी कोटरा रोड़
34	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	धमनी बुजुर्ग	75	7 कि०मी०	उरई से ऐर रोड़
35	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	धरगुवां	70	5 कि०मी०	उरई से ऐर रोड़
36	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	कूइयां	35	3 कि०मी०	उरई से ऐर रोड़
37	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	कुठौंदा	80	4 कि०मी०	उरई से राठ रोड़
38	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	मोहम्मदाबाद	135	6 कि०मी०	उरई से राठ रोड़
39	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	रमपुरा ऐरी	125	13 कि०मी०	उरई से राठ रोड़
40	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	बनफरा	47	7 कि०मी०	उरई से चुर्खी रोड़
41	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	गढ़र	68	9 कि०मी०	उरई से कोंच रोड़
42	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	इटवां जालौन	75	12 कि०मी०	उरई से कोंच रोड़

अस्थाई / स्थाई गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित गौवंश की सूची।

1081

दिनांक:- 14-08-2023

क्र० सं०	विकास खण्ड/ नगर पंचायत / नगर पालिका परिषद का नाम	गौ आश्रय स्थल का प्रकार	ग्राम का नाम	गौशाला में संरक्षित गौवंश की संख्या	जनपद मुख्यालय से गौ आश्रय स्थल की दूरी	गौ आश्रय स्थल जाने का रूट
43	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	कुकरगांव	161	10 कि०मी०	उरई से जालौन रोड़
44	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	मगरायां	66	10 कि०मी०	उरई से जालौन रोड़
45	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	धगवांकलां	110	26 कि०मी०	उरई से झॉसी रोड़
46	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	सेवढी	62	26 कि०मी०	उरई से झॉसी रोड़
47	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	अकोढी	45	18 कि०मी०	उरई से कोंच रोड़
48	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	हरदोई गूजर	87	15 कि०मी०	उरई से कोंच रोड़
49	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	खरुसा	102	13 कि०मी०	उरई से कोंच रोड़
50	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	बर्ध	92	19 कि०मी०	उरई से कोंच रोड़
51	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	सोमई	85	20 कि०मी०	उरई से झॉसी रोड़
52	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	बड़ागांव	33	5 कि०मी०	उरई से झॉसी रोड़
53	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	भुआ	97	10 कि०मी०	उरई से झॉसी रोड़
54	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	इमलिया	67	13 कि०मी०	उरई से कोंच रोड़
55	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	बरसार	108	20 कि०मी०	उरई से अजनारी कोटरा रोड़
56	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	कमठा	72	22 कि०मी०	उरई से अजनारी कोटरा रोड़
57	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	विनौरापुर	142	30 कि०मी०	उरई से एट कोटरा रोड़
58	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	पुर	60	31 कि०मी०	उरई से एट कोटरा रोड़
59	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	अजनारी	68	4 कि०मी०	उरई से अजनारी कोटरा रोड़
60	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	बोहदपुरा	112	8 कि०मी०	उरई से जालौन रोड़
61	डकोर	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	मड़ोरा	38	3 कि०मी०	उरई से कोंच रोड़
62	डकोर	स्थाई पशु आश्रय गृह	मुहाना	152	24 कि०मी०	उरई से राठ रोड़
63	डकोर	स्थाई गौवंश वन्य बिहार	बरहा	205	15 कि०मी०	उरई से पिया मवई रोड़

अस्थाई / स्थाई गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित गौवंश की सूची।

1082

दिनांक:- 14-08-2023

क्र० सं०	विकास खण्ड / नगर पंचायत / नगर पालिका परिषद का नाम	गौ आश्रय स्थल का प्रकार	ग्राम का नाम	गौशाला में संरक्षित गौवंश की संख्या	जनपद मुख्यालय से गौ आश्रय स्थल की दूरी	गौ आश्रय स्थल जाने का रूट
64	डकोर	स्थाई कांजी हाउस	बरसार	9	20 कि०मी०	उरई से अजनारी कोटरा रोड़
65	डकोर	स्थाई कांजी हाउस	जैसारी कला	9	17 कि०मी०	उरई से अजनारी कोटरा रोड़
66	डकोर	स्थाई कांजी हाउस	चिल्ली	14	8 कि०मी०	उरई से अजनारी कोटरा रोड़
67	नगर पंचायत कोटरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	कोटरा	55	22 कि०मी०	उरई से एट से कोटरा रोड़
68	नगर पालिका परिषद उरई	स्थाई कान्हा गौशाला	उरई	238	4 कि०मी०	उरई कालपी रोड़
69	नगर पालिका परिषद उरई	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	इकलासपुरा	0	3 कि०मी०	उरई कालपी रोड़
70	जालौन	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	गधेला	55	35 कि०मी०	उरई से जालौन औरैया मार्ग से 8 कि०मी०
71	जालौन	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	औरेखी	135	30 कि०मी०	उरई से जालौन बंगरा से 4 कि०मी० पहले
72	जालौन	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	छिरिया सलेमपुर	83	29 कि०मी०	उरई से जालौन से बंगरा रोड़
73	जालौन	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	पमां	69	34 कि०मी०	उरई से जालौन छिरिया सलेमपुर से 6 कि०मी० पहले
74	जालौन	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	वीरपुरा	102	15 कि०मी०	उरई से जालौन सात मील
75	जालौन	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	भदवां	140	33 कि०मी०	उरई से जालौन से औरैया सहाव मोड़
76	जालौन	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	धनौरा कलां	152	39 कि०मी०	उरई से जालौन से लौना रोड़
77	जालौन	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	खर्वा	43	22 कि०मी०	उरई जालौन रोड़
78	जालौन	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	कुंवरपुरा	51	29 कि०मी०	उरई से जालौन से बाबई रोड़
79	जालौन	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	हथना बुजुर्ग	40	43 कि०मी०	उरई से जालौन से बाबई रोड़
80	जालौन	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	नगरी	57	42 कि०मी०	उरई से जालौन से बाबई रोड़
81	जालौन	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	सदूपुरा	40	43 कि०मी०	उरई से जालौन से बाबई रोड़
82	जालौन	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	हरदोई राजा	70	26 कि०मी०	उरई से जालौन से बाबई रोड़
83	जालौन	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	सारंगपुर	60	29 कि०मी०	उरई से जालौन से कुठौन्द रोड़

अस्थाई / स्थाई गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित गौवंश की सूची।

1083

दिनांक:- 14-08-2023

क्र० सं०	विकास खण्ड / नगर पंचायत / नगर पालिका परिषद का नाम	गौ आश्रय स्थल का प्रकार	ग्राम का नाम	गौशाला में संरक्षित गौवंश की संख्या	जनपद मुख्यालय से गौ आश्रय स्थल की दूरी	गौ आश्रय स्थल जाने का रूट
84	जालौन	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	दहगुंवा	60	39 कि०मी०	उरई से जालौन से बाबई रोड़
85	जालौन	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	कुसमरा	115	28 कि०मी०	उरई से जालौन से बाबई रोड़
86	जालौन	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	पर्वतपुर	48	30 कि०मी०	उरई से जालौन से बाबई रोड़
87	जालौन	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	धन्तौली	150	36 कि०मी०	उरई से जालौन से कोंच रोड़
88	जालौन	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	खनुवां	60	37 कि०मी०	उरई से जालौन से कोंच रोड़
89	जालौन	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	देवरी (रनवा)	53	26 कि०मी०	उरई से जालौन से कोंच रोड़
90	जालौन	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	लहचूरा	42	29 कि०मी०	उरई से जालौन से कोंच रोड़
91	जालौन	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	लौना	72	22 कि०मी०	उरई से जालौन से लौना रोड़
92	जालौन	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	उदोतपुरा	50	25 कि०मी०	उरई से जालौन से कोंच रोड़
93	जालौन	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	सिकरी राजा	80	28 कि०मी०	उरई से जालौन से कोंच रोड़
94	जालौन	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	खजुरी	0	16 कि०मी०	उरई से जालौन सात मील
95	जालौन	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	माड़री	50	18 कि०मी०	उरई से जालौन सात मील
96	जालौन	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	शहजादपुरा	88	11 कि०मी०	उरई जालौन रोड़
97	जालौन	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	गायर	65	18 कि०मी०	उरई जालौन रोड़
98	जालौन	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	पहाड़पुरा	60	14 कि०मी०	उरई जालौन रोड़
99	जालौन	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	रुरामल्लू	95	19 कि०मी०	उरई जालौन रोड़
100	जालौन	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	अकोढ़ी दुबे	50	14 कि०मी०	उरई जालौन रोड़
101	जालौन	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	उरगांव	120	26 कि०मी०	उरई से जालौन से उरगांव मोड़
102	जालौन	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	सालाबाद	108	25 कि०मी०	उरई से जालौन से बंगरा रोड़
103	जालौन	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	सुढ़ार	58	24 कि०मी०	उरई से जालौन से बंगरा रोड़
104	जालौन	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	भिटारा	65	18 कि०मी०	उरई जालौन रोड़

अस्थाई / स्थाई गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित गौवंश की सूची।

1084

दिनांक:- 14-08-2023

क्र० सं०	विकास खण्ड / नगर पंचायत / नगर पालिका परिषद का नाम	गौ आश्रय स्थल का प्रकार	ग्राम का नाम	गौशाला में संरक्षित गौवंश की संख्या	जनपद मुख्यालय से गौ आश्रय स्थल की दूरी	गौ आश्रय स्थल जाने का रूट
105	जालौन	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	सिहारी पड़ेया	45	27 कि०मी०	उरई से जालौन से उरगांव रोड़
106	जालौन	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	ऐदलपुर (नवीन)	45	39 कि०मी०	उरई जालौन से बाबई रोड़
107	जालौन	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	सहाव (नवीन)	180	32 कि०मी०	उरई जालौन कुठौन्द सहाव मोड़
108	जालौन	स्थाई पशु आश्रय गृह	हीरापुर	290	27 कि०मी०	उरई जालौन कुठौन्द सहाव मोड़
109	जालौन	स्थाई कांजी हाउस	उरगांव	15	26 कि०मी०	उरई जालौन उरगांव
110	नगर पालिका परिषद जालौन	स्थाई कान्हा गौशाला	जालौन	204	24 कि०मी०	उरई जालौन कुठौन्द रोड़ पर प्रतापपुरा रोड़
111	कदौरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	छौंक	128	21 कि०मी०	उरई कालपी रोड़
112	कदौरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	बरखेरा	90	40 कि०मी०	वाया जोल्हपुर
113	कदौरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	उसरगांव	70	18 कि०मी०	उरई कालपी रोड़
114	कदौरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	संदी	90	21 कि०मी०	उरई से आटा होते हुए
115	कदौरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	उकासा	71	17 कि०मी०	उरई कालपी रोड़
116	कदौरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	बागी	248	58 कि०मी०	वाया कदौरा
117	कदौरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	उदनपुर	68	60 कि०मी०	उरई से कदौरा
118	कदौरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	कुसमरा बा०	162	63 कि०मी०	उरई से कदौरा
119	कदौरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	खुटमिली	52	60 कि०मी०	वाया कदौरा
120	कदौरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	करमचन्द्रपुर	51	38 कि०मी०	उरई से जोल्हपुर
121	कदौरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	गवई ब्रा० (मवई ब्रा०)	70	43 कि०मी०	उरई रो इटौरा
122	कदौरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	बरदौली	52	40 कि०मी०	वाया जोल्हपुर मोड़
123	कदौरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	मटरा	70	38 कि०मी०	वाया जोल्हपुर
124	कदौरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	परासन	156	35 कि०मी०	उरई से आटा, इटौरा होतु हुए

अस्थाई / स्थाई गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित गौवंश की सूची।

1085

दिनांक:- 14-08-2023

क्र० सं०	विकास खण्ड / नगर पंचायत / नगर पालिका परिषद का नाम	गौ आश्रय स्थल का प्रकार	ग्राम का नाम	गौशाला में संरक्षित गौवंश की संख्या	जनपद मुख्यालय से गौ आश्रय स्थल की दूरी	गौ आश्रय स्थल जाने का रूट
125	कदौरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	अमीसा	56	35 कि०मी०	उरई से आटा, इटौरा होतु हुए
126	कदौरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	कहटा हमीरपुर	72	35 कि०मी०	उरई से आटा, इटौरा होतु हुए
127	कदौरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	सुरहती	35	29 कि०मी०	उरई से आटा होते हुए
128	कदौरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	दशहरी	70	28 कि०मी०	उरई से आटा, इटौरा होतु हुए
129	कदौरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	सुनहटा	55	36 कि०मी०	उरई से आटा, इटौरा होतु हुए
130	कदौरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	इमिलिया बु०	65	35 कि०मी०	उरई से आटा, इटौरा होतु हुए
131	कदौरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	जौराखेरा	55	26 कि०मी०	उरई से सन्दी होते हुए
132	कदौरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	बारा	35	30 कि०मी०	उरई से इटौरा होकर
133	कदौरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	कुआंखेड़ा (दादूपुर)	35	33 कि०मी०	उरई से इटौरा होकर
134	कदौरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	लुहरगांव	43	45 कि०मी०	वाया जोल्हूपुर मोड़
135	कदौरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	अकबरपुर	231	27 कि०मी०	उरई से आटा होकर
136	कदौरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	कुरेहना आ०	102	31 कि०मी०	उरई से आटा होकर
137	कदौरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	कानाखेडा	42	65 कि०मी०	वाया कदौरा
138	कदौरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	पथरेहटा	53	66 कि०मी०	वाया कदौरा
139	कदौरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	बसारेही	211	60 कि०मी०	उरई से कदौरा होते हुए
140	कदौरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	इकौना	153	61 कि०मी०	वाया कदौरा
141	कदौरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	गरैही	155	38 कि०मी०	उरई से कदौरा होते हुए
142	कदौरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	मसगाया	51	28 कि०मी०	वाया उसरगांव
143	कदौरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	पिपरायां	131	22 कि०मी०	उरई से आटा होकर
144	कदौरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	इटौरा गुरु	50	27 कि०मी०	उरई से आटा होकर
145	कदौरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	बबीना	55	45 कि०मी०	वाया जोल्हूपुर

अस्थाई / स्थाई गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित गौवंश की सूची।

1086

दिनांक:- 14-08-2023

क्र० सं०	विकास खण्ड / नगर पंचायत / नगर पालिका परिषद का नाम	गौ आश्रय स्थल का प्रकार	ग्राम का नाम	गौशाला में संरक्षित गौवंश की संख्या	जनपद मुख्यालय से गौ आश्रय स्थल की दूरी	गौ आश्रय स्थल जाने का रूट
146	कदौरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	उकुरुवा	191	70 कि०मी०	वाया कदौरा
147	कदौरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	हरचन्दपुर	44	58 कि०मी०	वाया कदौरा
148	कदौरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	रैला	67	67 कि०मी०	वाया कदौरा
149	कदौरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	जमरेही	54	65 कि०मी०	वाया कदौरा
150	कदौरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	आटा	170	17 कि०मी०	उरई से कालपी रोड़
151	कदौरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	चतेला	169	61 कि०मी०	वाया कदौरा
152	कदौरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	भेड़ी खुर्द	67	63 कि०मी०	वाया कदौरा
153	कदौरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	कठपुरवा	31	49 कि०मी०	वाया जोल्हूपुर
154	कदौरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	मरगांया	195	64 कि०मी०	वाया कदौरा
155	कदौरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	काशीरामपुर	127	40 कि०मी०	वाया जोल्हूपुर
156	कदौरा	स्थाई पशु आश्रय गृह	सुरौली मु०	72	44 कि०मी०	वाया जोल्हूपुर मोड़
157	कदौरा	स्थाई गौवंश वन्य विहार	चमारी	618	14 कि०मी०	उरई कालपी रोड़
158	कदौरा	स्थाई कांजी हाउस	काशीरामपुर	100	32 कि०मी०	वाया जोल्हूपुर
159	कदौरा	स्थाई कांजी हाउस	आटा	14	16 कि०मी०	उरई कालपी रोड़
160	कदौरा	स्थाई कांजी हाउस	अकबरपुर इटौरा	10	27 कि०मी०	उरई से आटा होकर
161	कदौरा	स्थाई कांजी हाउस	बबीना	16	45 कि०मी०	वाया जोल्हूपुर
162	कदौरा	स्थाई कांजी हाउस	छौंक	16	21 कि०मी०	उरई कालपी रोड़
163	नगर पालिका परिसद कापली	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	कालपी	165	55 कि०मी०	वाया उरई कालपी रोड़
164	नगर पंचायत कदौरा	स्थाई कान्हा गौशाला	कदौरा	266	48 कि०मी०	वाया जोल्हूपुर
165	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	नरी	85	40 कि०मी०	वाया पहाड़गांव
166	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	पहाड़गांव	120	36 कि०मी०	वाया पहाड़गांव

अस्थाई / स्थाई गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित गौवंश की सूची।

1087

दिनांक:- 14-08-2023

क्र० सं०	विकास खण्ड / नगर पंचायत / नगर पालिका परिषद का नाम	गौ आश्रय स्थल का प्रकार	ग्राम का नाम	गौशाला में संरक्षित गौवंश की संख्या	जनपद मुख्यालय से गौ आश्रय स्थल की दूरी	गौ आश्रय स्थल जाने का रूट
167	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	भेंपता	42	32 कि०मी०	वाया भेप्ता
168	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	चंदुरा	82	30 कि०मी०	वाया पिण्डारी
169	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	चमारी	48	35 कि०मी०	वाया पहाड़गांव
170	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	ईगुई खुर्द	30	32 कि०मी०	वाया पिरौना हाइवे
171	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	पचीपुरा कला	76	33 कि०मी०	वाया जालौन
172	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	हिंणुटा	30	45 कि०मी०	वाया महेशपुरा
173	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	सामी	115	50 कि०मी०	वाया महेशपुरा
174	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	कुड़ा	90	50 कि०मी०	वाया बोहरा
175	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	भडारी	90	38 कि०मी०	वाया महेशपुरा
176	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	फुलैला	55	40 कि०मी०	वाया कैलिया
177	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	किशुनपुरा	42	40 कि०मी०	वाया कैलिया
178	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	सुनाया	65	36 कि०मी०	वाया पहाड़गांव
179	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	भदेवरा	72	33 कि०मी०	वाया नदीगांव
180	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	अटा	45	40 कि०मी०	वाया नदीगांव
181	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	कुवेंरपुरा	70	33 कि०मी०	वाया बंगरा
182	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	गोराकरनपुर	66	36 कि०मी०	वाया बंगरा
183	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	बस्ती	62	38 कि०मी०	वाया बंगरा
184	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	बिलौया	50	35 कि०मी०	वाया विलौया
185	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	सतोह	90	32 कि०मी०	वाया एट सतोह
186	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	अमीटा	78	30 कि०मी०	वाया एट
187	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	जमरोही कला	25	32 कि०मी०	वाया जमरोही रोड़

अस्थाई / स्थाई गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित गौवंश की सूची।

1088

दिनांक:- 14-08-2023

क्र० सं०	विकास खण्ड / नगर पंचायत / नगर पालिका परिषद का नाम	गौ आश्रय स्थल का प्रकार	ग्राम का नाम	गौशाला में संरक्षित गौवंश की संख्या	जनपद मुख्यालय से गौ आश्रय स्थल की दूरी	गौ आश्रय स्थल जाने का रूट
188	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	जुझारपुरा	55	33 कि०मी०	वाया महेशपुरा
189	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	बरोदाकला	80	35 कि०मी०	वाया कैलिया
190	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	बोहरा	40	35 कि०मी०	वाया कैलिया
191	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	भरसूड़ा	122	35 कि०मी०	वाया भरसूड़ा
192	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	पड़री	60	26 कि०मी०	वाया कोंच
193	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	भदारी	78	23 कि०मी०	वाया कोंच
194	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	अण्डा	148	33 कि०मी०	वाया कोंच
195	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	घुसिया	80	32 कि०मी०	वाया पिण्डारी
196	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	बिरगुवा बुजुर्ग	60	36 कि०मी०	वाया कोंच
197	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	छानी	55	38 कि०मी०	वाया जालौन
198	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	चमरसेना	68	33 कि०मी०	वाया कोंच
199	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	इमलौरी	55	37 कि०मी०	वाया कैलिया
200	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	परैथा	70	33 कि०मी०	वाया पहाड़गांव
201	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	लौना	116	32 कि०मी०	वाया बंगरा
202	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	पनयारा	34	23 कि०मी०	वाया कोंच
203	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	दिरावटी	81	25 कि०मी०	वाया कोंच
204	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	कैथी	73	18 कि०मी०	वाया कोंच
205	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	सिमिरिया	40	26 कि०मी०	वाया कोंच
206	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	ताहरपुरा	35	26 कि०मी०	वाया कोंच
207	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	पिण्डारी	119	47 कि०मी०	वाया महेशपुरा
208	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	पिरौना	62	35 कि०मी०	वाया पिरौना हाइवे

अस्थाई / स्थाई गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित गौवंश की सूची।

1089

दिनांक:- 14-08-2023

क्र० सं०	विकास खण्ड / नगर पंचायत / नगर पालिका परिषद का नाम	गौ आश्रय स्थल का प्रकार	ग्राम का नाम	गौशाला में संरक्षित गौवंश की संख्या	जनपद मुख्यालय से गौ आश्रय स्थल की दूरी	गौ आश्रय स्थल जाने का रूट
209	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	बसोव	90	32 कि०मी०	वाया बसोव
210	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	चौदनी	80	35 कि०मी०	वाया पिण्डारी
211	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	धमसेनी	50	32 कि०मी०	वाया धमसेनी
212	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	असुपुरा	65	47 कि०मी०	वाया महेशपुरा
213	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	विरासनी	50	42 कि०मी०	वाया महेशपुरा
214	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	बिरगुवा खुर्द	78	37 कि०मी०	वाया महेशपुरा
215	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	चमेड़	45	37 कि०मी०	वाया महेशपुरा
216	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	ईगुई कला	26	38 कि०मी०	वाया ईगुई कला
217	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	जखौली	115	32 कि०मी०	वाया एट हाइवे
218	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	कौशलपुर	70	36 कि०मी०	वाया पहाड़गांव
219	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	खैरी	35	36 कि०मी०	वाया कैलिया
220	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	कुदारी कोंच	45	38 कि०मी०	वाया महेशपुरा
221	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	पचीपुरी	75	36 कि०मी०	वाया महेशपुरा
222	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	छिरावली	62	35 कि०मी०	वाया भरसूड़ा
223	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	गुमावली	22	34 कि०मी०	वाया गुमावली
224	कोंच	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	जमरोही खुर्द	55	35 कि०मी०	वाया जमरोही रोड़
225	कोंच	स्थाई कांजी हाउस	एट	23	25 कि०मी०	वाया एट हाइवे
226	कोंच	स्थाई कांजी हाउस	सैदनगर	12	35 कि०मी०	वाया सैदनगर
227	नगर पालिका परिषद कोंच	स्थाई कान्हा गौशाला	कोंच	282	25 कि०मी०	वाया कोंच
228	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	देवगाँव	180	43 कि०मी०	वाया कोंच
229	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	कैलिया बुजुर्ग	65	52 कि०मी०	वाया कोंच

अस्थाई / स्थाई गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित गौवंश की सूची।

1090

दिनांक:- 14-08-2023

क्र० सं०	विकास खण्ड / नगर पंचायत / नगर पालिका परिषद का नाम	गौ आश्रय स्थल का प्रकार	ग्राम का नाम	गौशाला में संरक्षित गौवंश की संख्या	जनपद मुख्यालय से गौ आश्रय स्थल की दूरी	गौ आश्रय स्थल जाने का रूट
230	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	व्योना राजा	90	54 कि०मी०	वाया कोंच
231	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	पचीपुरा खुर्द	65	51 कि०मी०	वाया कोंच
232	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	लाडूपुरा	45	53 कि०मी०	वाया कोंच
233	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	जगनपुरा	44	46 कि०मी०	वाया कोंच
234	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	खुटैला	46	43 कि०मी०	वाया कोंच
235	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	धौरपुर	44	48 कि०मी०	वाया कोंच
236	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	धिलौर	110	53 कि०मी०	वाया कोंच
237	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	लोहई	90	50 कि०मी०	वाया कोंच
238	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	कुसमरा	52	54 कि०मी०	वाया बंगरा
239	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	गिदवासा	47	52 कि०मी०	वाया कोंच
240	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	सुलखना	80	44 कि०मी०	वाया जालौन
241	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	खकसीस	300	40 कि०मी०	वाया जालौन
242	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	धंजा	110	42 कि०मी०	वाया जालौन
243	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	क्योलारी	135	41 कि०मी०	वाया जालौन
244	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	सलैया खुर्द	45	51 कि०मी०	वाया कोंच
245	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	राजीपुरा	62	47 कि०मी०	वाया कोंच
246	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	बसीठ	46	46 कि०मी०	वाया कोंच
247	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	ककरौली	44	50 कि०मी०	वाया कोंच
248	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	महेशपुरा	41	49 कि०मी०	वाया कोंच
249	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	गड़ेरना	82	47 कि०मी०	वाया जालौन
250	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	बंगरा	170	38 कि०मी०	वाया जालौन

अस्थाई / स्थाई गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित गौवंश की सूची।

1091

दिनांक:- 14-08-2023

क्र० सं०	विकास खण्ड / नगर पंचायत / नगर पालिका परिषद का नाम	गौ आश्रय स्थल का प्रकार	ग्राम का नाम	गौशाला में संरक्षित गौवंश की संख्या	जनपद मुख्यालय से गौ आश्रय स्थल की दूरी	गौ आश्रय स्थल जाने का रूट
251	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	इटौरा (रुदावली)	83	46 कि०मी०	वाया जालौन
252	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	कमसेरा	115	35 कि०मी०	वाया जालौन
253	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	कुदारी माधौ०	80	45 कि०मी०	वाया जालौन
254	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	कुठौन्दा	140	48 कि०मी०	वाया जालौन
255	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	महतवानी	80	46 कि०मी०	वाया जालौन
256	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	रबा	30	37 कि०मी०	वाया जालौन
257	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	परावर	60	60 कि०मी०	वाया जालौन
258	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	उमरी माधौ०	40	52 कि०मी०	वाया जालौन
259	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	रौरा	52	55 कि०मी०	वाया जालौन
260	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	मानपुरा	30	52 कि०मी०	वाया जालौन
261	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	नावली	60	58 कि०मी०	वाया जालौन
262	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	रेंढर	160	50 कि०मी०	वाया जालौन
263	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	छिरिया खुर्द	40	53 कि०मी०	वाया जालौन
264	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	इगुई माधौ०	60	47 कि०मी०	वाया जालौन
265	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	कन्हरपुरा	75	52 कि०मी०	वाया जालौन
266	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	जुगराजपुरा	98	48 कि०मी०	वाया कोंच
267	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	कैलिया खुर्द	45	43 कि०मी०	वाया कोंच
268	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	अकनीवा	60	46 कि०मी०	वाया कोंच
269	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	कटकरी बु०	55	48 कि०मी०	वाया कोंच
270	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	बदउवां	82	37 कि०मी०	वाया जालौन
271	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	सदूपुरा	60	38 कि०मी०	वाया जालौन

अस्थाई / स्थाई गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित गौवंश की सूची।

1092

दिनांक:- 14-08-2023

क्र० सं०	विकास खण्ड / नगर पंचायत / नगर पालिका परिषद का नाम	गौ आश्रय स्थल का प्रकार	ग्राम का नाम	गौशाला में संरक्षित गौवंश की संख्या	जनपद मुख्यालय से गौ आश्रय स्थल की दूरी	गौ आश्रय स्थल जाने का रूट
272	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	कनासी	60	43 कि०मी०	वाया कोंच
273	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	भेड़	80	34 कि०मी०	वाया जालौन
274	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	धनौरा	45	39 कि०मी०	वाया जालौन
275	नदीगांव	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	तीतरा खलीलपुर	70	40 कि०मी०	वाया कोंच
276	नदीगांव	स्थाई पशु आश्रय गृह	रूपपुरा	200	54 कि०मी०	वाया कोंच
277	नदीगांव	स्थाई गौवंश वन्य विहार	ऐवरा	205	56 कि०मी०	वाया कोंच
278	नदीगांव	स्थाई कांजी हाउस	बंगरा	10	41 कि०मी०	वाया जालौन
279	नदीगांव	स्थाई कांजी हाउस	रेंडर	10	50 कि०मी०	वाया जालौन
280	नगर पंचायत नदीगांव	स्थाई कान्हा गौशाला	नदीगांव	482	50 कि०मी०	वाया कोंच
281	माधौगढ़	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	कैलोर	77	47 कि०मी०	वाया बंगरा
282	माधौगढ़	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	अमखेड़ा	396	40 कि०मी०	वाया जालौन
283	माधौगढ़	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	अहेता	60	42 कि०मी०	वाया बंगरा
284	माधौगढ़	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	मडोरी	190	30 कि०मी०	वाया साह मोड़
285	माधौगढ़	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	ऊँचा	53	52 कि०मी०	वाया माधौगढ़
286	माधौगढ़	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	मींगनी	55	52 कि०मी०	वाया माधौगढ़
287	माधौगढ़	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	रामहेतपुरा	120	42 कि०मी०	वाया माधौगढ़
288	माधौगढ़	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	गोरा भूपका	80	32 कि०मी०	साह मोड़
289	माधौगढ़	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	पड़कुला	65	30 कि०मी०	साह मोड़
290	माधौगढ़	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	अतरेहटी	85	48 कि०मी०	वाया बंगरा
291	माधौगढ़	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	रामपुरा माधौगढ़	70	53 कि०मी०	वाया माधौगढ़
292	माधौगढ़	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	चितौरा	58	52 कि०मी०	वाया माधौगढ़

अस्थाई / स्थाई गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित गौवंश की सूची।

1093

दिनांक:- 14-08-2023

क्र० सं०	विकास खण्ड / नगर पंचायत / नगर पालिका परिषद का नाम	गौ आश्रय स्थल का प्रकार	ग्राम का नाम	गौशाला में संरक्षित गौवंश की संख्या	जनपद मुख्यालय से गौ आश्रय स्थल की दूरी	गौ आश्रय स्थल जाने का रूट
293	माधौगढ़	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	बोहरा	119	43 कि०मी०	वाया अमखेड़ा
294	माधौगढ़	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	चाकी	190	42 कि०मी०	वाया अमखेड़ा
295	माधौगढ़	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	शहबाजपुर	176	40 कि०मी०	वाया साह मोड़
296	माधौगढ़	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	सिंहारी माधौगढ़	164	48 कि०मी०	वाया माधौगढ़
297	माधौगढ़	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	हरौली	95	55 कि०मी०	वाया माधौगढ़
298	माधौगढ़	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	सरावन (नवीन)	307	37 कि०मी०	वाया साह मोड़
299	माधौगढ़	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	कुरसेड़ा	58	54 कि०मी०	वाया माधौगढ़
300	माधौगढ़	स्थाई कांजी हाउस	गोहन	11	40 कि०मी०	वाया साह मोड़
301	माधौगढ़	स्थाई कांजी हाउस	अमखेड़ा	13	40 कि०मी०	वाया जालौन
302	नगर पंचायत माधौगढ़	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	माधौगढ़	126	50 कि०मी०	वाया बंगरा
303	रामपुरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	नरौल	97	71 कि०मी०	उरई से रामपुरा से नरौल।
304	रामपुरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	चन्दावली	45	80 कि०मी०	उरई से रामपुरा से चन्दावली
305	रामपुरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	गोरा चिरैया	52	69 कि०मी०	उरई से रामपुरा से गोरा चिरैया
306	रामपुरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	मजीठ	149	71 कि०मी०	उरई से रामपुरा से मजीठ
307	रामपुरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	निनावली जागीर	100	67 कि०मी०	उरई से रामपुरा से निनावली जागीर
308	रामपुरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	धरमपुरा जागीर	70	67 कि०मी०	उरई से रामपुरा से धरमपुरा जागीर
309	रामपुरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	जगम्मनपुर	315	70 कि०मी०	उरई से रामपुरा से जगम्मनपुर
310	रामपुरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	हुसेपुरा जागीर	90	71 कि०मी०	उरई से रामपुरा से हुसेपुरा जागीर
311	रामपुरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	लिडऊपुर	98	76 कि०मी०	उरई से रामपुरा से लिडऊपुर
312	रामपुरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	मई	110	66 कि०मी०	उरई से रामपुरा से मई।
313	रामपुरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	जायघा	100	67 कि०मी०	उरई से रामपुरा से जायघा।

अस्थाई / स्थाई गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित गौवंश की सूची।

1094

दिनांक:- 14-08-2023

क्र० सं०	विकास खण्ड / नगर पंचायत / नगर पालिका परिषद का नाम	गौ आश्रय स्थल का प्रकार	ग्राम का नाम	गौशाला में संरक्षित गौवंश की संख्या	जनपद मुख्यालय से गौ आश्रय स्थल की दूरी	गौ आश्रय स्थल जाने का रूट
314	रामपुरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	महतौली	60	76 कि०मी०	उरई से रामपुरा से महतौली।
315	रामपुरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	हमीरपुरा	90	72 कि०मी०	उरई से रामपुरा से हमीरपुरा।
316	रामपुरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	धूता	85	74 कि०मी०	उरई से रामपुरा से धूता
317	रामपुरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	जमरेही सानी	60	76 कि०मी०	उरई से रामपुरा से जमरेही सानी।
318	रामपुरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	मानपुरा	65	76 कि०मी०	उरई से रामपुरा से मानपुरा।
319	रामपुरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	टीहर	68	64 कि०मी०	उरई से रामपुरा से टीहर।
320	रामपुरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	बहराई	85	73 कि०मी०	उरई से रामपुरा से बहराई।
321	रामपुरा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	उदोतपुरा जागीर	100	74 कि०मी०	उरई से रामपुरा से उदोतपुरा जागीर।
322	रामपुरा	स्थाई पशु आश्रय गृह	कंझारी	85	80 कि०मी०	उरई से रामपुरा से कंझारी।
323	नगर पंचायत रामपुरा	स्थाई कान्हा गौशाला	रामपुरा	237	63 कि०मी०	उरई से रामपुरा।
324	नगर पंचायत ऊमरी	स्थाई कान्हा गौशाला	ऊमरी	237	69 कि०मी०	उरई से माधौगढ़ से रामपुरा से ऊमरी।
325	कुठौन्द	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	नीमगाँव	58	60 कि०मी०	वाया कुठौन्द
326	कुठौन्द	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	रामपुरा जालौन	48	58 कि०मी०	वाया कुठौन्द
327	कुठौन्द	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	करतलपुर	41	48 कि०मी०	वाया मदारीपुर
328	कुठौन्द	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	कैथवा	82	46 कि०मी०	वाया मदारीपुर
329	कुठौन्द	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	मडोरा	30	44 कि०मी०	वाया मदारीपुर
330	कुठौन्द	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	रोमई मु०	61	65 कि०मी०	वाया सनगढ़
331	कुठौन्द	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	भदेख	103	60 कि०मी०	वाया नैनापुर
332	कुठौन्द	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	लहरकनार	76	62 कि०मी०	वाया कुठौन्द
333	कुठौन्द	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	टिकरी मु०	86	65 कि०मी०	वाया कुठौन्द
334	कुठौन्द	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	नौरैजपुर	62	59 कि०मी०	वाया कुठौन्द

अस्थाई / स्थाई गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित गौवंश की सूची।

1095

दिनांक:- 14-08-2023

क्र० सं०	विकास खण्ड / नगर पंचायत / नगर पालिका परिषद का नाम	गौ आश्रय स्थल का प्रकार	ग्राम का नाम	गौशाला में संरक्षित गौवंश की संख्या	जनपद मुख्यालय से गौ आश्रय स्थल की दूरी	गौ आश्रय स्थल जाने का रूट
336	कुठौन्द	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	तरसौर	84	48 कि०मी०	वाया सिरसा कलार
336	कुठौन्द	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	बस्तेपुर	81	42 कि०मी०	वाया बस्तेपुर
337	कुठौन्द	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	सिहारी चैलापुर	58	44 कि०मी०	वाया बस्तेपुर
338	कुठौन्द	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	दौन	51	46 कि०मी०	वाया बस्तेपुर
339	कुठौन्द	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	चौथ	32	57 कि०मी०	वाया नैनापुर
340	कुठौन्द	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	सलेमपुर कालपी	65	53 कि०मी०	वाया कुठौन्द
341	कुठौन्द	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	नैनापुर	22	55 कि०मी०	वाया नैनापुर
342	कुठौन्द	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	पीपरी गहरवार	86	53 कि०मी०	वाया कुठौन्द
343	कुठौन्द	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	तौलकपुर	49	62 कि०मी०	वाया कुठौन्द
344	कुठौन्द	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	कुठौन्द	135	50 कि०मी०	वाया कुठौन्द
345	कुठौन्द	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	मदनेपुर (नाहिली)	85	49 कि०मी०	वाया कुठौन्द
346	कुठौन्द	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	सुरावली जालौन	80	53 कि०मी०	वाया कुठौन्द
347	कुठौन्द	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	निजामपुर	41	53 कि०मी०	वाया कुठौन्द
348	कुठौन्द	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	कोटा मु०	49	62 कि०मी०	वाया कुठौन्द
349	कुठौन्द	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	कुरौली	37	58 कि०मी०	वाया कुठौन्द
350	कुठौन्द	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	हाजीपुर	70	59 कि०मी०	वाया कुठौन्द
351	कुठौन्द	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	सिलउवा जागीर	71	62 कि०मी०	वाया कुठौन्द
352	कुठौन्द	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	वावली	128	55 कि०मी०	वाया कुठौन्द
353	कुठौन्द	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	मदारीपुर	77	45 कि०मी०	वाया मदारीपुर
354	कुठौन्द	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	विजुआपुर	73	59 कि०मी०	वाया कुठौन्द
355	कुठौन्द	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	पण्डितपुर	73	50 कि०मी०	वाया मदारीपुर

अस्थाई / स्थाई गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित गौवंश की सूची।

1096

दिनांक:- 14-08-2023

क्र.सं.	विकास खण्ड / नगर पंचायत / नगर पालिका परिषद का नाम	गौ आश्रय स्थल का प्रकार	ग्राम का नाम	गौशाला में संरक्षित गौवंश की संख्या	जनपद मुख्यालय से गौ आश्रय स्थल की दूरी	गौ आश्रय स्थल जाने का रूट
356	कुठौन्द	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	ईटो	155	61 कि०मी०	वाया कुठौन्द
357	कुठौन्द	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	सिरसा कलार	195	50 कि०मी०	वाया मदारीपुर
358	कुठौन्द	स्थाई कांजी हाउस	सिरसा कलार	11	51 कि०मी०	वाया मदारीपुर
359	कुठौन्द	स्थाई कांजी हाउस	कुठौन्द	14	50 कि०मी०	वाया कुठौन्द
360	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	दमरस	81	40 कि०मी०	वाया न्यामतपुर
361	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	धामनी	40	45 कि०मी०	वाया न्यामतपुर
362	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	मत्थुआ	62	47 कि०मी०	वाया न्यामतपुर
363	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	भिटारी	66	45 कि०मी०	वाया न्यामतपुर
364	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	मडैया	57	55 कि०मी०	वाया न्यामतपुर
365	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	रिनिया वैदेपुर	92	25 कि०मी०	वाया चुर्खी
366	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	न्यामतपुर	136	30 कि०मी०	वाया न्यामतपुर
367	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	चुर्खी	58	20 कि०मी०	वाया चुर्खी
368	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	हीरापुर	65	48 कि०मी०	वाया कालपी
369	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	देवकली	48	46 कि०मी०	वाया कालपी
370	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	मंगरौल मु०	62	47 कि०मी०	वाया जोल्हूपुर मोड़
371	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	कीरतपुर	32	50 कि०मी०	वाया जोल्हूपुर मोड़
372	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	गुढाखास	65	50 कि०मी०	वाया जोल्हूपुर मोड़
373	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	सिकरी रहमानपुर	80	50 कि०मी०	वाया जोल्हूपुर मोड़
374	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	पिपरौंधा	130	42 कि०मी०	वाया जोल्हूपुर मोड़
375	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	सतरहजू	52	38 कि०मी०	वाया न्यामतपुर
376	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	खांखरी	67	30 कि०मी०	वाया मुसमरिया

अस्थाई / स्थाई गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित गौवंश की सूची।

1097

दिनांक:- 14-08-2023

क्र.सं.	विकास खण्ड / नगर पंचायत / नगर पालिका परिषद का नाम	गौ आश्रय स्थल का प्रकार	ग्राम का नाम	गौशाला में संरक्षित गौवंश की संख्या	जनपद मुख्यालय से गौ आश्रय स्थल की दूरी	गौ आश्रय स्थल जाने का रूट
377	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	हथनौरा (गोराकला)	40	42 कि०मी०	वाया जोल्हूपुर मोड़
378	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	कुकहनू	40	28 कि०मी०	वाया चुर्खी
379	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	बम्होरा	50	32 कि०मी०	वाया चुर्खी
380	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	बीजापुर	40	28 कि०मी०	वाया आटा
381	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	सिम्हारा कासिमपुर	68	37 कि०मी०	वाया न्यामतपुर
382	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	जीतामऊ मुस्तकिल	53	40 कि०मी०	वाया न्यामतपुर
383	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	सरैनी मुस्तकिल	60	42 कि०मी०	वाया न्यामतपुर
384	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	खडगुई मुस्तकिल	58	48 कि०मी०	वाया न्यामतपुर
385	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	पाल	35	48 कि०मी०	वाया न्यामतपुर
386	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	सिमरा शेखपुर	62	50 कि०मी०	वाया चुर्खी
387	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	कोड़ा किराही	67	42 कि०मी०	वाया न्यामतपुर
388	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	बिनौरा बैध	60	28 कि०मी०	वाया ककहारा
389	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	सधारा	105	28 कि०मी०	वाया मुसमरिया
390	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	मुसमरिया	45	19 कि०मी०	वाया चुर्खी रोड़
391	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	नूरपुर	60	27 कि०मी०	वाया मुसमरिया
392	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	अटराकला	38	30 कि०मी०	वाया चुर्खी
393	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	अटराखुर्द	38	32 कि०मी०	वाया चुर्खी
394	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	पिथरूपुर	62	50 कि०मी०	वाया न्यामतपुर
395	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	चरसौनी	32	32 कि०मी०	वाया चुर्खी, बाबई
396	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	बाबई	210	27 कि०मी०	वाया चुर्खी
397	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	अभैदेपुर	105	35 कि०मी०	वाया चुर्खी, न्यामतपुर

अस्थाई / स्थाई गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित गौवंश की सूची।


दिनांक:- 14-08-2023

1098

क्र० सं०	विकास खण्ड / नगर पंचायत / नगर पालिका परिषद का नाम	गौ आश्रय स्थल का प्रकार	ग्राम का नाम	गौशाला में संरक्षित गौवंश की संख्या	जनपद मुख्यालय से गौ आश्रय स्थल की दूरी	गौ आश्रय स्थल जाने का रूट
398	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	शाहजहांपुर	88	29 कि०मी०	वाया आटा
399	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	सरसेला	85	30 कि०मी०	वाया उसरगांव
400	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	बैरई	85	35 कि०मी०	वाया जोल्हपुर मोड़
401	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	महेवा	75	40 कि०मी०	वाया जोल्हपुर मोड़
402	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	कुटरा मु०	85	44 कि०मी०	वाया जोल्हपुर मोड़
403	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	खैरई	32	35 कि०मी०	वाया जोल्हपुर मोड़
404	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	भगौरा	60	48 कि०मी०	वाया न्यामतपुर
405	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	निपनियां	80	42 कि०मी०	वाया न्यामतपुर
406	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	निबहना	40	50 कि०मी०	वाया जोल्हपुर मोड़
407	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	पड़री मु०	40	50 कि०मी०	वाया जोल्हपुर मोड़
408	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	दहेलखण्ड	75	60 कि०मी०	वाया जोल्हपुर मोड़
409	महेवा	अस्थाई गौ आश्रय स्थल	उरकरा कला	55	62 कि०मी०	वाया जोल्हपुर मोड़
410	महेवा	स्थाई कांजी हाउस	दमरास	11	43 कि०मी०	वाया चुर्खी रोड़

(Handwritten signature)

जनपद में स्थापित गौशालाओं में नैपियर घास/हरा चारा की उपलब्धता का विवरण।					
क्र०सं०	वि०ख० का नाम	गौवंश आश्रय स्थल की संख्या	नैपियर घास बुवाई का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	बरसीन/चरी/ज्वार बुवाई का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	योग
		3	4	5	
1	2	39	12.751	27.959	40.710
1	जालौन	33	5.763	3.8	9.563
2	कुठौन्द	20	4.27	5.55	9.820
3	रामपुरा	51	5.710	7.784	13.494
4	नदीगांव	20	5.31	2.81	8.120
5	माधौगढ़	62	20.59	40.55	61.140
6	डकोर	60	6.449	3.402	9.851
7	कोंच	51	18.27	2.98	21.250
8	महेवा	47	9.315	3.728	13.043
9	कदौरा	383	88.428	98.563	186.991
	योग				


 मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
 जनपद जालौन

1100

विकास खण्ड - जालौन

दिनांक 13.07.2023

क्र.सं०	विकास खण्ड	गौशाला का नाम	नैपियर घास बुवाई का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	बरसीन/घरी/ज्वार बुवाई का क्षेत्रफल (बीघा में)
1	2	3	4	5
1	जालौन	गधेला	0.600	0.500
2	जालौन	हरदोई राजा	0.205	1.000
3	जालौन	सारंगपुर	0.310	0.900
4	जालौन	देवरी	0.320	1.000
5	जालौन	धन्तौली	0.397	0.210
6	जालौन	खनुवां	0.700	1.000
7	जालौन	लहचूरा	0.000	0.000
8	जालौन	दहगुवां	0.380	1.500
9	जालौन	पर्वतपुर	0.160	1.800
10	जालौन	कुसमरा	0.300	1.000
11	जालौन	सिंहारी पडैया	0.160	0.800
12	जालौन	ऐदलपुर	0.340	0.170
13	जालौन	नाइरी	0.300	1.500
14	जालौन	शहजादपुरा	0.160	1.000
15	जालौन	खजुरी	0.000	0.800
16	जालौन	हीरापुर	0.650	1.000
17	जालौन	भदवां	0.600	0.210
18	जालौन	सहाव	0.000	1.000
19	जालौन	वीरपुरा	0.670	0.000
20	जालौन	भिटारा	0.170	1.000

1101

क्र०सं०	विकास खण्ड	गौशाला का नाम	नीचियर घास बुवाई का क्षेत्रफल (हेक्टर)	चररीन/घरी/ज्वार बुवाई का क्षेत्रफल (बीघा में)
1	2	3	4	5
21	जालौन	सालाबाद	0.000	0.000
22	जालौन	सुन्दर	0.383	0.900
23	जालौन	छिरिया सलेमपुर	0.324	0.800
24	जालौन	ओरेखी	0.340	0.200
25	जालौन	धमा	0.430	0.200
26	जालौन	कुंवरपुरा	0.320	0.240
27	जालौन	खर्सा	0.162	1.400
28	जालौन	धनौरा कला	0.255	0.089
29	जालौन	उदोतपुरा	0.700	0.000
30	जालौन	लौना	0.640	0.400
31	जालौन	सिकरी राजा	0.600	0.500
32	जालौन	पहाडपुरा	0.162	1.000
33	जालौन	अकोडी दुबे	0.170	1.500
34	जालौन	उरगांव	1.200	0.140
35	जालौन	रुसमल्लू	0.162	1.000
36	जालौन	गायर	0.161	1.500
37	जालौन	सदूपुरा	0.000	0.900
38	जालौन	नगरी	0.320	0.800
39	जालौन	दथना वुजुर्ग	0.000	0.000
		योग	12.751	27.959


 विकास अधिकारी
 जालौन
 Accpt.

विकास खण्ड में स्थापित गौशालाओं में नेपियर घास/हस द्वारा की उपलब्धता का विवरण

विकास खण्ड/नगर निकाय का नाम - कुठौन्द

1102


दिनांक 12.07.2023

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	गौशाला का नाम	नेपियर घास बुवाई का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	बरसीम/ज्वार/घरी बुवाई का क्षेत्रफल हे० में
1	कुठौन्द	नीमगाँव	0.160	0.000
2	कुठौन्द	रामपुरा जालौन	0.160	0.160
3	कुठौन्द	करतलापुर	0.240	0.240
4	कुठौन्द	कैथवा	0.120	0.080
5	कुठौन्द	मडोरा	0.200	0.160
6	कुठौन्द	रोमई मु०	0.160	0.080
7	कुठौन्द	भदेख दिवारा	0.240	0.600
8	कुठौन्द	लहरकनार	0.160	0.000
9	कुठौन्द	टिकरी मु०	0.080	0.120
10	कुठौन्द	नौरंजपुर	0.160	0.000
11	कुठौन्द	तरसौर	0.240	0.080
12	कुठौन्द	बस्तेपुर	0.240	0.600
13	कुठौन्द	सिहारी चैलापुर	0.160	0.000
14	कुठौन्द	दौन	0.240	0.080
15	कुठौन्द	चौथ	0.080	0.000
16	कुठौन्द	सलेमपुर कालपी	0.240	0.160
17	कुठौन्द	नैनापुर	0.080	0.000
18	कुठौन्द	पीपरी गहरवार	0.080	0.080
19	कुठौन्द	तौलकपुर	0.080	0.000
20	कुठौन्द	कुठौन्द	0.480	0.160
21	कुठौन्द	मदनेपुर (नाहिली)	0.160	0.080
22	कुठौन्द	सुरावली जालौन	0.083	0.080
23	कुठौन्द	निजामपुर	0.160	0.000
24	कुठौन्द	कोटा मु०	0.120	0.160
25	कुठौन्द	कुरौली	0.120	0.080
26	कुठौन्द	हाजीपुर	0.160	0.000
27	कुठौन्द	सिलसवा जागीर	0.160	0.080
28	कुठौन्द	वावली	0.320	0.160
29	कुठौन्द	मदारीपुर	0.200	0.080
30	कुठौन्द	ईटो	0.160	0.080
31	कुठौन्द	सिरसाकलार	0.240	0.080
32	कुठौन्द	विजुआपुर दिवारा	0.080	0.080
33	कुठौन्द	पण्डितपुर	0.200	0.160
योग			5.763	3.800

12/07/2023
खण्ड विकास अधिकारी
कुठौन्द(जालौन)

विकास खण्ड में स्थापित गोशालाओं में नैवियर घास / हरा घास की उपलब्धता का विवरण

क्र०सं०	विकास खण्ड	ग्राम-पंचायत गोशाला का नाम	नैवियर घास बुवाई का क्षेत्रफल हे०	बरसीम/चरी/ज्वार बुवाई का क्षेत्रफल हे०
1	2	3	4	5
1	रामपुरा	जायघा	0.16	0.16
2	रामपुरा	नरोल	0.16	0.32
3	रामपुरा	चन्दावली	0.0	0.2
4	रामपुरा	महदौली	0.0	0.16
5	रामपुरा	गौरा चिरईया	0.32	0.16
6	रामपुरा	मन्दीठ	0.32	0.16
7	रामपुरा	मिनावली जागीर	0.32	0.16
8	रामपुरा	मई	0.32	0.16
9	रामपुरा	कन्डारो	0.32	0.16
10	रामपुरा	धरमपुरा जागीर	0.32	0.34
11	रामपुरा	धूला	0.32	0.35
12	रामपुरा	जमरही सानी	0.32	0.36
13	रामपुरा	हुसेपुरा जागीर	0.32	0.37
14	रामपुरा	हनीरपुरा	0.32	0.4
15	रामपुरा	जगजगपुर	0.32	0.45
16	रामपुरा	लिडचपुर	0.32	0.5
17	रामपुरा	मानपुरा	0.16	0.32
18	रामपुरा	टीहर	0.16	0.16
19	रामपुरा	बहरई	0.0	0.32
20	रामपुरा	उदोतपुरा जागीर	0.16	0.34
		कुल योग-	4.27	5.55


 उपर्युक्त विकास अधिकारी
 रामपुरा जालौन

सं०	गौशाला का नाम	नैपियर घास बुवाई का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	बरसीन/चरी/ज्वार बुवाई का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4
1	देवगांव	0.241	-
2	कैलिया बुजुर्ग	-	0.160
3	परावर	-	0.160
4	ऊमरी माधौ० (बरमुवा)	-	0.241
5	रौरा	-	0.160
6	मानपुरा	-	0.160
7	नावली	-	0.160
8	कैलिया खुर्द	-	-
9	अकनीवा	0.482	0.160
10	कटकरी मु०	-	0.160
11	सदपुरा	-	-
12	कनासी	-	-
13	ब्योना राजा	-	-
14	पचीपुरा खुर्द	-	-
15	लाडपुरा	0.482	-
16	जगनपुरा	-	-
17	खुटैला	-	-
18	धौरपुर	-	-
19	सलैया खुर्द	-	0.322
20	राजीपुरा	0.241	0.322
21	बसीठ	-	0.160
22	ककरौली	-	0.160
23	महेशपुरा	-	-
24	धिलौर	-	-
25	लोहई	-	-
26	कुसमरा	-	-
27	रूपपुरा	0.241	0.322
28	गिदवासा	-	0.160
29	कमसेरा	0.241	0.482
30	कुदारी माधौ०	0.482	0.160
31	कुठौदा	0.482	0.160
32	महतवानी माधौ०	0.160	0.160

1105

सं०	गौशाला का नाम	नैपियर घास बुवाई का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	बरसान/घरा/ज्वार बुवाई का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
	2	3	4
3	बंगरा	0.970	0.483
4	इटौरा (रुदावली)	-	0.640
5	गडेरना	0.322	0.483
6	रेडर	-	0.800
7	छिरिया खुद	-	0.160
8	ईगुई माधौ०	-	-
9	कन्हरपुरा	-	0.483
10	जुगाराजपुरा	-	0.322
11	रबा	-	-
12	भेंड	0.322	-
13	धनौरा	0.160	-
14	तीतरा खलीलपुर	0.483	-
15	सुलखना	-	0.322
16	खकसीस	0.160	-
17	धजा	-	0.322
18	क्योलारी	-	0.322
19	बदछवा	-	0.160
20	ऐकरा (सीमपुरा)	-	-
21	तूमरा	-	-
योग		5.710 हेक्टेयर	7.784 हेक्टेयर


खण्ड विकास अधिकारी
नदीगांव (जालौन)

जनपद में स्थित गोशालाओं में नैपियर घास/हरा चारा की उपलब्धता का विवरण

वि०सं० - माधौगढ़ दिनांक-11.7.2023

क०सं०	विकास खण्ड का नाम	गोशाला का नाम	नैपियर घास बुवाई का क्षेत्रफल (हेक्टर)	बरसीम/चरी/ज्वार बुवाई का क्षेत्रफल (हेक्टर)
1	2	3	4	5
1	माधौगढ़	कैलोर	0.62	0.13
1	माधौगढ़	अमखेडा	0.10	0.00
2	माधौगढ़	अहेता	0.11	0.00
3	माधौगढ़	मडोरी	0.13	0.50
4	माधौगढ़	ऊँचा	0.12	0.25
5	माधौगढ़	मींगनी	0.13	0.05
6	माधौगढ़	रामहेतपुरा	0.46	0.25
7	माधौगढ़	गोरामूपका	0.40	0.00
8	माधौगढ़	पडकुला	0.24	0.00
9	माधौगढ़	अतरेहटी	0.15	0.00
10	माधौगढ़	अतरेहटी	0.60	0.25
11	माधौगढ़	रामपुरा माधौ०	0.15	0.00
12	माधौगढ़	चितौरा	0.54	0.25
13	माधौगढ़	वोहरा	0.16	0.25
14	माधौगढ़	चाकी	0.15	0.25
15	माधौगढ़	बिरिया माधौ०	0.15	0.00
16	माधौगढ़	शहबाजपुर	0.17	0.00
17	माधौगढ़	सिहारी माधौ०	0.15	0.00
18	माधौगढ़	सिहारी माधौ०	0.54	0.25
19	माधौगढ़	हरौली	0.15	0.25
19	माधौगढ़	सरावन (नवीन)	0.24	0.13
20	माधौगढ़	कुरसोंडा	5.31	2.81
		कुल -		

खण्ड विकास अधिकारी
माधौगढ़ (जालौन)

विकास खण्ड में स्थापित गौशालों में नैपियर घास/हरा चारा की उपलब्धता का विवरण।				
क्र.सं०	विकास खण्ड	गौशाला का नाम	नैपियर घास की दुलाई हे० में	बरसीन/घरी/ज्वर दुलाई का हे०(हे०)
1	2	3	4	5
1	हकोर	कुटीन्दा	-	बरसीन 0.50 हे०
2	हकोर	मुहम्मदाबाद	-	बरसीन 0.50 हे०
3	हकोर	ऐरी रामपुरा	2 हे०	-
4	हकोर	बन्धौली	1 हे०	-
5	हकोर	गुदा	-	बरसीन 0.50 हे०
6	हकोर	ऐर	-	बरसीन 1 हे०
7	हकोर	धमनीबुजुर्ग	-	घरी 1 हे०
8	हकोर	धरगुवा	-	बरसीन 1 हे०
9	हकोर	करई बुजुर्ग	1 हे०	-
10	हकोर	खरका	1 हे०	-
11	हकोर	ददरी	1 हे०	-
12	हकोर	रिऊआ	-	बरसीन 1 हे०
13	हकोर	कुह्या	-	बरसीन 1 हे०
14	हकोर	डकोर	-	बरसीन 0.50 हे०
15	हकोर	जैसारीखुर्द	-	घरी 1 हे०
16	हकोर	काहटा	1 हे०	घरी 1 हे०
17	हकोर	गुहाना	1 हे०	-
18	हकोर	मकरछा	-	बरसीन 0.50 हे०
19	हकोर	चिल्ली	0.18 हे०	-
20	हकोर	गोरन	-	-
21	हकोर	जैसारीकला	0.45 हे०	-
22	हकोर	कुसुनिलिया	0.18 हे०	-
23	हकोर	टिगरों	-	-
24	हकोर	बरसार	0.36 हे०	-
25	हकोर	कमठा	0.38 हे०	-
26	हकोर	बिनीरापुर	0.18 हे०	-
27	हकोर	अजगारी	-	-
28	हकोर	सिकरीव्यास	0.85 हे०	-
29		धगुवाकला	0.50 हे०	घरी 0.50
30	हकोर	रौगई	1 हे०	घरी 1 हे०
31	हकोर	घर्ष	-	घरी 0.50
32	हकोर	भुआ	-	घरी 0.50
33	हकोर	खरसा	-	घरी 0.50
34	हकोर	इगिलिया	-	घरी 1 हे०
35	हकोर	बडागाव	-	घरी 0.50
36	हकोर	बिनीराकालपी	0.50 हे०	बरसीन 2 हे०
37	हकोर	करमेर	-	बरसीन 1 हे०
38	हकोर	घौरसी	-	बरसीन 1 हे०
39	हकोर	जयपुरा	-	बरसीन 2 हे०

विकास खण्ड में स्थापित गौशालों में नैपियर घास/हरा चारा की उपलब्धता का विवरण।				
क्र.सं०	विकास खण्ड	गौशाला का नाम	नैपियर घास की बुवाई हे० में	बरसीन/चरी/ज्वार बुवाई का हे०(हे०)
1	2	3	4	5
40	डकोर	राहिया	-	बरसीन 2 हे०
41	डकोर	रगौली	0.50 हे०	बरसीन 3 हे०
42	डकोर	जलालपुर चि०	-	बरसीन 2 हे०
43	डकोर	बनफारा	-	बरसीन 1 हे०
44	डकोर	हरदोई गूजर	1 हे०	-
45	डकोर	अचोटी	1 हे०	-
46	डकोर	पिधानिरंजनपुर	-	चरी 2 हे०
47	डकोर	रुराअहदू	0.251 हे०	बरसीन 0.52 हे०
48	डकोर	औला	0.261 हे०	चरी 0.251 हे०
49	डकोर	गढर	1 हे०	चरी 1 हे०
50	डकोर	इटवा जालौन	-	चरी 1 हे०
51	डकोर	सेवटी	-	ज्वार 0.789 हे०
52	डकोर	सैदनगर	-	ज्वार 0.506 हे०
53	डकोर	नूनसाई	1 हे०	चरी 1 हे०
54	डकोर	विरगुयां	1 हे०	-
55	डकोर	पुर	-	चरी 1 हे०
56	डकोर	ऐंधा	-	चरी 0.50 हे०
57	डकोर	कूरकूरु	-	चरी 1 हे०
58	डकोर	धुरट	-	चरी 1 हे०
59	डकोर	बोहदपुरा	1 हे०	-
60	डकोर	कुकरगांव	-	ज्वार 1 हे०
61	डकोर	मडोरा	1 हे०	-
62	डकोर	मगरायां	-	ज्वार 1 हे०
		योग	20.592 हे०	20.55

V.O. Dakor


9/10
A.P.E. 10
Smt

खण्ड विकास अधिकारी
डकोर-जालौन

विकास खण्ड कोंच में स्थापित गौशालाओं में नैपियर घास/हरा चारा की उपलब्धता का विवरण

क्र.सं०	विकास खण्ड का नाम	गौशाला का नाम	नैपियर घास बुवाई का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	बरसीम/चरी/ज्वार बुवाई का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5
1	कोंच	कौशलपुर	405	0.324
2	कोंच	ईगुई कला	0.162	0
3	कोंच	जनरोही कला	0	0
4	कोंच	धनसेनी	0.324	0
5	कोंच	विलोंया	0	0
6	कोंच	जखौली	0.162	0
7	कोंच	विरासनी	0	0
8	कोंच	बसोब	0	0.324
9	कोंच	खैरी	0	0.162
10	कोंच	सतोह	0.33	0.243
11	कोंच	किशुनपुरा	0	0
12	कोंच	फुलैला	0.162	0
13	कोंच	इमलौरी	0	0
14	कोंच	अमीटा	0	0.162
15	कोंच	सुनाया	0	0.162
16	कोंच	चन्दुरा	0	0
17	कोंच	हिगुटा	0	0
18	कोंच	कुडा	0.324	0
19	कोंच	सामी	0	0
20	कोंच	बरौदा कला	0.243	0
21	कोंच	बेहरा	0.243	0
22	कोंच	जुझारपुरा	0	0
23	कोंच	चमेड	0	0
24	कोंच	पचीपुरी	0	0
25	कोंच	अटा	0	0
26	कोंच	विस्मुवा बुजुर्ग	0	0
27	कोंच	बस्ती	0	0
28	कोंच	गोराकरनपुर	0	0
29	कोंच	कुँवरपुरा	0	0
30	कोंच	चनरसेना	0	0
31	कोंच	छानी	0	0
32	कोंच	पचीपुराकला	0.405	0
33	कोंच	भदारी	0	0
34	कोंच	दिरावटी	0.162	0
35	कोंच	कैथी	0.162	0

विकास खण्ड कोंच में स्थापित गौशालाओं में नैपियर घास हरा चारा की उपलब्धता का विवरण				
क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	गौशाला का नाम	नैपियर घास बुवाई का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	बरसीम/चरी/ज्वार बुवाई का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5
36	कोंच	पनयारा	0	0
37	कोंच	सिमिरिया	0.162	0
38	कोंच	ताहरपुरा	0.162	0
39	कोंच	भदेवरा	0	0
40	कोंच	लौना	0	0
41	कोंच	अण्डा	0.405	0
42	कोंच	पड़री	0	0.405
43	कोंच	धुसिया	0	0.162
44	कोंच	परैथा	0	0.162
45	कोंच	बिरगुवा खुर्द	0.162	0
46	कोंच	पिण्डारी	0.162	0
47	कोंच	चन्गारी	0.162	0
48	कोंच	चांदनी	0	0.162
49	कोंच	भेप्ता	0.162	0
50	कोंच	चरी	0.162	0.324
51	कोंच	पहाडगोंद	0.324	0
52	कोंच	ठिरावली	0.324	0
53	कोंच	जमरोही खुर्द	0.162	0.162
54	कोंच	ईगुई खुर्द	0	0
55	कोंच	पिरौना	0	0.324
56	कोंच	भरसूडा	0	0.162
57	कोंच	गुनावली	0.162	162
58	कोंच	भडारी	0.436	0
59	कोंच	कुदारी कोंच	0.405	0
60	कोंच	असूपुरा	0.486	0
योग:-			6.499	3.402


 खण्ड विकास अधिकारी
 कोंच (बालौन)
 12/7/23

गौ आश्रय स्थलों की छाया व्यवस्था की सूचना का प्रारूप विकास खण्ड महेवा (जालौन)

विकास खण्ड/नगर निकाय का नाम - महेवा

1111

दिनांक - 12.07.2023

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	गौशाला का नाम	संरक्षित पशुओं की सं०	छाया की व्यवस्था			पीने के पानी की व्यवस्था	नेपियर की व्यवस्था (हे० में)	बरसीम की व्यवस्था (हे० में)	भूसा संग्रहण की व्यवस्था (कु० में)	
				शेडों की सं०	छपपर/पुवाल की व्यवस्था कितने शेडों पर की गई	पेड़ की व्यवस्था एवं सं०				दान कु०	क्रय कु०
1	महेवा	सरेनी गु०	60	2	2	10	हैं	0.61	0.00	120.00	493.00
2	महेवा	सिमरा शेखपुर	60	1	0	8	हैं	0.40	0.00	140.00	493.00
3	महेवा	पदरी गु०	28	1	1	10	हैं	0.40	0.00	210.00	726.30
4	महेवा	बीजापुर	33	1	1	8	हैं	0.61	0.00	120.00	419.50
5	महेवा	बैरई	85	1	1	10	हैं	0.61	0.00	185.00	655.50
6	महेवा	शाहजहांपुर	90	1	1	8	हैं	0.40	0.00	190.00	690.50
7	महेवा	खैरई	38	1	1	8	हैं	0.00	0.20	110.00	395.00
8	महेवा	बावई	140	2	3	8	हैं	0.61	0.00	250.00	1560.20
9	महेवा	चरसीनी	32	1	1	7	हैं	0.00	0.16	100.00	365.60
10	महेवा	अटराकला	35	1	1	8	हैं	0.00	0.20	105.00	414.60
11	महेवा	दमरास	70	2	2	7	हैं	0.00	0.30	195.00	680.00
12	महेवा	मल्युआ	62	1	1	10	हैं	0.00	0.20	180.00	621.00
13	महेवा	अमैदेपुर	70	1	1	6	हैं	0.00	0.14	230.00	985.50
14	महेवा	खडगुई गु०	58	2	2	4	हैं	0.00	0.12	130.00	493.00
15	महेवा	कोडा किराही	38	1	1	8	हैं	0.40	0.10	125.00	542.00
16	महेवा	महेवा	65	1	1	7	हैं	0.00	0.20	120.00	517.50
17	महेवा	पिपरौघा	110	2	2	7	हैं	0.61	0.00	190.00	680.00
18	महेवा	कुडरा गु०	90	2	2	9	हैं	1.01	0.00	180.00	660.60
19	महेवा	हथनौरा	40	1	1	8	हैं	0.61	0.00	105.00	404.80
20	महेवा	सरसेला	87	2	2	7	हैं	0.40	0.12	195.00	690.00
21	महेवा	कुक्रहनू	45	1	1	10	हैं	0.40	0.00	100.00	420.00
22	महेवा	सतरहजू	40	1	1	10	हैं	0.40	0.00	100.00	391.00
23	महेवा	दहेलखण्ड	70	2	2	8	हैं	0.40	0.00	105.00	542.00

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	गौशाला का नाम	संरक्षित पशुओं की सं०	छाया की व्यवस्था			पीने के पानी की व्यवस्था	नेपियर की व्यवस्था (हे० में)	बरसीम की व्यवस्था (हे० में)	भूसा संग्रहण की व्यवस्था (कु० में)	
				शेडों की सं०	छपपर/पुवाल की व्यवस्था कितने शेडों पर की गई	पेड़ की व्यवस्था एवं सं०				दान कु०	क्रय कु०
24	महेवा	नूरपुर	60	2	2	10	हों	0.00	0.12	140.00	444.00
25	महेवा	खाखरी	67	1	1	7	हों	0.40	0.00	180.00	660.40
26	महेवा	शिकरी रहमानपुर	76	2	2	10	हों	0.61	0.00	185.00	652.00
27	महेवा	संधारा	105	2	2	9	हों	0.40	0.00	190.00	782.50
28	महेवा	मुसगरिया	45	1	1	10	हों	0.40	0.00	120.00	418.50
29	महेवा	छरकरा कला	52	1	1	8	हों	0.40	0.00	125.50	467.50
30	महेवा	पाल	35	1	1	10	हों	0.40	0.00	110.00	395.00
31	महेवा	निपनियां	70	2	2	8	हों	0.40	0.00	175.00	654.70
32	महेवा	अटराखुर्द	40	1	1	8	हों	0.40	0.00	120.00	403.80
33	महेवा	धमनी	40	1	1	7	हों	0.40	0.00	125.00	424.40
34	महेवा	पिथरुपुर	62	1	1	6	हों	0.00	0.14	130.00	502.80
35	महेवा	भिटारी	75	2	2	8	हों	0.40	0.00	230.00	955.00
36	महेवा	शिनिया वैदेपुर	92	2	2	10	हों	0.00	0.20	130.00	556.70
37	महेवा	चुर्डी	58	1	1	10	हों	0.40	0.00	190.00	654.40
38	महेवा	न्यायामतपुर	116	1	1	8	हों	0.61	0.00	260.00	1076.50
39	महेवा	बम्हीरा	52	1	1	10	हों	0.40	0.00	110.00	435.00
40	महेवा	गुडाखास	62	2	2	8	हों	0.40	0.00	180.00	675.50
41	महेवा	मंगरील मु०	58	2	2	10	हों	1.00	0.20	180.00	660.00
42	महेवा	शेखपुर गुदा	0	1	0	8	हों	0.00	0.00	0.00	0.00
43	महेवा	हीरापुर	65	2	2	8	हों	0.00	0.20	175.00	699.80
44	महेवा	कीरतपुर	34	1	0	10	हों	0.88	0.00	175.00	650.00
45	महेवा	देवकली	48	1	0	8	हों	0.61	0.00	135.00	517.50
46	महेवा	बिनौरा बैद्य	60	2	2	10	हों	0.40	0.00	125.00	493.00
47	महेवा	जीतामऊ मु०	53	2	2	8	हों	0.40	0.00	140.00	493.00
48	महेवा	मडैया	57	1	0	10	हों	0.61	0.00	180.00	661.00

1113

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	गौशाला का नाम	संरक्षित पशुओं की सं०	छाया की व्यवस्था			पीने के पानी की व्यवस्था	नेपियर की व्यवस्था (हे० में)	घररीम की व्यवस्था (हे० में)	भूसा संग्रहण की व्यवस्था (कु० में)	
				शेडों की सं०	छपपर/पुवाल की व्यवस्था कितने शेडों पर की गई	पेड़ की व्यवस्था एवं सं०				दान कु०	क्रय कु०
49	महेवा	सिंहारा कासिमपुर	68	0	1	8	हैं	0.40	0.00	165.00	542.00
50	महेवा	भगौरा	49	1	1	10	हैं	0.00	0.14	120.00	517.50
51	महेवा	निवहना	37	2	2	8	हैं	0.00	0.20	110.00	444.00
योग			3082.00	70	67	421		18.27	2.98	7690.50	29677.10


पशु चिकित्साधिकारी
महेवा (जालौन)


खण्ड विकास अधिकारी
महेवा (जालौन)

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी महेवा जालौन

पत्रांक 607/लेखा/गौवंश सूचना/2023-24

दिनांक 12.07.2023

- प्रतिलिपि- 1- जिलाधिकारी महोदय जालौन की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।
2- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी महोदय जालौन को सूचनार्थ प्रेषित।
3- जिला विकास अधिकारी, जालौन स्थान उरई।
4- मुख्य विकास अधिकारी, महोदय जालौन स्थान उरई।


खण्ड विकास अधिकारी
महेवा (जालौन)

किस खण्ड में स्थापित गौशालाओं में नैपियर घास/हरा चारा की उपलब्ध का विवरण।

दिनांक:-12.07.2023

खण्ड का नाम	गौशाला का नाम	नैपियर घास बुवाई का क्षेत्रफल(हे०)	बरसीन/चरी/ज्वार बुवाई का क्षेत्रफल (हे०)
2	3	4	5
कदीरा	संदी	0.162	-
कदीरा	उकासा	0.162	-
कदीरा	चमारी	0.486	-
कदीरा	आटा	0.162	-
कदीरा	सुनहटा	0.162	-
कदीरा	इमिलिया बु०	0.324	-
कदीरा	जौराखेरा	0.324	-
कदीरा	घारा	0.162	-
कदीरा	घतेला	0.162	चारी 0.162
कदीरा	भेडीखुर्द	0.162	-
कदीरा	कानाखेडा	0.162	-
कदीरा	पथरेहटा	0.162	-
कदीरा	बसरेही	0.162	ज्वार 0.162
कदीरा	बवीना	0.243	चारी 0.162
कदीरा	उकुरुवा(राजेहरा)	0.243	-
कदीरा	बागी	0.243	ज्वार 0.162
कदीरा	उदनपुर	0.162	चारी 0.162
कदीरा	कुसमरा बा०	0.162	चारी 0.324
कदीरा	खुटमिली	0.162	चारी 0.162

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	गौशाला का नाम	नैपियर घास घुवाई का क्षेत्रफल(हे०)	बरसीन/चरी/ज्वार घुवाई का क्षेत्रफल (हे०)
1	2	3	4	5
20	कदौरा	हरचन्दपुर	0.243	चारी 0.162
21	कदौरा	रैला	0.162	चारी 0.162
22	कदौरा	जगरेही	0.162	चारी 0.162
23	कदौरा	सुरीला	0.243	
24	कदौरा	इकौना	0.243	चारी 0.162
25	कदौरा	करमचन्द्रपुर	0.162	चारी 0.162
26	कदौरा	मवई बा०	0.162	
27	कदौरा	परासन	0.162	
28	कदौरा	अमीसा	0.162	
29	कदौरा	कहटा हमीरपुर	0.243	चारी 0.162
30	कदौरा	सुरहती	0.162	
31	कदौरा	दशहरी	0.162	
32	कदौरा	इटौरा गरु	0.162	
33	कदौरा	छौक	0.162	
34	कदौरा	उसरगांव	0.162	
35	कदौरा	काशीरामपुर	0.162	
36	कदौरा	मसगाया	0.162	
37	कदौरा	पिपरायां	0.162	
38	कदौरा	बरदीली	0.324	
39	कदौरा	मटरा	0.162	चारी 0.180
40	कदौरा	कुआंखेड़ा (दादूपुर)	0.162	चारी 0.162
41	कदौरा	लुहरगांव	0.162	चारी 0.162

1116

Scanned with OKEN Scanner

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	गौशाला का नाम	नैपियर घास बुवाई का क्षेत्रफल(हे०)	बरसीन/चरी/ज्वार बुवाई का क्षेत्रफल (हे०)
1	2	3	4	5
42	कदौरा	बरखेरा	0.162	चारी 0.162
43	कदौरा	गर्रही	0.324	चारी 0.162
44	कदौरा	अकबरपुर	0.162	चारी 0.162
45	कदौरा	कुरेहना आ०	0.162	चारी 0.180
46	कदौरा	कठपुरवा	0.162	-
47	कदौरा	मरगाया	0.324	चारी 0.162
योग			9.315	3.728

पशु चिकित्साधिकारी
कदौरा(जालीन)

खण्ड विकास अधिकारी
कदौरा(जालीन)

**जनपद-जालौन स्थित गोवंश-आश्रय-स्थलों के प्रबन्धन की समीक्षा एवं अस्थायी
गोवंश-आश्रय-स्थल धगुवा कलाँ, विकास खंड-डकोर का स्थलीय निरीक्षण**

दिनांक-06.09.2023 को ओवरसाइट कमेटी, एन0जी0टी0 द्वारा गोवंश-आश्रय-स्थलों के निरीक्षण से पूर्व, निरीक्षण भवन, लोक निर्माण विभाग, उरई के जिलाधिकारी कार्यालय में जालौन स्थित गोवंश-आश्रय-स्थलों के प्रबन्धन के संबंध में पूर्व सूचनानुसार एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित थे -

1. श्री भीम उपाध्याय, मुख्य विकास अधिकारी, जालौन
2. श्री संजय कुमार, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
3. श्री विशाल यादव, अपर जिलाधिकारी (जल जीवन मिशन)
4. श्री सुभाष त्रिपाठी, जिला विकास अधिकारी, जालौन
5. सुश्री दीपा अरोड़ा, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी
6. डा0 अखिलेश कुमार सिंह, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी
7. श्री बलवीर सिंह सेंगर, प्रभारी, जिला पंचायतराज अधिकारी
8. श्री विजय प्रकाश वर्मा, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत
9. श्री दिनेश कुमार यादव, उपायुक्त (एन0आर0एल0एम0)
10. श्री बृजकिशोर कुशवाहा, खण्ड विकास अधिकारी, डकोर
11. श्री विपिन कुमार सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, महेवा
12. श्री विमलापति, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उरई
13. श्री वेद प्रकाश, अधिशासी अधिकारी, कालपी एवं कदौरा
14. सुश्री सीमा तोमर, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जालौन
15. श्री राजीव कुमार, अधिशासी अधिकारी, रामपुरा
16. श्री पवन किशोर मौर्य, अधिशासी अधिकारी, नन्दीगांव एवं कौच
17. श्री प्रद्युम्न कुमार, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत-कोटवा
18. श्री अमित नायक, अधिशासी अधिकारी, माधौगढ़, ऊमरी
19. श्री धर्मेन्द्र सिंह, कार्यालय सहायक, जिला पंचायतराज अधिकारी

जिलाधिकारी के दीर्घ अवकाश पर रहने के कारण बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, जालौन तथा अन्य जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित सूचनायें प्रस्तुत की गईं-

1. जनपद-जालौन में कुल 410 स्थायी/अस्थायी गोवंश-आश्रय-स्थल/कान्हा गोशाला/कांजी हाउस स्थित हैं, जिनमें कुल 34,909 गोवंशों को संरक्षित किया गया है। कुल 410 गोवंश-आश्रय-स्थलों में से, 377 अस्थायी गोवंश-आश्रय-स्थल हैं, जिनमें 30,818 गोवंश, 08 स्थायी गोवंश-आश्रय-स्थल में 1,827 गोवंश, 07 कान्हा गोशालाओं में 1,946 गोवंश एवं 18 कांजी हाउस में 318 गोवंश संरक्षित हैं।
2. जनपद की समस्त गोवंश-आश्रय-स्थलों में कुल 5,227 वृक्षारोपण किया गया है।
3. जनपद की 383 गोवंश-आश्रय-स्थलों में 88.428 हेक्टेयर क्षेत्रफल में नैपियर घास तथा 98.563 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बरसीम एवं हरे चारे की बुआई की गई है।
4. जनपद के समस्त गोवंश-आश्रय-स्थलों में टिन-शेड के अन्दर व बाहर खड़जा तथा गोवंशों के विचरण हेतु खाली मैदान उपलब्ध है।

5. जनपद के समस्त गोवंश-आश्रय-स्थलों में पर्याप्त संख्या में मानदेय पर गोपालक रखे गये हैं, जो सुबह, दोपहर एवं भाम को गोवंश-आश्रय-स्थल की साफ-सफाई करते हैं।
6. गोवंश-आश्रय-स्थलों में गोबर के एकत्रीकरण व निस्तारण एवं कम्पोस्टिंग के लिए गड्ढे बनवाये गये हैं। गोमूत्र पिट के निर्माण के लिए सभी खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश जारी किये गये हैं और कुछ स्थानों पर कार्य भी प्रारम्भ हो गया है।
7. किसी भी गोवंश-आश्रय-स्थल से गोवंश के गोबर, गोमूत्र, अपशिष्ट चारा या किसी भी प्रकार का अवशेष किसी भी नदी या नाले में नहीं प्रवाहित किया जाता है, जिससे कि नदी के जल के प्रदूषित होने की कोई सम्भावना हो। साथ ही, उक्त अपशिष्ट पदार्थ किसी नाली या सीवर में नहीं बहाया जा रहा है, जिससे कि किसी भी नाली या सीवर के अवरुद्ध होने या जल प्रदूषण की सम्भावना नहीं है।
8. शासन के विभिन्न विभागों के 82 नोडल अधिकारी नियमित रूप से जिले के समस्त गोवंश-आश्रय-स्थलों का हर माह दो बार निरीक्षण करते हैं। उनके द्वारा दिये गये सुझावों को गोवंश-आश्रय-स्थल पर निरीक्षण पंजिका में दर्ज किया जाता है, जिससे कि विधिक एवं शासकीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके और इस महत्वपूर्ण कार्य को भली प्रकार से सम्पन्न करने के लिए उन्हें समुचित मार्गदर्शन मिल सके।
9. यह अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान, सरकार द्वारा रू0 107.50 करोड़ की धनराशि आश्रय स्थल के निर्माण हेतु तथा रू0 12.77 करोड़ की धनराशि चारा हेतु अनुदान स्वरूप दी गई। ग्राम पंचायत के द्वारा रू0 37.65 लाख अवस्थापना के लिए और रू0 5.03 करोड़ गोपालकों के वेतन के लिए योगदान दिया गया। जिला स्तर पर पशुपालन विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर इन गोवंश-आश्रय-स्थलों को दवाएं, टीके आदि सहित पूर्ण चिकित्सा सहायता प्रदान करता है।
10. पर्यावरण अनुकूल तरीके से गोवंश के संरक्षण और रख-रखाव के लिए प्रत्येक शुक्रवार को सभी 574 ग्राम पंचायतों में आयोजित होने वाले चौपालो के माध्यम से जागरूकता शिविर चलाया जा रहा है। 03 गोवंश-आश्रय-स्थलों क्रमशः चमारी, मुहाना और कान्हा गोशाला, जालौन में बायोगैस संयंत्र स्थापित किये गये हैं।
11. पिछले वित्तीय वर्ष तक, शत-प्रतिशत गोवंशों के कान में टैगिंग हो चुकी थी। सरकार के वर्तमान निर्देशों के अनुसार सभी निराश्रित गोवंशों को गोवंश-आश्रय-स्थलों में लाया जा रहा है, अतः नए गोवंशों के कान में टैगिंग का कार्य अभी चल रहा है।
12. सभी कान्हा गोशालाओं ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एन0ओ0सी0 के लिए आवेदन किया है, जिनमें से 06 कान्हा गोशालाओं को एन0ओ0सी0 प्रदान कर दी गयी है तथा एक की प्रक्रिया जारी है।

बैठक के पश्चात् ओवरसाइट कमेटी, एन0जी0टी द्वारा ग्राम पंचायत-धगुवाँ कलाँ, विकासखण्ड-डकोर, जनपद-जालौन स्थित अस्थायी गोवंश-आश्रय-स्थल का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय जनपदीय अधिकारियों के अतिरिक्त निम्नलिखित कर्मचारीगण उपस्थित थे-

1. श्री बृजकिशोर कुशवाहा, खण्ड विकास अधिकारी, डकोर
2. श्री देवेन्द्र कुशवाहा, पशु चिकित्सा अधिकारी, धगुवाँ कलाँ
3. श्री आयुष शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी, धगुवाँ कलाँ
4. श्री महेंद्र सिंह, प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान (श्रीमती गायत्री देवी, ग्राम प्रधान, धगुवाँ कलाँ)
5. श्री हरि मोहन, गोपालक
6. श्रीमती अन्जू देवी, गोपालक
7. श्री मुनीम, गोपालक

1. बताया गया कि यह गोवंश-आश्रय-स्थल मार्च 2020 से ग्राम पंचायत की भूमि पर संचालित है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1.5 एकड़ है। इस गोवंश-आश्रय-स्थल में 01 टिन-शेड (20.42 मी0 x 13.71 मी0) है, जिसमें खड़जा बिछा है। गोवंशों के खाने के लिए 02 चरनी, एक टिन-शेड के बीचों-बीच (10.36 मी0 x 1.52 मी0) निर्मित है व दूसरी चरनी (12.19 मी0 x 1.67 मी0) खुले मैदान में स्थित है, जिससे गोवंशों द्वारा चरनी के दोनों तरफ से चारा खाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 01 भूसा भण्डारण कक्ष (7.92 मी0 x 5.18 मी0), 01 चरही (4.72 मी0 x 1.67 मी0) तथा 01 पक्का कम्पोस्ट पिट (6 मी0 x 2 मी0) बना हुआ है, जिसका उपयोग अभी नहीं किया जा रहा है। इस पिट की क्षमता गोवंशों की संख्या की तुलना में काफी कम प्रतीत होती है। वर्तमान में गोबर सामने ही खुले मैदान में एकत्र किया जा रहा है। इस गोवंश-आश्रय-स्थल में कोई बायोगैस संयन्त्र तथा वर्मीकम्पोस्टिंग की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। टिन-शेड, चरही तथा चरनी के आस-पास किसी भी प्रकार की नाली व सोकपिट की व्यवस्था नहीं है, जिससे दूषित जल व मूत्र की निकासी की जा सके। परिसर के अंदर एक बड़ा कच्चा खुला क्षेत्र है, जिसमें गोबरयुक्त जलभराव पाया गया (संलग्नक-1)। गोवंश-आश्रय-स्थल का दूषित जल नैसर्गिक रूप से बहकर पीछे के जल जमाव क्षेत्र के रास्ते पहले एक नाले में फिर एक तालाब में जाता है। गोवंश-आश्रय-स्थल से सटे इस प्रकार का जल जमाव क्षेत्र, गोवंशों एवं ग्रामीणों के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। इस परिसर में बीमार, बच्चे, अशक्त या विकलांग गोवंशों को अलग से रखने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।
2. इस गोवंश-आश्रय-स्थल के आस-पास आबादी क्षेत्र है, किन्तु कोई विद्यालय/अस्पताल/अन्य कोई गोवंश-आश्रय-स्थल नहीं है। इस गोवंश-आश्रय-स्थल को तीन ओर से जालीदार तारों से तथा मुख्य द्वार को दीवार एवं गेट से घेरा गया है। वास्तव में, इस गोवंश-आश्रय-स्थल में मानक के अनुसार न तो टिन-शेड, न तो खुली जगह या अन्य सुविधायें हैं, जो यहां रहने वाले गोवंशों को स्वस्थ पर्यावरण दे सकें।
3. ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि इस गोवंश-आश्रय-स्थल में 03 गोपालक कार्यरत हैं, जिनको प्रतिमाह रू0 6,000/- वेतन के रूप में दिया जाता है। गोवंशों को स्नान कराने के बारे में कोई सूचना नहीं दी गयी। गोवंश-आश्रय-स्थल में सबमर्सिबल पम्प तथा विद्युत व्यवस्था उपलब्ध है। चारा काटने की कोई मशीन व ढुलाई के लिए ठेले की कोई व्यवस्था इस गोवंश-आश्रय-स्थल पर नहीं है।
4. ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत गोवंश गणना पंजिका का रख-रखाव माह-सितंबर, 2022 से किया जा रहा है। इसके अनुसार वर्तमान में कुल 105 गोवंश अभिलेखों में अंकित हैं, जिनमें 32 नर, 32 मादा, 21 बछड़े व 20 बछिया हैं (संलग्नक-2)। मौके पर की गयी गणना के अनुसार इस गोवंश-आश्रय-स्थल में लगभग 86 गोवंश संरक्षित पाये गये। पशु चिकित्सा अधिकारी के पास उपलब्ध टैग पंजिका में मात्र 71 गोवंशों की टैगिंग का विवरण ही अंकित है, परंतु टैगिंग करने की तिथि अंकित नहीं है (संलग्नक-3 क, ख एवं ग)। बताया गया कि उग्र व्यवहार के कारण शेष गोवंशों की टैगिंग नहीं की जा सकी, क्योंकि गोपालकों द्वारा उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल था। निरीक्षण के दौरान गणना करने पर मात्र 05 नर गोवंशों में ही टैगिंग पायी गयी। अन्य किसी भी गोवंश में न तो टैगिंग थी और न ही उनके कान में छेद। इस प्रकार, पशु चिकित्सा अधिकारी का यह कथन असत्य पाया गया। यह स्पष्ट परिलक्षित हुआ कि प्रस्तुत टैगिंग पंजिका में दर्ज की गई प्रविष्टियाँ मनगढ़त हैं तथा अभिलेखों का रख-रखाव ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है।
5. निरीक्षण के समय पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा दिनांक-03.03.2023 को 71 गोवंशों को एच0एस0 का टीका लगवाया गया है, जबकि इस तिथि को गणना पंजिका के अनुसार इस आश्रय-स्थल पर 135 गोवंशों की उपस्थिति दर्ज है। इसी प्रकार दिनांक-03.09.2023 को भी 71

- गोवंशों को एल0एस0डी0 का टीका लगाया जाना बताया गया, जबकि इस तिथि को गणना पंजिका में 108 गोवंशों की उपस्थिति अंकित है। इन टीकाकरणों से सम्बन्धित विवरण टैगिंग पंजिका के ऊपर ही अनौचारिक रूप से अंकित किया गया लगता है (संलग्नक-3 क, ख एवं ग)। ऐसा प्रतीत होता है कि टैगिंग पंजिका निरीक्षण से तत्काल पूर्व आनन-फानन में तैयार की गई है। इस गोवंश-आश्रय-स्थल में प्राथमिक उपचार किट नहीं पाई गई। गोवंशों के बीमार पड़ने पर समय-समय पर किए गए उपचार से संबंधित पंजिका, मृत गोवंशों के पोस्टमार्टम से संबंधित अभिलेख तथा स्वयंसेवियों को भरण-पोषण हेतु दिए गए गोवंशों के विवरण से संबंधित पंजिका भी प्रस्तुत नहीं की गयी।
6. ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत गोवंश पंजिका में माह-अगस्त, 2023 में 04 गोवंशों तथा माह-सितम्बर, 2023 में 05 गोवंशों का वृद्ध होकर मृत होना अंकित किया गया है (संलग्नक-4), परन्तु गोपालकों के कथनानुसार, इस गोवंश-आश्रय-स्थल में पिछले 06 महीने में किसी भी गोवंश की मृत्यु नहीं हुई है। पशु चिकित्सा अधिकारी के अभिलेखों में भी किसी गोवंश के मृत होने का अंकन किया जाता है। चूंकि इनके द्वारा ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः यह स्पष्ट नहीं हो सका कि ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पंजिका की प्रविष्टियाँ सही हैं या गोपालकों के कथन हैं।
 7. अवगत कराया गया कि इस गोवंश-आश्रय-स्थल में कोई भी दूधारू गोवंश नहीं है और कोई भी गोवंश स्वयंसेवी गोपालकों को पशुपालन हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया है।
 8. इस गोवंश-आश्रय-स्थल में स्थित भण्डारण कक्ष में उपलब्ध भूसे की गुणवत्ता ऊपरी सतह पर तो ठीक थी, परन्तु निचली सतह में यह खराब थी (संलग्नक-5)। उसी निचली सतह से भूसा निकाल कर गोवंशों के समक्ष रखने पर वे भूखे पशु की तरह उसके पास तेजी से आये, परन्तु सूँघकर छोड़ दिया, खाया नहीं। ग्राम विकास अधिकारी श्री आयुष शर्मा द्वारा भूसा पंजिका प्रस्तुत की गई, जिसमें माह-अक्टूबर, 2021 से प्रविष्टियां दर्ज हैं। इस पंजिका में दिनांक-06.09.2023 को कुल 48.34 कुन्तल भूसे का उपलब्ध होना अंकित है, जिसमें से 2.48 कुन्तल भूसा उपयोग किया गया तथा भोष 45.86 कुन्तल भूसे का सरक्षित होना अंकित है, इसी प्रकार 2.00 कुन्तल हरे चारे की खरीद तथा निकासी दर्शायी गई है (संलग्नक-6), लेकिन निरीक्षण के समय चरनी में मात्र भूसा (हरा चारा नहीं) रखा हुआ था, जिसे गोवंश खा रहे थे। अवगत कराया गया कि ग्रामवासियों द्वारा भूसा दान में भी दिया जाता है, परन्तु इससे सम्बन्धित विवरण अभिलेखों में अंकित नहीं पाया गया। उल्लेखनीय है कि गोवंश भूसा/हरा चारा/दाना स्टॉक पंजिका में जन-सहभागिता से प्राप्त भूसा/हरा चारा/दाना का विवरण अंकित करने के लिए अलग से कालम बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि जनपद स्तर पर आयोजित बैठक दिनांक-06.09.2023 में अधिकारियों के द्वारा जो लिखित विवरण उपलब्ध कराया गया था, उसके अनुसार इस ग्राम पंचायत में 0.50 हेक्टेयर भूमि में नैपियर घास व 0.50 हेक्टेयर में चारा बोनो की बात बताई गयी। निरीक्षण के समय इस गोवंश-आश्रय-स्थल में कहीं भी हरा चारा उपलब्ध नहीं पाया गया और ग्रामीणों से पूछताछ में या अभिलेखों से इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि हरा चारा उगाया गया है।
 9. निरीक्षण के दौरान गोवंश-आश्रय-स्थल में मौजूद गोवंशों के स्वास्थ्य में स्पष्ट असमानता पाई गयी। कुछ गोवंश तो स्वस्थ दिखे, परन्तु अधिकांश गोवंशों का स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है तथा वे देखने में कुपोषित लग रहे हैं (संलग्नक-7)। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इस गोवंश-आश्रय-स्थल पर गोवंशों को समुचित आहार नहीं मिल रहा है। गोपालकों के द्वारा पूरी मात्रा में भूसा, हरा चारा, दाना आदि आहार में देना बताया गया, परन्तु अभिलेख एवं गोवंशों का स्वास्थ्य इसकी गवाही नहीं देता है। स्टॉक पंजिका के अनुसार 105 गोवंशों के लिए 4.62 कुन्तल आहार (2.62 कुन्तल भूसा एवं 2.00 कुन्तल हरा चारा-प्रति गोवंश 4.40 किग्रा) निर्गत किया जाना दर्शाया गया है, जो निर्धारित मानक से बहुत कम है। मौके पर हरा चारा तो उपलब्ध भी नहीं था। इतने कम आहार पर गोवंश का जीवन संरक्षण संभव नहीं है। गोवंशों की टैगिंग न होना, अलग-अलग पंजिकाओं में उनकी संख्या अलग-अलग दर्ज होना, बारिश

आरम्भ हो जाने पर भी उनका टिन-शेड में न आना, उनके स्वास्थ्य के स्तर में बहुत अधिक अन्तर होना इस बात के प्रबल संकेतक हैं कि स्वस्थ गोवंश निरीक्षण से ठीक पूर्व ही संख्या पूरी करने की दृष्टि से गोवंश-आश्रय-स्थल में लाये गये थे। वास्तव में, वे किसानों द्वारा पाले जाने वाले गोवंश हैं।

10. ग्राम विकास अधिकारी द्वारा निरीक्षण पंजिका प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार, दिनांक-08.08.2023 को नोडल अधिकारी द्वारा इस गोवंश-आश्रय-स्थल का निरीक्षण किया गया है, जिसमें अति संक्षिप्त टिप्पणी-“देख-रेख की व्यवस्था सही पायी गई” अंकित किया गया है (संलग्नक-8)। गोवंश-आश्रय-स्थल के वर्तमान निरीक्षण में पायी गई त्रुटियों इस बात का प्रमाण है कि उक्त निरीक्षणकर्ता अधिकारी ने अपना दायित्व सही ढंग से नहीं निभाया है। वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण एवं उनके दिशा-निर्देश ग्राम-प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी एवं कार्यरत गोपालकों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं। अतः निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के उपरान्त अपना तथ्यात्मक मंतव्य/सुझाव निरीक्षण पंजिका में अवश्य अंकित किया जाना चाहिए। निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा यह भी देखा जाना चाहिए कि पूर्व में अन्य निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा जो सुझाव दिये गए हैं, उनका पालन हो रहा है या नहीं।
11. निरीक्षण के समय परिसर में ट्री-गार्ड में कुछ पौधे लगे पाये गये, शेष में लगाये पौधे मर गये थे। यद्यपि इस गोवंश-आश्रय-स्थल के पास पर्याप्त खाली भूमि है, जिसमें घास (दूब) लगाया एवं उचित तरीके से वृक्षारोपण किया जा सकता है, जो गोवंशों को गर्मी व धूप से बचाने में सहायक होगा तथा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी उपयोगी होगा। परिसर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित अधिकारी द्वारा वृक्षारोपण के लिए सघन प्रयास नहीं किया गया है। इस वर्षा ऋतु में ही एक सफल वृक्षारोपण अभियान इस तथा अन्य गोवंश-आश्रय-स्थलों में चलाये जाने की आवश्यकता है।
12. निरीक्षण के समय लेखा पंजिका प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे भूसा आदि के खरीद, भुगतान एवं खपत की पुष्टि की जा सके। यह वित्तीय अनुशासन के प्रतिकूल है।
13. निष्कर्ष- कमेटी का यह सुविचारित मत है कि इस गोवंश-आश्रय-स्थल का रख-रखाव एवं प्रबन्धन संतोषजनक ढंग से नहीं किया जा रहा, जिसका पर्यावरण पर प्रदूषणकारी प्रभाव पड़ रहा है। गोवंश-आश्रय-स्थल का प्रदूषित जल एवं मूत्रादि का पास के नाले तथा उसके माध्यम से तालाब में प्रवाह को तत्काल रोका जाना चाहिए। गोबर, मूत्र एवं प्रदूषित जल को वैज्ञानिक तरीके से एकत्र कर, उसके प्रसंस्करण की व्यवस्था की जानी चाहिए। गोवंश गणना, टैगिंग, चिकित्सा, आहार, निरीक्षण, लेखादि से संबंधित अभिलेखों को स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अद्यावधिक किया जाना चाहिए तथा इन पंजिकाओं को गोवंश-आश्रय-स्थल पर ही रखा जाना चाहिए, ताकि निरीक्षण के समय ये निरीक्षणकर्ता अधिकारी को आसानी से उपलब्ध हो सकें। वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण को सार्थक एवं प्रभावी बनाये जाने की आवश्यकता है। इस गोवंश-आश्रय-स्थल के रख-रखाव व प्रबंधन को उपर्युक्तानुसार दुरुस्त करने की आवश्यकता है।



(अनन्त कुमार सिंह)

सदस्य, ओवरसाइट कमेटी (एन0जी0टी0)
उत्तर प्रदेश



(एस0वी0एस0 राठौर)

अध्यक्ष, ओवरसाइट कमेटी (एन0जी0टी0)
उत्तर प्रदेश



संलग्नक-1

गाँवरा गिनतरी
ग्रह-सितम्बर-२०२३

दिनांक	गाँव की संख्या	सड़ो की संख्या	वड़ो की संख्या	वड़ो की संख्या	भोग	हस्तार
01-09-23	32	32	21	20	110	
02-09-23	35	32	21	20	108	
03-09-23	35	32	21	20	108	
04-09-23	32	32	21	20	105	
05-09-23	32	32	21	20	105	
06-09-23	32	32	21	20	105	

संलग्नक-2

क्र.सं.	T.N.	पंजी.	जात	उम्र	F/M	L.S.J
1	10233(857313)	अध	अध	4	2ml/30	3(13023)
2	" 857312	अध	अध	5	"	"
3	" 857311	अध	अध	4	"	"
4	" 858084	अध	अध	2	"	"
5	" 858073	अध	अध	5	"	"
6	" 857800	अध	अध	6	"	"
7	" 857873	अध	अध	7	"	"
8	" 858302	अध	अध	2	"	"
9	" 858132	अध	अध	11/2	"	"
10	" 858230	अध	अध	4	"	"
11	" 858142	अध	अध	6	"	"
12	" 858238	अध	अध	5	"	"
13	" 857981	अध	अध	7	"	"
14	" 857970	अध	अध	4	"	"
15	" 857753	अध	अध	5	"	"
16	" 857471	अध	अध	3	"	"
17	" 857805	अध	अध	5	"	"
18	" 857451	अध	अध	2	"	"
19	" 857651	अध	अध	4	"	"
20	" 858120	अध	अध	5	"	"
21	" 857730	अध	अध	5	"	"
22	" 857957	अध	अध	5	"	"
23	" 857968	अध	अध	7	"	"
24	102338(13833)	अध	अध	2	"	"
25	" 138367	अध	अध	7	"	"
26	" 138728	अध	अध	5	"	"
27	" 138887	अध	अध	4	"	"
28	" 138287	अध	अध	5	"	"
29	" 138945	अध	अध	6	"	"
30	" 138934	अध	अध	5	"	"
31	" 138380	अध	अध	5	"	"
32	" 138039	अध	अध	1	"	"
33	" 139991	अध	अध	4	"	"

संलग्नक-3(क)

संलग्नक-3(ख)

क्र.सं.	T.N.	पंजी	उत्तर	कर्म	FMD	L.S.D
37	198238	198238	2100	4	2100	2100
38	"	198238	2100	5	2100	"
39	"	198238	2100	6	2100	"
40	"	198238	2100	7	2100	"
41	"	198238	2100	8	2100	"
42	"	198238	2100	9	2100	"
43	"	198238	2100	10	2100	"
44	"	198238	2100	11	2100	"
45	"	198238	2100	12	2100	"
46	"	198238	2100	13	2100	"
47	"	198238	2100	14	2100	"
48	"	198238	2100	15	2100	"
49	"	198238	2100	16	2100	"
50	"	198238	2100	17	2100	"
51	"	198238	2100	18	2100	"
52	"	198238	2100	19	2100	"
53	"	198238	2100	20	2100	"
54	"	198238	2100	21	2100	"
55	"	198238	2100	22	2100	"
56	"	198238	2100	23	2100	"
57	"	198238	2100	24	2100	"
58	"	198238	2100	25	2100	"
59	"	198238	2100	26	2100	"
60	"	198238	2100	27	2100	"
61	"	198238	2100	28	2100	"
62	"	198238	2100	29	2100	"
63	"	198238	2100	30	2100	"
64	"	198238	2100	31	2100	"
65	"	198238	2100	32	2100	"
66	"	198238	2100	33	2100	"
67	"	198238	2100	34	2100	"
68	"	198238	2100	35	2100	"
69	"	198238	2100	36	2100	"
70	"	198238	2100	37	2100	"
71	"	198238	2100	38	2100	"
72	"	198238	2100	39	2100	"
73	"	198238	2100	40	2100	"
74	"	198238	2100	41	2100	"
75	"	198238	2100	42	2100	"
76	"	198238	2100	43	2100	"
77	"	198238	2100	44	2100	"
78	"	198238	2100	45	2100	"
79	"	198238	2100	46	2100	"
80	"	198238	2100	47	2100	"
81	"	198238	2100	48	2100	"

संलग्नक-3(ख)

संलग्नक-3(ग)

क्र.सं.	T.N.	पंजी	उत्तर	कर्म	FMD	L.S.D
67	198238	198238	2100	4	2100	2100
68	"	198238	2100	5	2100	"
69	"	198238	2100	6	2100	"
70	"	198238	2100	7	2100	"
71	"	198238	2100	8	2100	"
72	"	198238	2100	9	2100	"
73	"	198238	2100	10	2100	"
74	"	198238	2100	11	2100	"
75	"	198238	2100	12	2100	"
76	"	198238	2100	13	2100	"
77	"	198238	2100	14	2100	"
78	"	198238	2100	15	2100	"
79	"	198238	2100	16	2100	"
80	"	198238	2100	17	2100	"
81	"	198238	2100	18	2100	"

संलग्नक-3(ग)

संलग्नक-4

सितम्बर 2023

05-08-2023 को 2 गांव (1) सोड कर के
गो बाजार तक के बाजार निकाले

06-08-2023 को 2 गांव को करिफा पैदा नो गडे /

09-08-2023 को दो (2) गांव डक नो कर करत
हो गडे / करत करिफा करत

21-08-2023 को एक (1) गांव डक नो कर करत
हो गडे /

[Signature]

[Circular Stamp]

संलग्नक-4

सितम्बर 2023

01-08-2023 को दो (2) गांव डक नो कर करत
हो गडे /

02-08-2023 को दो (2) गांव डक नो कर करत
हो गडे /

03-08-2023 को दो (2) गांव डक नो कर करत
हो गडे /

04-08-2023 को दो (2) गांव डक नो कर करत
हो गडे /

05-08-2023 को दो (2) गांव डक नो कर करत
हो गडे /

06-08-2023 को दो (2) गांव डक नो कर करत
हो गडे /

07-08-2023 को दो (2) गांव डक नो कर करत
हो गडे /

08-08-2023 को दो (2) गांव डक नो कर करत
हो गडे /

09-08-2023 को दो (2) गांव डक नो कर करत
हो गडे /

10-08-2023 को दो (2) गांव डक नो कर करत
हो गडे /

11-08-2023 को दो (2) गांव डक नो कर करत
हो गडे /

12-08-2023 को दो (2) गांव डक नो कर करत
हो गडे /

13-08-2023 को दो (2) गांव डक नो कर करत
हो गडे /

14-08-2023 को दो (2) गांव डक नो कर करत
हो गडे /

15-08-2023 को दो (2) गांव डक नो कर करत
हो गडे /

16-08-2023 को दो (2) गांव डक नो कर करत
हो गडे /

17-08-2023 को दो (2) गांव डक नो कर करत
हो गडे /

18-08-2023 को दो (2) गांव डक नो कर करत
हो गडे /

19-08-2023 को दो (2) गांव डक नो कर करत
हो गडे /

20-08-2023 को दो (2) गांव डक नो कर करत
हो गडे /

21-08-2023 को दो (2) गांव डक नो कर करत
हो गडे /

22-08-2023 को दो (2) गांव डक नो कर करत
हो गडे /

[Signature]

[Circular Stamp]

संलग्नक-4

**ग्राम पंचायत-मटरा, विकासखण्ड-कदौरा, जनपद-जालौन में स्थित अस्थायी
गोवंश-आश्रय-स्थल की निरीक्षण-आख्या**


दिनांक-19.09.2023 को ओवरसाइट कमेटी, एन0जी0टी0 द्वारा जनपद-जालौन, विकासखण्ड-कदौरा के ग्राम पंचायत-मटरा में स्थित अस्थायी गोवंश-आश्रय-स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय निम्नलिखित अधिकारीगण/कर्मचारीगण उपस्थित हैं-

1. श्री भीम उपाध्याय, मुख्य विकास अधिकारी, जालौन
 2. श्री विशाल यादव, अपर जिलाधिकारी (जल जीवन मिशन)
 3. श्री मनु लाल, खण्ड विकास अधिकारी, कदौरा
 4. श्रीमती अनीता, ग्राम विकास अधिकारी, मटरा
 5. डा0 अटल सिंह, पशु चिकित्सा अधिकारी, मटरा
 6. श्रीमती राधा, ग्राम प्रधान, मटरा
 7. श्री जगपाल, गोपालक
 8. श्री इन्द्रपाल, गोपालक
 9. श्री रामचन्द्र, गोपालक
1. बताया गया कि यह गोवंश-आश्रय-स्थल वर्ष 2019 से ग्राम पंचायत की भूमि पर संचालित है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 0.640 हेक्टेयर है। इस गोवंश-आश्रय-स्थल में 02 टिन-शैड (21.94 मी0 x 4.57 मी0 व 13.71 मी0 x 4.57 मी0) बने हैं, जिसमें खड़जा बिछा है। गोवंशों के खाने के लिए 02 चरनी (21.94 मी0 x 1.52 मी0 व 9.14 मी0 x 1.82 मी0) खुले मैदान में स्थित है तथा एक चरनी (5.48 मी0 x 1.82 मी0) टिन-शैड के बीचों-बीच निर्माणाधीन है, जिससे गोवंशों द्वारा दोनों तरफ से आसानी से चारा खाया जा सकता है (संलग्नक-1)। इसके अतिरिक्त 01 भूसा भण्डारण कक्ष (12.19 मी0 x 6.09 मी0) निर्माणाधीन, 01 चरही (6.09 मी0 x 2.43 मी0), 02 पक्के कम्पोस्ट पिट (प्रत्येक 3.96 मी0 x 1.82 मी0), जिनमें से एक क्षतिग्रस्त (संलग्नक-2) व 01 सोकपिट, जिस पर ढक्कन नहीं लगा है (संलग्नक-3), बना हुआ है। इस गोवंश-आश्रय-स्थल में कोई बायोगैस संयंत्र तथा वर्मीकम्पोस्टिंग की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। निर्मित एक टिन-शैड के बगल में मूत्र एवं अपशिष्ट जल निकासी और सोकपिट की व्यवस्था पायी गयी। परन्तु चरही तथा चरनी के आस-पास किसी भी प्रकार की नाली व सोकपिट की व्यवस्था नहीं है, जिससे दूषित जल व मूत्र की निकासी की जा सके। इस परिसर में बीमार, बच्चे, अशक्त या विकलांग गोवंशों को अलग स रखने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।
 2. इस गोवंश-आश्रय-स्थल के आस-पास आबादी क्षेत्र/विद्यालय/अस्पताल या अन्य कोई गोवंश-आश्रय-स्थल नहीं है। इस गोवंश-आश्रय-स्थल को चारों ओर से जालीदार तारों से तथा मुख्य द्वार को पिलर एवं गेट से घेरा गया है। पूरे परिसर में कच्चा फर्श है तथा साफ-सफाई ठीक थी। गोवंश-आश्रय-स्थल में निर्माण कार्य चल रहा था, जिसे ग्राम प्रधान एवं ठेकेदार के द्वारा एक माह में पूर्ण करने का लक्ष्य बताया गया। निर्माण कार्य में प्रयुक्त ईंटों की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, इसे बदलकर उत्तम ईंटों का प्रयोग किया जाना चाहिए (संलग्नक-4)।
 3. ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि इस गोवंश-आश्रय-स्थल में 03 गोपालक कार्यरत हैं, जिनको प्रतिमाह रू0 6,000/- वेतन के रूप में दिया जाता है। गोपालकों द्वारा अवगत कराया गया कि गोवंशों को 15-20 दिन के अन्तराल पर स्नान कराया जाता है। गोवंश-आश्रय-स्थल में एक सबमर्सिबिल पम्प तथा विद्युत की व्यवस्था उपलब्ध है। चारा काटने की कोई मशीन व ढुलाई के लिए ठेले की कोई व्यवस्था इस गोवंश-आश्रय-स्थल पर नहीं है।

4. ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत गोवंश गणना पंजिका के अनुसार वर्तमान में कुल 70 गोवंशों की उपस्थिति अंकित है, जिनमें में 21 नर गोवंश/बछड़े व 49 मादा गोवंश/बछिया हैं (संलग्नक-5 क एवं ख)। पशु चिकित्सा अधिकारी के पास उपलब्ध टैगिंग पंजिका में सभी गोवंशों की टैगिंग का विवरण अंकित है, परन्तु टैगिंग करने की तिथि अंकित नहीं है (संलग्नक-6 क, ख एवं ग)। निरीक्षण के दौरान अधिकांश गोवंशों के कान में न तो टैगिंग थी और न ही उनके कान में छेद। ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि ये सभी गोवंश लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व लाए गये थे। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत टैगिंग पंजिका में दर्ज की गई प्रविष्टियाँ मनगढ़ंत प्रतीत होती हैं।
5. पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया कि समय-समय पर गोवंशों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार दवा भी उपलब्ध कराई जाती है। निरीक्षण के समय पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा गोवंशों के बीमार पड़ने पर समय-समय पर किए गए उपचार से संबंधित चिकित्सा पंजिका प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार माह-अप्रैल, 2023 से माह-अगस्त, 2023 के मध्य अलग-अलग तिथियों पर 09 बार उपचार का उल्लेख अंकित है। टीकाकरण पंजिका प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे गोवंशों के टीका होने की पुष्टि की जा सके। गोवंश-आश्रय-स्थल में कोई प्राथमिक उपचार किट नहीं पाई गई।
6. गोपालकों द्वारा सूचित किया गया कि पिछले शीतकाल में 2-3 गोवंशों की मृत्यु हुई है, जिसके संबंध में ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत गणना पंजिका में कोई उल्लेख नहीं पाया गया। पशु चिकित्सा अधिकारों के अभिलेखों में भी किसी गोवंश के मृत होने का अंकन नहीं पाया गया। यह भी अवगत कराया गया कि इस गोवंश-आश्रय-स्थल में कोई दूधारू गोवंश नहीं है और कोई भी गोवंश जनसहभागिता योजना के अन्तर्गत स्वयंसेवकों को भरण-पोषण के लिए सुपुर्द नहीं किया गया है।
7. ग्राम विकास अधिकारी द्वारा भूसा पंजिका प्रस्तुत की गई तथा बताया गया कि वर्तमान में भूसे की आपूर्ति आस-पास के विकासखण्डों से प्राप्त की जाती है, जिसे लगभग ₹0 850/- प्रति कुंतल की दर से क्रय किया जाता है। यह भी बताया गया कि माह-अक्टूबर, 2022 से माह-अप्रैल, 2023 तक भूसे की आपूर्ति ललितपुर के ठेकेदार द्वारा की गई थी। माह-अप्रैल, 2023 के बाद भूसा स्थानीय लोगों से ₹0 2800-3000 प्रति ट्राली (लगभग 6 कुन्तल) की दर से क्रय किया जा रहा है। भूसा पंजिका के अनुसार प्रतिदिन प्रति गोवंश 4 कि०ग्रा० की दर से कुल 280 कि०ग्रा० भूसा उपयोग सितम्बर माह में किया गया है। अन्य माहों में भी प्रति गोवंश 4 कि०ग्रा० भूसे का प्रयोग ही दर्शाया गया है। इस पंजिका में हरे चारे का कालम बनाया गया है, परन्तु इसमें कोई खरीद तथा निकासी नहीं दर्शायी गयी है (संलग्नक-7)। निरीक्षण के समय भी चरनी में मात्र भूसा (हरा चारा नहीं) रखा हुआ था, जिसे गोवंश खा रहे थे। जनपद स्तर पर आयोजित बैठक दिनांक-06.09.2023 में अधिकारियों के द्वारा जो लिखित विवरण उपलब्ध कराया गया था, उसके अनुसार इस ग्राम पंचायत में 0.162 हेक्टेयर भूमि में नैपियर घास व 0.180 हेक्टेयर में चारा बोनो की बात बताई गयी। निरीक्षण के समय इस गोवंश-आश्रय-स्थल में कहीं भी हरा चारा उपलब्ध नहीं पाया गया और ग्रामीणों से पूछताछ में या अभिलेखों से इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि हरा चारा कहीं उगाया गया है।
8. निरीक्षण के दौरान गोवंश-आश्रय-स्थल में मौजूद गोवंशों के स्वास्थ्य में स्पष्ट असमानता पाई गयी। कुछ गोवंश तो स्वस्थ दिखे, परन्तु अधिकांश गोवंशों का स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है तथा वे देखने में कुपोषित लग रहे हैं (संलग्नक-8)। गोवंशों की संख्या की तुलना में कम आहार चरनी में डाला जाता है, जिसके कारण सबल गोवंश उसे पहले खा लेते हैं और निर्बल गोवंशों को खाने का मौका नहीं मिल पाता है। फलस्वरूप, निर्बल गोवंश और निर्बल होते चले जाते हैं। गोपालकों के द्वारा पूरी मात्रा में भूसा, हरा चारा, दाना आदि आहार में देना बताया गया, परन्तु अभिलेख एवं गोवंशों का स्वास्थ्य इसकी गवाही नहीं देते हैं।
9. ग्राम विकास अधिकारी द्वारा निरीक्षण पंजिका प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे यह प्रतीत होता है कि इस गोवंश-आश्रय-स्थल का निरीक्षण कभी किसी वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा नहीं किया गया है। वरिष्ठ


अधिकारियों के निरीक्षण एवं उनके दिशा-निर्देश ग्राम-प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी एवं कार्यरत गोपालकों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं। अतः गोवंश-आश्रय-स्थल पर निरीक्षण पंजिका रखी जानी चाहिए एवं निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के उपरान्त अपना तथ्यात्मक मंतव्य/सुझाव निरीक्षण पंजिका में अवश्य अंकित किया जाना चाहिए। निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा यह भी देखा जाना चाहिए कि पूर्व में अन्य निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा जो सुझाव दिये गए हैं, उनका पालन हो रहा है या नहीं।

10. निरीक्षण के समय परिसर में कहीं भी वृक्षारोपण नहीं पाया गया। इस गोवंश-आश्रय-स्थल के पास पर्याप्त खाली भूमि है, जिसमें घास (दूब) लगाया एवं उचित तरीके से वृक्षारोपण किया जा सकता है, जो गोवंशों को गर्मी व धूप से बचाने में सहायक होगा तथा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी उपयोगी होगा। इस तथा अन्य गोवंश-आश्रय-स्थलों के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाये जाने की आवश्यकता है।
11. निरीक्षण के लिए लेखा पंजिका प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे भूसा आदि के खरीद, भुगतान एवं खपत की पुष्टि की जा सक। ग्राम विकास अधिकारी (श्रीमती अनीता) ने बताया कि यद्यपि उन्होंने दिनांक-12.07.2023 को कार्यभार ग्रहण किया है, परन्तु पूर्ववर्ती ग्राम विकास अधिकारी (श्री नवीन कुमार निरंजन) के द्वारा उन्हें दिनांक-18.09.2023 को ही अभिलेख दिये गये हैं। निरीक्षण के समय ग्राम विकास अधिकारी से पूछे गये प्रश्नों का उत्तर उनकी जगह पर उनके पति दे रहे थे। पंजिका में प्रस्तुत किये गये प्रारूप में दर्ज की गई प्रविष्टियों का ग्राम विकास अधिकारी की लिपि से मिलान करने पर यह स्पष्ट हुआ कि सरकारी कार्य, विशेषकर, अभिलेखों का रख-रखाव उनके पति करते हैं। उन्हें स्वयं किसी भी तथ्य की जानकारी नहीं थी। यह स्थिति असंतोषजनक होने के साथ-साथ आपत्तिजनक भी है। मुख्य विकास अधिकारी न संज्ञान लेकर समुचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।
12. निरीक्षण के समय प्रस्तुत अभिलेखों को देखने से ऐसा लग रहा था कि ये निरीक्षण की सूचना प्राप्त होने के बाद जल्दी-जल्दी में अलग-अलग अधिकारियों द्वारा अलग-अलग तैयार किये गये हैं। उसमें विरोधाभास एवं विसंगतियां पायी गयी। शासकीय अभिलेख के रख-रखाव के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।
13. **निष्कर्ष**-इस गोवंश-आश्रय-स्थल का रख-रखाव एवं प्रबंधन संतोषजनक तो नहीं कहा जा सकता है, परन्तु अन्य आश्रय-स्थलों की तुलना में यहाँ की साफ-सफाई अच्छी थी। गोबर, मूत्र एवं प्रदूषित जल को वैज्ञानिक तरीके से एकत्र कर, उसके प्रसंस्करण की व्यवस्था की जानी चाहिए। गोवंश गणना, टैगिंग, चिकित्सा, आहार, निरीक्षण, लेखादि से संबंधित अभिलेखों को स्थापित प्रक्रिया के अनुसार रखा जाना चाहिए तथा इन्हें निरीक्षणकर्ता अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण को सार्थक एवं प्रभावी बनाये जाने की आवश्यकता है। निरीक्षण के समय उपस्थित मुख्य विकास अधिकारी ने इस गोवंश-आश्रय-स्थल के रख-रखाव व प्रबंधन में पायी गई त्रुटियों को दूर करते हुए आवश्यक सुधार एक माह के अन्दर कराने का आश्वासन दिया।



(अनन्त कुमार सिंह)

सदस्य, ओवरसाइट कमेटी (एन0जी0टी0)
उत्तर प्रदेश



(एस0वी0एस0 राठौर)

अध्यक्ष, ओवरसाइट कमेटी (एन0जी0टी0)
उत्तर प्रदेश


1129



संलग्नक-1



संलग्नक-2



संलग्नक-3



संलग्नक-4

दिनांक	पूजा	इष्टि	वाक्य	व्यय	व्यय
01-01-23	32	-	-	18	09
02-01-23	32	-	-	18	09
03-01-23	32	-	-	18	09
04-01-23	32	-	-	18	09
05-01-23	32	-	-	18	09
06-01-23	32	-	-	18	09
07-01-23	32	-	-	18	09
08-01-23	32	-	-	18	09
09-01-23	32	-	-	18	09
10-01-23	32	-	-	18	09
11-01-23	32	-	-	18	09
12-01-23	32	-	-	18	09
13-01-23	32	-	-	18	09
14-01-23	32	-	-	18	09
15-01-23	32	-	-	18	09
16-01-23	32	-	-	18	09
17-01-23	32	-	-	18	09
18-01-23	32	-	-	18	09
19-01-23	32	-	-	18	09
20-01-23	32	-	-	18	09
21-01-23	32	-	-	18	09
22-01-23	32	-	-	18	09
23-01-23	32	-	-	18	09
24-01-23	32	-	-	18	09
25-01-23	32	-	-	18	09
26-01-23	32	-	-	18	09
27-01-23	32	-	-	18	09
28-01-23	32	-	-	18	09
29-01-23	32	-	-	18	09
30-01-23	32	-	-	18	09
31-01-23	32	-	-	18	09

संलग्नक-5(क)

दिनांक	पूजा	इष्टि	वाक्य	व्यय	व्यय	मार्ग	कुल
01-01-23	32	-	-	18	09	21	70
02-01-23	32	-	-	18	09	21	70
03-01-23	32	-	-	18	09	21	70
04-01-23	32	-	-	18	09	21	70
05-01-23	32	-	-	18	09	21	70
06-01-23	32	-	-	18	09	21	70
07-01-23	32	-	-	18	09	21	70
08-01-23	32	-	-	18	09	21	70
09-01-23	32	-	-	18	09	21	70
10-01-23	32	-	-	18	09	21	70
11-01-23	32	-	-	18	09	21	70
12-01-23	32	-	-	18	09	21	70
13-01-23	32	-	-	18	09	21	70
14-01-23	32	-	-	18	09	21	70
15-01-23	32	-	-	18	09	21	70
16-01-23	32	-	-	18	09	21	70
17-01-23	32	-	-	18	09	21	70
18-01-23	32	-	-	18	09	21	70
19-01-23	32	-	-	18	09	21	70
20-01-23	32	-	-	18	09	21	70
21-01-23	32	-	-	18	09	21	70
22-01-23	32	-	-	18	09	21	70
23-01-23	32	-	-	18	09	21	70
24-01-23	32	-	-	18	09	21	70
25-01-23	32	-	-	18	09	21	70
26-01-23	32	-	-	18	09	21	70
27-01-23	32	-	-	18	09	21	70
28-01-23	32	-	-	18	09	21	70
29-01-23	32	-	-	18	09	21	70
30-01-23	32	-	-	18	09	21	70
31-01-23	32	-	-	18	09	21	70

संलग्नक-5(ख)

गौआणम सभान-भटारा

क्र.सं.	सैन्य संख्या	सैनिक	सैनिक का पता	सैनिक की उम्र
1	18280/183188	वहडा	सफेद	2 वर्ष
2	183006	वहडा	सफेद	2 वर्ष
3	183165	वहडा	सफेद	3 वर्ष
4	183184	वहडा	सफेद	4 वर्ष
5	183230	वहडा	सफेद	3 वर्ष
6	183461	वहडा	सफेद	3 वर्ष
7	183528	वहडा	सफेद	3 वर्ष
8	181114	वहडा	सफेद	4 वर्ष
9	183360	वहडा	सफेद	3 वर्ष
10	183358	वहडा	सफेद	2 वर्ष
11	102363, 557576	वहडा	काया	4 वर्ष
12	527610	गाण	सफेद	8 वर्ष
13	527780	वहडा	सफेद	2 वर्ष
14	527528	गाण	सफेद	5 वर्ष
15	527506	वहडा	सफेद	2 वर्ष
16	527552	वहडा	लाल	3 वर्ष
17	527591	वहडा	नीली	4 वर्ष
18	527585	वहडा	सफेद	6 वर्ष
19	527745	वहडा	नीली	3 वर्ष
20	527621	गाण	सफेद	8 वर्ष
21	527672	गाण	सफेद	7 वर्ष
22	527531	वहडा	सफेद	3 वर्ष
23	527576	वहडा	नीली	4 वर्ष
24	527698	वहडा	नीली	5 वर्ष
25	527553	वहडा	नीला	4 वर्ष
26	528016	गाण	लाल	5 वर्ष
27	528021	वहडा	सफेद	2 वर्ष
28	5271461	वहडा	नीली	3 वर्ष
29	102363, 512708	वहडा	सफेद	3 वर्ष
30	512730	गाण	सफेद	3 वर्ष

संलग्नक-6(क)

क्र.सं.	सैन्य संख्या	सैनिक	सैनिक का पता	सैनिक की उम्र
31	102363, 512700	वहडा	नीला	2 वर्ष
32	512675	वहडा	नीला	2 वर्ष
33	512042	वहडा	सफेद	2 वर्ष
34	512686	वहडा	नीला	2 वर्ष
35	512936	वहडा	नीला	2 वर्ष
36	512925	वहडा	सफेद	2 वर्ष
37	512958	वहडा	लाल	2 वर्ष
38	512607	वहडा	सफेद	2 वर्ष
39	512070	वहडा	सफेद	2 वर्ष
40	512460	वहडा	नीली	2 वर्ष
41	512653	वहडा	सफेद	2 वर्ष
42	512662	वहडा	सफेद	2 वर्ष
43	550968	वहडा	सफेद	2 वर्ष
44	512653	गाण	सफेद	3 वर्ष
45	512652	गाण	सफेद	3 वर्ष
46	512665	वहडा	सफेद	3 वर्ष
47	512663	गाण	सफेद	3 वर्ष
48	512624	गाण	सफेद	3 वर्ष
49	512620	गाण	सफेद	3 वर्ष
50	512670	वहडा	सफेद	3 वर्ष
51	512631	वहडा	सफेद	3 वर्ष
52	512620	गाण	सफेद	3 वर्ष
53	512671	गाण	लाल	3 वर्ष
54	513165	गाण	सफेद	3 वर्ष
55	513793	गाण	सफेद	3 वर्ष
56	517272	वहडा	सफेद	3 वर्ष
57	516534	गाण	सफेद	3 वर्ष
58	514873	गाण	वहडा	3 वर्ष
59	517083	वहडा	सफेद	3 वर्ष
60	516634	वहडा	सफेद	3 वर्ष

संलग्नक-6(ख)

क्र.सं.	सैन्य संख्या	सैनिक	सैनिक का पता	सैनिक की उम्र
61	550968	गाण	नीला	6 वर्ष
62	543653	वहडा	सफेद	4 वर्ष
63	547865	गाण	सफेद	4 वर्ष
64	527200	वहडा	लाल	9 वर्ष
65	526503	गाण	नीली	9 वर्ष
66	576605	गाण	सफेद	7 वर्ष
67	526753	गाण	नीली	2 वर्ष
68	526651	गाण	सफेद	2 वर्ष
69	526514	गाण	सफेद	10 वर्ष
70	526593	गाण	लाल	4 वर्ष

संलग्नक-6(ग)

क्र.सं	दिनांक	शु.शु.का.व.	चरने/चरने	सूचक/सूचक	सु-का.	अवसाह	शु.शु.का.व.	अवसाह
01	01/09/23	1960kg	-	-	11	1960kg	1,600kg	
02	01/09/23	1,680kg	-	-	11	1,400kg	1,400kg	
03	03/09/23	1,400kg	-	-	11	1,600kg	1,120kg	
04	04/09/23	1,120kg	-	-	11	1,400kg	840kg	
05	05/09/23	840kg	-	5000kg	11	1,120kg	5,560kg	
06	06/09/23	5,560kg	-	-	11	5,840kg	5,820kg	
07	07/09/23	-	-	-	-	5,820kg	-	
08	08/09/23	-	-	-	-	-	-	
09	09/09/23	-	-	-	-	-	-	
10	10/09/23	-	-	-	-	-	-	
11	11/09/23	-	-	-	-	-	-	
12	12/09/23	-	-	-	-	-	-	
13	13/09/23	-	-	-	-	-	-	
14	14/09/23	-	-	-	-	-	-	
15	15/09/23	-	-	-	-	-	-	
16	16/09/23	-	-	-	-	-	-	
17	17/09/23	-	-	-	-	-	-	
18	18/09/23	-	-	-	-	-	-	
19	19/09/23	-	-	-	-	-	-	
20		-	-	-	-	-	-	
21		-	-	-	-	-	-	
22		-	-	-	-	-	-	
23		-	-	-	-	-	-	
24		-	-	-	-	-	-	

संलग्नक-7



संलग्नक-8

**ग्राम पंचायत-मवई ब्राह्मण, विकासखण्ड-कदौरा, जनपद-जालौन में स्थित अस्थायी
गोवंश-आश्रय-स्थल की निरीक्षण-आख्या**

दिनांक-19.09.2023 को ओवरसाइट कमेटी, एन0जी0टी0 द्वारा जनपद-जालौन, विकासखण्ड-कदौरा के ग्राम पंचायत-मवई ब्राह्मण, में स्थित अस्थायी गोवंश-आश्रय-स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय निम्नलिखित अधिकारीगण/कर्मचारीगण उपस्थित है-

1. श्री भीम उपाध्याय, मुख्य विकास अधिकारी, जालौन
2. श्री विशाल यादव, अपर जिलाधिकारी (जल जीवन मिशन)
3. श्री के0 के0 सिंह, उप जिलाधिकारी, कदौरा
4. श्री मनु लाल, खण्ड विकास अधिकारी, कदौरा
5. डा0 अटल सिंह, पशु चिकित्सा अधिकारी, मवई ब्राह्मण
6. श्री कुनाल प्रताप सिंह, ग्राम विकास अधिकारी, मवई ब्राह्मण
7. श्री बदन सिंह, पशुधन प्रसार अधिकारी, मवई ब्राह्मण
8. श्री राजेन्द्र कुमार, ग्राम प्रधान, मवई ब्राह्मण

1. यह गोवंश-आश्रय-स्थल वर्ष-2019 से ग्राम सभा की भूमि पर संचालित बताया गया जिसका क्षेत्रफल लगभग 01 बीघा है। इस गोवंश-आश्रय-स्थल के आस-पास आबादी क्षेत्र है, किन्तु कोई विद्यालय/अस्पताल/अन्य कोई गोवंश-आश्रय-स्थल नहीं है। इस स्थल को चारों ओर से जालीदार तारों से तथा मुख्य द्वार को पिलर एवं गेट से घेरा गया है। इस गोवंश-आश्रय-स्थल में टिन-शेड, चरनी, पानी पीने के लिए चरही, गोबर, मूत्र अथवा उनको निस्तारित करने के लिए कम्पोस्ट पिट तथा सोकपिट या अन्य कोई आवश्यक निर्माण नहीं पाया गया। यहाँ पर सबमर्सिबल पम्प, विद्युत व्यवस्था, चारा काटने की कोई मशीन व दुलाई के लिए ठेले की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। वास्तव में यहाँ पर कोई ऐसा चिन्ह नहीं है, जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि यहाँ पर गोवंश रहते हैं। देखने से यह लग रहा था कि कुछ दिनों पूर्व यहाँ मिट्टी की भराई की गई होगी, जो बरसात के कारण कीचड़ में तब्दील हो गई थी। पूरी जमीन दलदली थी (संलग्नक-1)। निरीक्षण के समय एक भी गोवंश परिसर में नहीं पाया गया।
2. ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि इस गोवंश-आश्रय-स्थल में 03 गोपालक कार्यरत है, जिनको प्रतिमाह रू0 6000/- वेतन के रूप में दिया जाता है। निरीक्षण के समय बताया गया कि गोवंश चरने के लिए गये है, जो गोवंश-आश्रय-स्थल से काफी दूर है। गोपालक गोवंशों के साथ उनकी देखभाल के लिए गए हैं।
3. ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत गोवंश गणना पंजिका का रख-रखाव माह-अप्रैल, 2023 से किया जा रहा है, जिसके अनुसार वर्तमान में कुल 70 गोवंश हैं, जिनमें 20 नर, 40 मादा, 04 बछड़े व 06 बछिया हैं (संलग्नक-2)। पशु चिकित्सा अधिकारी के पास उपलब्ध टैगिंग पंजिका में दिनांक-07.04.2023 को 29 गोवंशों एवं दिनांक-10.06.2023 को शेष 41 गोवंशों की टैगिंग का विवरण अंकित है (संलग्नक-3 क, ख एवं ग)। यह स्पष्ट नहीं किया जा सका कि जब वर्ष-2019 से यह गोवंश-आश्रय-स्थल संचालित है तो गोवंशों की टैगिंग वर्ष-2023 में क्यों की गई और इससे पूर्व के अभिलेख क्यों उपलब्ध नहीं हैं? सारे अभिलेख पतली नोटबुक में बनाये गये हैं, इस निरीक्षण की सूचना प्राप्त होने के बाद।
4. निरीक्षण के समय पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया कि समय-समय पर गोवंशों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार दवा भी उपलब्ध कराई जाती है। पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा गोवंशों के बीमार पड़ने पर समय-समय पर किए गए उपचार से संबंधित चिकित्सा पंजिका प्रस्तुत

की गई, जिसमें दिनांक-12.04.2023 से दिनांक-28.08.2023 तक उपचार से संबंधित कुल 05 प्रविष्टियों अंकित है। इसी पंजिका में 02 प्रविष्टियों के बीच में अलग स्याही से दिनांक-16.06.2023 को सभी 70 गोवंशों का एच0एस0 टीकाकरण किया जाना अंकित है (संलग्नक-4)। देखने मात्र से यह परिलक्षित होता है कि टीकाकरण से सम्बन्धित विवरण बाद में जोड़ा गया है, शायद इस निरीक्षण से पूर्व। उल्लेखनीय है कि गोवंशों के टीकाकरण से सम्बन्धित अलग पंजिका पशु चिकित्सा अधिकारी के स्तर पर रखी जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह पंजिका निरीक्षण से तत्काल पूर्व आनन-फानन में तैयार की गई है। इस गोवंश-आश्रय-स्थल में प्राथमिक उपचार किट नहीं पाई गई।


5. अवगत कराया गया कि इस गोवंश-आश्रय-स्थल में कोई भी दूधारू गोवंश नहीं है। 05-06 गोवंश स्वयंसेवी गोपालकों को पशुपालन हेतु उपलब्ध कराये गये हैं, किन्तु इस सम्बन्ध में कोई सुपुर्दीकरण पंजिका प्रस्तुत नहीं की गई। सुपुर्दीकरण पंजिका में गोवंश तथा स्वयंसेवी गोपालक के विस्तृत विवरण यथा-नाम, पता, आधार संख्या, बैंक खाता संख्या आदि अंकित करने की व्यवस्था है।
6. यद्यपि यह बताया गया कि इस गोवंश-आश्रय-स्थल में सभी संसाधनों का उपयोग करते हुए गोवंशों का भरण-पोषण किया जाता है, परन्तु निरीक्षण के समय ऐसा होना नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त 01 भूसा भण्डारण कक्ष (15.24 मी0 x 4.57 मी0), गोवंश-आश्रय-स्थल से दूर स्थित है, जिसमें लगभग 250 कुन्तल भूसा भंडारित होना बताया गया है। भूसा भण्डारण कक्ष, गोवंश-आश्रय-स्थल से काफी दूर स्थित है। ग्राम प्रधान के द्वारा बताया गया कि इसमें लगभग 250 कुन्तल भूसा भंडारित है, परन्तु भूसा स्टॉक पंजिका में दिनांक-18.09.2023 को कुल 17.95 कुन्तल भूसे का उपलब्ध होना ही दर्ज है। प्रतिदिन लगभग 3.50 कुन्तल (प्रति गोवंश 5 कि0ग्रा0) भूसे का उपयोग किया जाता है। हरे चारे की खरीद एवं निकासी नहीं दर्शायी गई है (संलग्नक-5)। उल्लेखनीय है कि जनपद स्तर पर आयोजित बैठक दिनांक-06.09.2023 में अधिकारियों के द्वारा जो लिखित विवरण उपलब्ध कराया गया था, उसके अनुसार इस ग्राम पंचायत में 0.162 हेक्टेयर भूमि में नैपियर घास बोने की बात बताई गयी। स्थल पर हरे चारे के होने का कोई चिन्ह नहीं पाया गया। ग्रामीणों से पूछताछ में या अभिलेखों से इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि हरा चारा उगाया गया है।
7. निरीक्षण पंजिका प्रस्तुत की गयी, जिसमें पशुधन प्रसार अधिकारी द्वारा दिनांक-05.04.2023 से दिनांक-15.09.2023 तक, कुल 17 निरीक्षण टिप्पणी अंकित है (संलग्नक-6 क से च)। आश्चर्य की बात है कि किसी भी अन्य अधिकारी ने इस कथित गोवंश-आश्रय-स्थल का निरीक्षण नहीं किया है। पशुधन प्रसार अधिकारी की टिप्पणी को देखने मात्र से ऐसा लगता है कि इसे जल्दी-जल्दी में तैयार किया गया है। इनमें से किसी भी टिप्पणी पर ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर नहीं हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण एवं उनके दिशा-निर्देश ग्राम-प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी एवं कार्यरत गोपालकों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं, फिर भी इस आश्रय-स्थल का निरीक्षण न होना इस संदेह की पुष्टि करता है कि गोवंश-आश्रय-स्थल वास्तव में संचालित नहीं है।
8. निरीक्षण के समय लेखा पंजिका प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे भूसा आदि के खरीद, भुगतान एवं खपत की पुष्टि की जा सके।
9. उपस्थित ग्राम निवासीगण द्वारा बताया गया कि लगभग 400-450 जंगली गोवंशों के झुण्ड रात को आकर फसलों को नष्ट कर जाते हैं, जिससे बचने के लिए ग्राम निवासी रातभर जगकर पहरा देते हैं, इस कारण ग्रामीणों को आर्थिक एवं मानसिक समस्याओं से जूझना पड़ता है। उन लोगों के आस-पास में एक और गोवंश-आश्रय-स्थल स्थापित करने की मांग की। ग्रामवासियों को परामर्श दिया गया कि वे मुख्य विकास अधिकारी, जालौन को अपना अनुरोध-पत्र लिखित में प्रेषित करें। मुख्य विकास अधिकारी, जालौन द्वारा आश्वासन दिया गया कि अनुरोध-पत्र प्राप्त होने पर वे उनकी समस्या का शीघ्र निराकरण कराएंगे।

10. **निष्कर्ष**—कमेटी का यह सुविचारित मत है कि यह गोवंश-आश्रय-स्थल वास्तव में संचालित नहीं है। यहाँ पर गोवंश-आश्रय-स्थल स्थापित करने के लिए यथा चरही, चरनी, टिन-शेड, चारा मशीन, भूसा भण्डारण कक्ष, सबमर्सिबल पम्प आदि की व्यवस्था करने के उपरान्त गोवंश-आश्रय-स्थल को विधिवत संचालित किया जाये। अभिलेखों में आश्रय-स्थल को संचालित दिखाकर शासकीय धन का दुरुपयोग किया जाना परिलक्षित हो रहा है। इसके लिए दोषी को संज्ञानित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है, ताकि निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण के लिए उ०प्र० सरकार द्वारा जो कल्याणकारी व्यवस्थायें की गई हैं, उनका दुरुपयोग करने तथा योजना के उद्देश्य को विफल करने का साहस कोई और न कर सके।

अनन्त

(अनन्त कुमार सिंह)

सदस्य, ओवरसाइट कमेटी (एन०जी०टी०)
उत्तर प्रदेश



(एस०वी०एस० राठौर)

अध्यक्ष, ओवरसाइट कमेटी (एन०जी०टी०)
उत्तर प्रदेश



संलग्नक-1

गौवंश गणना						पंजिका		
क्र.सं.	दिनांक	आम	बाल	बर्तिका	कुल	पंजिका	पंजिका	पंजिका
01/08/23	40	20	04	06	70			
02/08/23	40	20	04	06	70			
03/08/23	40	20	04	06	70			
04/08/23	40	20	04	06	70			
05/08/23	40	20	04	06	70			
06/08/23	40	20	04	06	70			
07/08/23	40	20	04	06	70			
08/08/23	40	20	04	06	70			
09/08/23	40	20	04	06	70			
10/08/23	40	20	04	06	70			
11/08/23	40	20	04	06	70			
12/08/23	40	20	04	06	70			
13/08/23	40	20	04	06	70			
14/08/23	40	20	04	06	70			
15/08/23	40	20	04	06	70			
16/08/23	40	20	04	06	70			
17/08/23	40	20	04	06	70			
18/08/23	40	20	04	06	70			
19/08/23	40	20	04	06	70			
20/08/23	40	20	04	06	70			
21/08/23	40	20	04	06	70			
22/08/23	40	20	04	06	70			
23/08/23	40	20	04	06	70			
24/08/23	40	20	04	06	70			
25/08/23	40	20	04	06	70			
26/08/23	40	20	04	06	70			
27/08/23	40	20	04	06	70			
28/08/23	40	20	04	06	70			
29/08/23	40	20	04	06	70			
30/08/23	40	20	04	06	70			
31/08/23	40	20	04	06	70			

संलग्नक-2

श्रीमान् - प्रकाश इन्द्राण्डे

क्र.सं.	श्रीमान् प्रकाश इन्द्राण्डे	दिनांक	पता	मालिका	तक	उप
1	698002	7/9/23	अक्षय	माला	2	
2	697976		अक्षय	माला	2	
3	697737		अक्षय	माला	2	
4	697464		अक्षय	माला	2	
5	697596		अक्षय	माला	7	
6	697874		अक्षय	माला	5	
7	697362		अक्षय	माला	7	
8	698217		अक्षय	माला	6	
9	697395		अक्षय	माला	8	
10	697998		अक्षय	माला	4	
11	697715		अक्षय	माला	2	
12	698202		अक्षय	माला	1	
13	697743		अक्षय	माला	3	
14	698285		अक्षय	माला	2	
15	698104		अक्षय	माला	3	
16	697828		अक्षय	माला	8	
17	698115		अक्षय	माला	10	
18	698150		अक्षय	माला	5	
19	698057		अक्षय	माला	2	
20	697977		अक्षय	माला	5	
21	698046		अक्षय	माला	2	
22	697388		अक्षय	माला	3	
23	698241		अक्षय	माला	1	
24	697420		अक्षय	माला	6	
25	697668		अक्षय	माला	2	
26	697588		अक्षय	माला	4	
27	697986		अक्षय	माला	5	
28	697670		अक्षय	माला	2	
29	697500		अक्षय	माला	8	

संलग्नक-3 (क)

श्रीमान् - प्रकाश इन्द्राण्डे

क्र.सं.	श्रीमान् प्रकाश इन्द्राण्डे	दिनांक	पता	मालिका	तक	उप
30	697761	10/6/23	अक्षय	माला	2	
31	697533		अक्षय	माला	2	
32	697293		अक्षय	माला	2	
33	698263		अक्षय	माला	2	
34	697602		अक्षय	माला	7	
35	697794		अक्षय	माला	2	
36	698013		अक्षय	माला	2	
37	697373		अक्षय	माला	2	
38	697726		अक्षय	माला	5	
39	697384		अक्षय	माला	7	
40	698137		अक्षय	माला	8	
41	698194		अक्षय	माला	6	
42	697522		अक्षय	माला	10	
43	697692		अक्षय	माला	7	
44	697806		अक्षय	माला	2	
45	697542		अक्षय	माला	5	
46	698183		अक्षय	माला	2	
47	698266		अक्षय	माला	4	
48	698274		अक्षय	माला	6	
49	698070		अक्षय	माला	4	
50	697407		अक्षय	माला	2	
51	697511		अक्षय	माला	3	
52	698126		अक्षय	माला	5	
53	698081		अक्षय	माला	6	
54	697783		अक्षय	माला	4	
55	698230		अक्षय	माला	8	
56	698288		अक्षय	माला	9	
57	698673		अक्षय	माला	4	
58	698684		अक्षय	माला	2	

संलग्नक-3 (ख)

श्रीमान् - प्रकाश इन्द्राण्डे

क्र.सं.	श्रीमान् प्रकाश इन्द्राण्डे	पता	मालिका	तक	उप
59	698775	अक्षय	माला	3	
60	698833	अक्षय	माला	2	
61	698855	अक्षय	माला	2	
62	698888	अक्षय	माला	3	
63	699051	अक्षय	माला	2	
64	698707	अक्षय	माला	1	
65	698811	अक्षय	माला	4	
66	698968	अक्षय	माला	2	
67	698718	अक्षय	माला	3	
68	698211	अक्षय	माला	2	
69	698233	अक्षय	माला	2	
70	698277	अक्षय	माला	2	

संलग्नक-3(ग)

12/4/23	डेरा नो 109280 697828	Washings- OTC GN Vitamin GN Towels - GN	19/5/23	डेरा नो 109280 698228	Wound 1 OTC GN Dermatome and Medoform GN
			5/6/23	डेरा नो 109280 697500	Wound OTC GN Sarmomycin GN Meloni Pen GN
			6/6/23	डेरा नो 109280 697300	Wound OTC GN CIM - GN Meloni Pen GN
			16/6/23	70 गोवंश में	H.S vaccination किंग Bakenghals 25 गोवंश
			28/8/23	डेरा नो 109280 697670	Wound OTC GN Pantoclin GN Meloni Pen GN

संलग्नक-4

गौवंश भूसा/हरा चारा/दाब						
क्र. सं.	दिनांक	कुल भूसा/हरा/चारा/दाब (कु.मी.)	कुल हरा चारा/दाब (कु.मी.)	कुल भूसा/हरा/चारा/दाब (कु.मी.)	कुल चरबी/चारा/दाब (कु.मी.)	कुल चरबी/चारा/दाब (कु.मी.)
1	1.8.23	7.45				
2	2.8.23					
3	3.8.23					
4	4.8.23	2.45	10.8.23			
5	5.8.23					
6	6.8.23	2.95	30.8.23			
7	7.8.23					
8	8.8.23					
9	9.8.23					
10	10.8.23					
11	11.8.23					
12	12.8.23					
13	13.8.23					
14	14.8.23					
15	15.8.23					
16	16.8.23	1.45	20.8.23			
17	17.8.23					

स्टाक पंजिका						
कुल भूसा/हरा/चारा/दाब (कु.मी.)	कुल चरबी/चारा/दाब (कु.मी.)					
17.45	3.50	15.05				
13.95	3.50	10.45				
16.45	3.50	6.95				
6.95	3.50	3.45				
12.45	3.50	3.95				
9.95	3.50	6.45				
6.45	3.50	2.95				
22.95	3.50	29.45				
29.45	3.50	25.95				
25.95	3.50	22.45				
22.45	3.50	18.95				
18.95	3.50	15.45				
15.45	3.50	11.95				
11.95	3.50	8.45				
8.45	3.50	4.95				
4.95	3.50	1.45				
27.45	5.50	17.95				
17.95	3.50	14.45				

संलग्नक-5

5/9/23 सभी पत्र व्यवस्था वाले गाँव
लाफ-लफाई के निर्देश दिने
कोट देवा भोके पर उपचार
रहे।
Badansingh
L.E.O परामर्श

14/9/23 सभी पत्र व्यवस्था वाले गाँव
शुद्ध पत्र का उपचार किया
लाफ-लफाई के लिए निर्देश दिने
कोट देवा भोके पर उपचार
रहे।
Badansingh
L.E.O परामर्श

18/9/23 सभी पत्र व्यवस्था वाले गाँव
शुद्ध पत्र का उपचार किया
लाफ-लफाई के लिए निर्देश दिने
कोट देवा भोके पर उपचार
रहे।
Badansingh
L.E.O परामर्श

संलग्नक-6(क)

6/5/23 सभी पत्र व्यवस्था वाले गाँव
लाफ-लफाई के निर्देश दिने
कोट देवा भोके पर उपचार
रहे।
Badansingh
L.E.O परामर्श

19/5/23 सभी पत्र व्यवस्था वाले गाँव
कोट देवा भोके पर उपचार
रहा है। शुद्ध पत्र का
उपचार किया भोके पर उपचार
रहे।
Badansingh
L.E.O परामर्श

27/5/23 सभी पत्र व्यवस्था वाले गाँव
शुद्ध पत्र का उपचार किया
लाफ-लफाई के निर्देश दिने
कोट देवा भोके पर उपचार
रहा।
Badansingh
L.E.O परामर्श

संलग्नक-6(ख)

5/6/23 सभी पत्र व्यवस्था वाले गाँव
पत्रों का रखा रखा है
शुद्ध पत्र का उपचार किया।
कोट देवा भोके पर उपचार
रहे।
Badansingh
L.E.O परामर्श

15/6/23 सभी पत्र व्यवस्था वाले गाँव
कोट देवा भोके पर उपचार
रहा है। लाफ-लफाई के
निर्देश दिने।
Badansingh
L.E.O परामर्श

25/6/23 सभी पत्र व्यवस्था वाले गाँव
शुद्ध पत्र का उपचार किया
लाफ-लफाई के लिए निर्देश दिने
कोट देवा भोके पर उपचार
रहा है।
Badansingh
L.E.O परामर्श

संलग्नक-6(ग)

3/8/23 लाफ-लफाई के निर्देश दिने
सभी पत्र व्यवस्था वाले गाँव
कोट देवा भोके पर उपचार
रहे।
Badansingh
L.E.O परामर्श

19/8/23 शुद्ध पत्र का उपचार किया
कोट देवा भोके पर उपचार
रहा है। लाफ-लफाई के लिए
निर्देश दिने।
Badansingh
L.E.O परामर्श

27/8/23 सभी पत्र व्यवस्था वाले गाँव
शुद्ध पत्र का उपचार किया
लाफ-लफाई के लिए निर्देश दिने
कोट देवा भोके पर उपचार
रहा है।
Badansingh
L.E.O परामर्श

संलग्नक-6(घ)

8/8/23 सभी पशु स्वस्थ पाये गये
 हवा-पानी परामर्श माह
 के दिनांक पर रहा है जो
 के दिनांक देकर उपलब्ध है।
 Badansingh
 P.O. परासना

10/8/23 सभी पशु स्वस्थ पाये गये
 पानी की व्यवस्था ठीक है
 जो हवा-पानी परामर्श माह
 के दिनांक पर रहा है जो
 के दिनांक देकर उपलब्ध है।
 Badansingh
 P.O. परासना

28/8/23 सभी पशु स्वस्थ पाये गये
 हवा-पानी के निरीक्षण दिनांक
 पर परामर्श माह के दिनांक
 माह के दिनांक देकर उपलब्ध है।
 Badansingh
 P.O. परासना

संलग्नक-6(इ)

10/9/23 सभी पशु स्वस्थ पाये गये
 हवा-पानी परामर्श माह
 के दिनांक पर रहा है जो
 के दिनांक देकर उपलब्ध है।
 Badansingh
 P.O. परासना

15/9/23 सभी पशु स्वस्थ पाये गये
 हवा-पानी के निरीक्षण दिनांक
 पर परामर्श माह के दिनांक
 पर रहा है जो माह के दिनांक
 के दिनांक देकर उपलब्ध है।
 Badansingh
 P.O. परासना

संलग्नक-6(च)

**ग्राम पंचायत-गर्रेही, विकासखण्ड-कदौरा, जनपद-जालौन स्थित अस्थायी
गोवंश-आश्रय-स्थल की निरीक्षण आख्या**

दिनांक-19.09.2023 को ओवरसाइट कमेटी, एन0जी0टी0 द्वारा जनपद-जालौन, विकासखण्ड-कदौरा के ग्राम पंचायत-गर्रेही स्थित गोवंश-आश्रय-स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय निम्नलिखित अधिकारीगण/कर्मचारीगण गोवंश-आश्रय-स्थल पर उपस्थित हैं-

1. श्री भीम उपाध्याय, मुख्य विकास अधिकारी, जालौन
2. श्री विशाल यादव, अपर जिलाधिकारी (जल जीवन मिशन)
3. श्री मनु लाल, खण्ड विकास अधिकारी, कदौरा
4. डा0 अटल सिंह, पशु चिकित्साधिकारी, गर्रेही
5. श्री नवीन कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, गर्रेही
6. श्री ताहिर अन्सारी, पशुधन प्रसार अधिकारी, गर्रेही
7. श्रीमती सुनीता, ग्राम प्रधान, गर्रेही
8. श्री श्याम नारायण, गोपालक
9. श्री कैलाश चन्द्र, गोपालक

1. बताया गया कि यह गोवंश-आश्रय-स्थल वर्ष-2019 से ग्राम पंचायत की भूमि पर संचालित है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 0.22 हेक्टेयर है। इस गोवंश-आश्रय-स्थल में 02 पडजायुक्त टिन-शेड (57 मी0 x 6 मी0 व 12 मी0 x 8 मी0) है, जिस पर सूखे गोबर की परत जमीं हुई पायी गई (संलग्नक-1)। जिससे यह स्पष्ट है कि टिन-शेड की साफ-सफाई व्यवस्थित ढंग से नहीं की जा रही है। गोवंशों के खाने के लिए 02 चरनी (55 मी0 x 1 मी0 व 8 मी0 x 1 मी0) है, जिसमें एक चरनी टिन-शेड की पिछली दीवार से सटी हुई तथा दूसरी चरनी टिन-शेड के बीचों-बीच स्थित है (संलग्नक-2)। इसके अतिरिक्त 01 भूसा भण्डारण कक्ष (15 मी0 x 7 मी0) है, जिसमें गोवंशों की संख्या के अनुसार भूसा की कम उपलब्धता पाई गई (संलग्नक-3)। इस गोवंश-आश्रय-स्थल में 01 चरही (5 मी0 x 3 मी0) है, जिसके तल में कोई जमी हुई है, जिससे यह स्पष्ट है कि चरही की सफाई नियमित रूप से नहीं की जाती है (संलग्नक-4)। इस स्थल में 01 पक्का कम्पोस्ट पिट (10 मी0 x 3 मी0) है, जिसकी ऊँचाई आवश्यकता से अधिक है (संलग्नक-5), जिसके कारण उसमें कम्पोस्टिंग के लिए गोबर डालना कठिन कार्य हो जाता है। इस गोवंश-आश्रय-स्थल में कोई बायोगैस संयन्त्र तथा वर्मीकम्पोस्टिंग की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। एक टिन-शेड के बाहर मूत्र व अपशिष्ट जल के निस्तारण के लिए नाली तथा सोकपिट बनायी गयी है, जिस पर ढक्कन नहीं लगा है (संलग्नक-6)। पडजा से नाली को जोड़ने के लिए जो अतिरिक्त नाली का निर्माण किया गया है, उसका स्तर पडजे से ऊपर है, जिस कारण मूत्र एवं अपशिष्ट जल मुख्य नाली में नहीं जा सकता है। मूत्र एवं अपशिष्ट जल के मुख्य नाली तक निकासी की उचित व्यवस्था के लिए पडजे एवं नाली के स्तर में सुधार आवश्यक है। दूसरे टिन-शेड, चरही तथा चरनी के आस-पास किसी भी प्रकार की नाली व सोकपिट की व्यवस्था नहीं है, जिससे दूषित जल व मूत्र की निकासी की जा सके। साथ ही चरनी को टिन-शेड के बीचों-बीच में बनावाया जाना चाहिए, ताकि गोवंशों द्वारा उसके दोनों तरफ से आसानी से आहार खाया जा सके। परिसर के अंदर एक बड़ा कच्चा खुला क्षेत्र है, जिसमें एक किनारे में जलभराव पाया गया (संलग्नक-7)। गोवंश-आश्रय-स्थल में इस प्रकार का जल जमाव क्षेत्र, गोवंशों एवं ग्रामीणों के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। इस परिसर में बीमार, बच्चे, अशक्त या विकलांग गोवंशों को अलग से रखने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।


2. इस गोवंश-आश्रय-स्थल के आस-पास आबादी क्षेत्र है, किन्तु कोई विद्यालय/अस्पताल/अन्य कोई गोवंश-आश्रय-स्थल नहीं है। इस गोवंश-आश्रय-स्थल को चारों ओर से पक्की चहरदीवारी से तथा मुख्य द्वार को गेट से घेरा गया है। पूरे परिसर में कच्चा फर्श है तथा इसकी साफ-सफाई ठीक है। परिसर की स्थिति को समग्रता में देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि निरीक्षण की सूचना पर जल्दीबाजी में सफाई कराई गई है।
3. ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि इस गोवंश-आश्रय-स्थल में 02 गोपालक कार्यरत हैं, जिनको प्रतिमाह रू0 6,000/- वेतन के रूप में दिया जाता है, परन्तु वेतन न मिलने के कारण वे कार्य नहीं कर रहे हैं। गोवंशों को नहलाने की कोई उचित व्यवस्था नहीं पाई गयी। गोवंश-आश्रय-स्थल में सबमर्सिबल पम्प तथा विद्युत व्यवस्था उपलब्ध है तथा आवश्यकता पड़ने पर पानी की टंकी मंगवायी जाती है। चारा काटने की कोई मशीन व ढुलाई के लिए ठेले की कोई व्यवस्था इस गोवंश-आश्रय-स्थल पर नहीं है।
4. ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत गोवंश गणना पंजिका का रख-रखाव माह- अप्रैल, 2023 से किया जा रहा है। इसके अनुसार वर्तमान में कुल 155 गोवंशों की उपस्थिति अभिलेखों में अंकित है, जिनमें 45 नर, 75 मादा, 16 बछड व 19 बछिया है (संलग्नक-8)। पशु चिकित्सा अधिकारी के पास उपलब्ध टैगिंग पंजिका में सभी 155 गोवंशों की टैगिंग का विवरण अंकित है, परन्तु टैगिंग करने की तिथि अंकित नहीं है (संलग्नक-9 क, ख, ग एवं घ)। निरीक्षण के दौरान गणना करने पर 139 गोवंशों में ही टैगिंग पायी गई और शेष 16 गोवंशों में न तो टैगिंग थी और न ही उनके कान में छेद, जिसका संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी/पशुधन प्रसार अधिकारी द्वारा कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका।
5. पशुधन प्रसार अधिकारी द्वारा बताया गया कि समय-समय पर गोवंशों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार दवा भी उपलब्ध कराई जाती है। निरीक्षण के समय गोवंशों के बीमार पड़ने पर समय-समय पर किए गए उपचार से संबंधित पंजिका प्रस्तुत की गयी, जिसके अनुसार माह-अप्रैल, 2023 से माह-सितम्बर, 2023 के मध्य अलग-अलग तिथियों पर 29 बार किये गये उपचार का उल्लेख काली स्याही में अंकित है। इसी पंजिका में दिनांक-05.06.2023 के नीचे एच0एस0 टीका, दिनांक-19.08.2023 के नीचे डी-वार्मिंग व दिनांक-13.09.2023 को लम्पी टीकाकरण की प्रविष्टियाँ नीले रंग की स्याही से अंकित की गई हैं। जिससे यह स्वतः ही स्पष्ट है कि उक्त प्रविष्टियाँ निरीक्षण से तत्काल पूर्व जल्दी-जल्दी में की गई हैं (संलग्नक-10 क एवं ख)। इस गोवंश-आश्रय-स्थल में प्राथमिक उपचार किट नहीं पाई गई।
6. ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि पिछले शीतकाल में 2-3 गोवंशों की मृत्यु हुई है, जिसके सम्बन्ध में ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत गणना पंजिका में कोई उल्लेख नहीं पाया गया तथा पशु चिकित्सा अधिकारी के अभिलेखों में भी किसी गोवंश के मृत होने का अंकन नहीं पाया गया। यह भी अवगत कराया गया कि इस गोवंश-आश्रय-स्थल में कोई भी दूधारू गोवंश नहीं है तथा कोई भी गोवंश जनसहभागिता योजना के अन्तर्गत स्वयंसेवकों को भरण-पोषण के लिए सुपुर्द नहीं किया गया है।
7. ग्राम विकास अधिकारी द्वारा भूसा पंजिका का रख-रखाव माह-अप्रैल, 2023 से किया जा रहा है। इस पंजिका में दिनांक-18.09.2023 को कुल 2462 कि0ग्रा0 भूसे का उपलब्ध होना अंकित है, जिसमें से 620 कि0ग्रा0 (04 कि0ग्रा0 प्रति गोवंश) भूसे का उपयोग किया गया तथा शेष 1842 कि0ग्रा0 भूसे का संरक्षित होना अंकित है। इसी प्रकार, दिनांक-19.09.2023 को 80 कुंतल भूसा क्रय किया जाना अंकित है, जिसके पश्चात इस गोवंश-आश्रय-स्थल में 9842 कि0ग्रा0 भूसा उपलब्ध है (संलग्नक-11)। इस पंजिका में हरे चारे का कॉलम बनाया गया है, परन्तु इसमें कोई खरीद तथा निकासी नहीं दर्शायी गयी है। निरीक्षण के समय भी चरनी में मात्र भूसा (हरा चारा नहीं) रखा हुआ था, जिसे गोवंश खा रहे थे। अवगत कराया गया कि ग्रामवासियों द्वारा भूसा दान में भी दिया जाता है, परन्तु इससे सम्बन्धित विवरण अभिलेखों में अंकित नहीं पाया गया। जनपद स्तर पर आयोजित बैठक दिनांक-06.09.2023 में अधिकारियों के द्वारा जो लिखित विवरण उपलब्ध कराया गया था, उसके अनुसार इस ग्राम पंचायत में

- 0.324 हेक्टेयर भूमि में नैपियर घास व 0.162 हेक्टेयर में चारा बोनो की बात बताई गयी। निरीक्षण के समय इस गोवंश-आश्रय-स्थल में कहीं भी हरा चारा उपलब्ध नहीं पाया गया और ग्रामीणों से पूछताछ में या अभिलेखों से इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि हरा चारा उगाया गया है।
8. निरीक्षण के दौरान गोवंश-आश्रय-स्थल में मौजूद गोवंशों के स्वास्थ्य में स्पष्ट असमानता पाई गयी। कुछ गोवंश तो स्वस्थ दिखे, परन्तु अधिकांश गोवंश का स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है तथा वे देखने से कुपोषित लग रहे हैं (संलग्नक-12 क एवं ख)। यह स्पष्ट है कि इस गोवंश-आश्रय-स्थल पर गोवंशों को समुचित आहार नहीं दिया जा रहा है। सबल गोवंश, चरनी में पड़ा भूसा पहले खा लेते हैं, जिससे दुर्बल गोवंशों को खाने का मौका नहीं मिल पाता तथा वे और भी दुर्बल/कमजोर होते चल जाते हैं। गोपालकों के द्वारा पूरी मात्रा में भूसा, हरा चारा, दाना आदि आहार में देना बताया गया, परन्तु अभिलेख एवं गोवंशों का स्वास्थ्य इसकी गवाही नहीं देते हैं। इतने कम आहार पर गोवंश का जीवन संरक्षण सम्भव नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि गोवंश-आश्रय-स्थल के गोवंशों को चरने के लिए बाहर भेजा जाता है, जो शासनादेश के प्रतिकूल है।
9. निरीक्षण के समय ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा पंजिका व निरीक्षण पंजिका प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे भूसा आदि की खरीद, भुगतान एवं खपत व निरीक्षण किये जाने की पुष्टि की जा सक। इस गोवंश-आश्रय-स्थल का निरीक्षण कभी किसी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण एवं उनके दिशा-निर्देश ग्राम-प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी एवं कार्यरत गोपालकों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं। अतः सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा इस गोवंश-आश्रय-स्थल का निरीक्षण समय-समय पर किया जाना चाहिए तथा निरीक्षण के उपरान्त अपना तथ्यात्मक मंतव्य/सुझाव निरीक्षण पंजिका में अवश्य अंकित किया जाना चाहिए।
10. निरीक्षण के समय परिसर में मात्र 07 ट्री-गार्ड में पौधे लगे पाये गये। यद्यपि इस गोवंश-आश्रय-स्थल के पास पर्याप्त खाली भूमि है, जिसमें घास (दूब) लगाया एवं उचित तरीके से वृक्षारोपण किया जा सकता है, जो गोवंशों को गर्मी व धूप से बचाने में सहायक होगा तथा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी उपयोगी होगा। इस परिसर में तथा अन्य गोवंश-आश्रय-स्थलों में संबंधित अधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण के लिए सघन प्रयास/वृक्षारोपण अभियान किये जाने की आवश्यकता है।
11. निष्कर्ष—इस गोवंश-आश्रय-स्थल का रख-रखाव एवं प्रबंधन संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। इस आश्रय-स्थल के एक किनारे में हो रहे जलभराव को रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए। गोबर, मूत्र एवं प्रदूषित जल को वैज्ञानिक तरीके से एकत्र कर, उसके प्रसंस्करण की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। गोवंश गणना, टैगिंग, चिकित्सा, आहार, निरीक्षण, लेखादि से संबंधित अभिलेखों को स्थापित प्रक्रिया के अनुसार रख-रखाव किया जाना चाहिए तथा इन अभिलेखों को निरीक्षणकर्ता अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे निरीक्षण को सार्थक और प्रभावी बनाया जा सके। निरीक्षण के समय उपस्थित मुख्य विकास अधिकारी ने इस गोवंश-आश्रय-स्थल के रख-रखाव व प्रबंधन में पायी गई त्रुटियों को शीघ्र दूरकर व्यवस्थाओं को दूरस्त करने का आश्वासन दिया।



(अनन्त कुमार सिंह)

सदस्य, ओवरसाइट कमेटी (एन0जी0टी0)
उत्तर प्रदेश



(एस0वी0एस0 राठौर)

अध्यक्ष, ओवरसाइट कमेटी (एन0जी0टी0)
उत्तर प्रदेश



संलग्नक-1



संलग्नक-2

1145



संलग्नक-3



संलग्नक-4



संलग्नक-5



संलग्नक-6



संलग्नक-7

क्र.सं.	सं.सं.	शे.	उप.	शे.	शे.	शे.	शे.	शे.	शे.
25	532795	6	गाम						
26	532738	6	गाम						
27	532498	7	गाम						
28	532563	7	गाम						
29	532157	6							
30	532836	7							
31	532778	2 1/2	कदिम						
32	532933	5	गाम						
33	532534	4	गाम						
34	532482	5	गाम						
35	532572	5							
36	532587	2							
37	532556	3 1/2	गाम						
38	532204	6							
39	5229320	6							
40	522197	5	गाम						
41	532408	4							
42	532603	1 1/2							
43	522574	1							
44	522005	6	गाम						
45	522215	5							
46	522426	4							
47	522120	4							
48	522784	4							

संलग्नक-9 (ख)

क्र.सं.	सं.सं.	शे.	उप.	शे.	शे.	शे.	शे.	शे.	शे.
75	532226	5							
76	532135	5							
77	522224	3 1/2							
78	532470	4							
79	532571	5							
80	532933	2							
81	507705	4	गाम						
82	507692	4	कदिम						
83	507591	2							
84	507795	2 1/2							
85	507776	2 1/2							
86	507614	4	गाम						
87	507625	2	कदिम						
88	507773	4							
89	507603	6							
90	507671	3							
91	507580	4							
92	507842	6							
93	507727	4							
94	507853	4							
95	507933	2							
96	515166	4	कदिम						
97	507831	1 1/2							

संलग्नक-9 (ग)

क्र.सं.	सं.सं.	शे.	उप.	शे.	शे.	शे.	शे.	शे.	शे.
121	978050	5	गाम						
122	978481	6							
123	978482	8	कदिम						
124	978682	5	गाम						
125	978390	5							
126	978300	4	गाम						
127	978116	6							
128	978082	6							
129	978097	3							
130	978875	5							
131	978990	6	कदिम						
132	978988	2							
133	978842	2							
134	978831	3							
135	978944	3	गाम						
136	978933	5							
137	978795	5							
138	978807	4							
139	978922	4							
140	978977	6							
141	978773	4							
142	978746	5							
143	978788	5							
144	978727	5							

संलग्नक-9 (घ)

Sl. No.	Age	Sex	Date	Diagnosis	Treatment
9	1	1	5-5-2023	Wound	Rx ASD
10	2	1	5-6-2023	Wound	Rx 1% Chlorhexidine 3-4
11	3	1	11-6-2023	Wound	Rx ASD
12	4	1	17-6-2023	Wound	Rx Albamycin 100ml
13	5	1	20-6-2023	Wound	Rx ASD
14	1	1	25-6-2023	Wound	Rx ASD
15	2	1	26-6-2023	Wound	Rx ASD
16	3	1	4-7-2023	Fever	Rx Octaxicyesol 4 Avil 4 Moxycycline 150 4 Clindamycin
17	4	1	13-7-2023	Wound	Rx ASD
18	5	1	19-7-2023	Diarrhoea	Rx Entery 150 4 Avil 4 Nor-Lam Pouch

संलग्नक-10(क)

Sl. No.	Age	Sex	Date	Diagnosis	Treatment
19	1	1	25-7-2023	Wound	Rx Amobkhopham 100 4 Balamycin 4 Avil 4 Entery 150
20	2	1	1-8-2023	Wound	Rx ASD
21	3	1	8-8-2023	Fever	Rx Octaxicyesol 4 Avil 4 Moxycycline 150
22	4	1	15-8-2023	Wound	Rx Entery 150 Tab Sulfadiazine 500 Tab Moxizid - 4
170	1	1	26-8-23	Wound	Rx ASD
179	2	1	4-9-23	Fever	Rx Octaxicyesol 4 Avil 4 Moxycycline 150
180	3	1	13-9-2023	Diarrhoea	Rx Nor-Lam Pouch 4 Entery 150 4 Avil

155 -> 159
Fendazole 2.5g
155x2.5g
1550mg

155 -> 159
Fendazole 2.5g
155x2.5g
1550mg

155 -> 159
Fendazole 2.5g
155x2.5g
1550mg

संलग्नक-10(ख)

1151



संलग्नक-12 (ख)

ग्राम पंचायत – उदनपुर, विकास खण्ड–कदौरा, जनपद– जालौन स्थित अस्थायी
गोवंश–आश्रय–स्थल की निरीक्षण आख्या

दिनांक– 24.09.2023 को ओवरसाईट कमेटी, एन0जी0टी0 द्वारा ग्राम पंचायत–उदनपुर, अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे–

- 1– श्री सुभाष चन्द्र त्रिपाठी, जिला विकास अधिकारी, जालौन।
- 2– डा0 अटल सिंह, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जालौन।
- 3– श्री मनुलाल, खण्ड विकास अधिकारी, कदौरा।
- 4– डा0 कैलाश बाबू, पशु चिकित्साधिकारी, कदौरा। बावनी
- 5– श्री नितेश कुमार, पशुधन प्रसार अधिकारी, कदौरा।
- 6– श्री मनोज वर्मा, ग्राम विकास अधिकारी, उदनपुर।
- 7– श्रीमती पुष्पा देवी, ग्राम प्रधान, उदनपुर।
- 8– श्री नीलखण्ड, गोपालक।
- 9– श्री परशुराम, गोपालक।

1. यह गोवंश–आश्रय–स्थल 2018–19 से ग्राम सभा की भूमि पर संचालित है, जिसका क्षेत्रफल 1596 वर्गमी0 बताया गया। इस गोवंश–आश्रय–स्थल में 01 टिन शेड (20मी x 8मी) जिसके अन्दर की दीवार से सटी हुई 01 चरनी (19मी x 1मी) एवं 01 खुली चरनी (13.5मी x 1मी), जिसमें दोनो तरफ से चारा खाया जा सकता है, बनी हुई है। इसके अतिरिक्त 01 भूसा घर (10मी x 04मी), 01 चरही (5.5मी x 1.8मी), 01 कम्पोस्ट पिट व 01 सोक पिट बना हुआ है। टिन शेड, चरही तथा चरनी के आस–पास किसी भी प्रकार की नाली की व्यवस्था नहीं है जिससे दूषित जल व गोमूत्र की निकासी की जा सके। गोवंश–आश्रय–स्थल का दूषित जल नैसर्गिक रूप से बहकर पीछे के जल जमाव क्षेत्र के रास्ते एक नाले में जाता है। गोवंश–आश्रय–स्थल से सटे इस प्रकार का जल जमाव क्षेत्र, गोवंशों एवं ग्रामीणों के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। इस परिसर में बीमार, बच्चे, अशक्त या विकलांग गोवंशों को अलग से रखने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।
2. इस गोवंश–आश्रय–स्थल के आस–पास आबादी क्षेत्र है, किन्तु कोई विद्यालय/अस्पताल या अन्य कोई गोवंश–आश्रय–स्थल नहीं है। आश्रय स्थल के चारों ओर तारों, बांस की खपची व हरे पर्दे से घेराव किया गया है। कम्पोस्ट पिट गोवंशों की संख्या की तुलना में बहुत छोटा तथा गोबर से भरा पाया गया। निरीक्षण के दौरान बताया गया कि गेट से बाहर सड़क की दूसरी ओर लगभग 20 मी0 दूर खुले में गोबर डाला जाता है, जिसे स्वेच्छा से किसान सुविधानुसार उठाकर ले जाते हैं। वास्तव में, इस गोवंश–आश्रय–स्थल में मानक के अनुसार न तो टिन–शेड, नहीं खुली जगह या अन्य सुविधायें हैं, जो यहां रहने वाले गोवंशों को स्वस्थ पर्यावरण दे सकें।

3. ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि इस गोवंश-आश्रय-स्थल में 02 गोपालक (श्री नीलकण्ठ एवं श्री परशुराम) कार्यरत हैं, जिनको प्रतिमाह रू0 6000/- वेतन के रूप में दिया जाता है। गोपालकों द्वारा अवगत कराया गया कि गोवंशों को 3-4 दिन के अन्तराल में स्नान कराया जाता है। गोवंश-आश्रय-स्थल में समर्सिबल पम्प तथा विद्युत की व्यवस्था उपलब्ध है। चारा काटने की कोई मशीन इस गोवंश-आश्रय-स्थल पर नहीं है।
4. इस गोवंश-आश्रय-स्थल की गणना पंजिका (संलग्नक-01) के अनुसार वर्तमान में कुल 68 गोवंश अभिलेखों में अंकित हैं जिनमें 38 मादा तथा 30 नर गोवंश हैं। पशु चिकित्साधिकारी के पास उपलब्ध टैग पंजिका (संलग्नक-02) में दि0- 01.01.2020 एवं 13.01.2020 को कुल 71 गोवंशों की टैगिंग का विवरण अंकित है। इसके बाद टैगिंग किए जाने का कोई विवरण अंकित नहीं है। ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि एवं उपस्थित लोगों के द्वारा बताया गया कि गोवंश चरने के लिए, जब बाहर जाते हैं और लौट कर आते हैं, तो उनकी संख्या कुछ घट-बढ़ जाती है। यदि यह सच है तो आने वाले नये गोवंशों की टैगिंग होनी चाहिए थी। साथ ही, जो गोवंश नहीं लौटे उसका विवरण गणना पंजिका में अंकित किया जाना चाहिए था परन्तु, दिनांक 13.01.2020 के बाद किसी भी गोवंश की टैगिंग न होना तथा गणना पंजिका में प्रतिदिन 68 गोवंश ही दर्शाया जाना यह दर्शाता है कि अभिलेखों का रख-रखाव ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान गणना करने पर गोवंश-आश्रय-स्थल में कुल 58 गोवंश ही पाये गये, जिनमें केवल 47 गोवंशों की टैगिंग पाई गई, 04 गोवंश के कान में छेद तो थे, परन्तु टैग नहीं थे एवं 07 गोवंश ऐसे पाये गये जिनके कान में न तो टैग थे और न ही छेद। यह भी बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष में किसी भी गोवंश की मृत्यु नहीं हुई है।
5. निरीक्षण के समय ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी द्वारा अवगत कराया गया कि 04 गोवंशों को जनसहभागिता योजना के अन्तर्गत स्वयं सेवकों को भरण-पोषण के लिए सुपुर्द किया गया, परन्तु इस संबंध में कोई भी उल्लेख पशु गणना की पंजिका में या अन्यत्र अंकित नहीं है। मुख्य पशुचिकित्साधिकारी ने अवगत कराया कि शासनादेशानुसार सहभागिता योजना के अन्तर्गत प्राप्तकर्ता स्वयंसेवकों का विस्तृत विवरण (आधार संख्या, बैंक खाता संख्या आदि) पंजिका में अंकित किया जाता है, जिसके माध्यम से उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
6. श्री कैलाश बाबू प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, कदौरा द्वारा अवगत कराया गया कि उन्होंने दिनांक 14.07.2023 को कार्यभार सम्भाला है। उनको पूर्व चिकित्सा अधिकारी के द्वारा इस आश्रय स्थल से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, जिसके कारण उनके द्वारा अपने कार्यकाल की नई पंजिका बनायी गयी है, जिसमें उनके कार्यकाल के दौरान की गई चिकित्सा का विवरण अंकित है। दिनांक-19.07.2023 से दिनांक-11.09.2023 के मध्य अलग-अलग तिथियों पर 7 गोवंशों के उपचार का उल्लेख चिकित्सा पंजिका में पशु चिकित्साधिकारी के निर्देशानुसार पशुधन प्रसार अधिकारी (श्री नितेश) द्वारा किया जाना अंकित है। चिकित्साधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उनके कार्यभार ग्रहण

करने से पूर्व सभी गोवंशों को एच0एस0 का टीका लगाया जा चुका था व उनके कार्यकाल में दिनांक 14.09.2023 को सभी गोवंशों का एल0एस0डी0 टीकाकरण हुआ है, परन्तु इसका अंकन पंजिका में नहीं पाया गया। गोवंश-आश्रय-स्थल में प्राथमिक उपचार किट नहीं पाई गई।

7. निरीक्षण के दौरान गोवंश-आश्रय-स्थल में मौजूद गोवंशों के स्वास्थ्य में स्पष्ट असमानता पाई गयी। कुछ गोवंश पूर्ण रूप से स्वस्थ थे, तो कुछ बिल्कुल ही हाड़-मांस के पुतले (संलग्नक-03)। पूर्ण रूप से स्वस्थ, 03 गोवंशों की टैग संख्या- 113084, 116131 एवं 060497 का मिलान टैगिंग पंजिका में अंकित संख्याओं से करने पर पाया गया कि इनमें से कोई भी टैग संख्या टैगिंग पंजिका में अंकित नहीं है, जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त टैग संख्या के गोवंशों को निरीक्षण से ठीक पूर्व किसी किसान के घर से लाया गया है। इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि इस गोवंश-आश्रय-स्थल पर गोवंशों को समुचित आहार नहीं मिल रहा है। गोपालकों के द्वारा पूरी मात्रा में भूसा, हरा चारा, दाना आदि आहार में देना बताया गया, परन्तु गोवंशों का स्वास्थ्य इसकी गवाही नहीं देता है।
8. ग्राम प्रधान के द्वारा अवगत कराया गया कि रू0 800/- प्रति क्विंटल के हिसाब से भूसा स्थानीय किसानों से खरीदा जाता है। पूरे वर्ष एक ही दर पर भूसा खरीदे जाने की बात कही गयी जबकि फसल की कटाई के समय बाजार में भूसा काफी सस्ता हो जाता है। अवगत कराया गया कि जब फसलों की कटाई होती है तो किसानों से सहयोग के रूप में चारा, बरसीम आदि, प्राप्त कर लिया जाता है, परन्तु इससे सम्बन्धित विवरण अभिलेखों में उनके द्वारा नहीं अंकित किया जाता है। इसी प्रकार, ग्रामीणों से आटा, चोकर आदि सहयोग में प्राप्त करने की बात तो कही गयी, परन्तु अभिलेखों में कोई भी विवरण अंकित नहीं पाया गया। उल्लेखनीय है कि गोवंश भूसा/हरा चारा/दाना स्टॉक पंजिका में जन-सहभागिता से प्राप्त भूसा/हरा चारा/दाना का विवरण अंकित करने के लिए अलग से कालम बनाया गया है। निरीक्षण के समय चरनी में मात्र भूसा (हरा चारा नहीं) रखा हुआ था, जिसे गोवंश खा रहे थे। उल्लेखनीय है कि जनपद स्तर पर आयोजित बैठक में अधिकारियों के द्वारा जो लिखित विवरण उपलब्ध कराया गया था, उसके अनुसार इस ग्राम पंचायत में 0.162 हेक्टेयर भूमि में नेपियर घास व 0.162 हेक्टेयर हरा चारा बोनो की बात बताई गयी। मौके पर लोगों से पूछताछ में या अभिलेखों से इस बात की पुष्टि नहीं हुई।
9. स्टॉक पंजिका में प्रत्येक दिन प्रति गोवंश 4 किग्रा0 की दर से भूसा की खपत दर्शायी गयी है, जबकि इतने भूसे से गोवंश का पोषण सम्भव नहीं है। शायद यही कारण है कि इस गोवंश-आश्रय-स्थल के गोवंशों का सामान्य स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। ग्रामीणों से बात करने पर पता चला कि फसल की कटाई के समय भूसा सस्ता होता है। इसी प्रकार, सीजनल हरा चारा भी रू0 2.50 से रू0 3.00 प्रति किग्रा0 की दर से उपलब्ध हो जाता है। यदि सही नियोजन के साथ सरकार की इस कल्याणकारी योजना का क्रियान्वयन किया जाय और वरिष्ठ अधिकारियों का समय से सार्थक पर्यवेक्षण होता रहे तो प्रति गोवंश रू0 50.00 की

दर से जो धनराशि दी जाती है, उसमें गोवंश का भरण-पोषण व्यवस्थित ढंग से हो सकता है।

10. खाता-बही (रूपपत्र-38) में दिनांक 13.04.2023 से दिनांक 04.08.2023 के मध्य 15 बार 17 कुण्टल से 24 कुण्टल भूसा का क्रय करना दर्शाया गया है (संलग्नक-04)। इसमें दिनांक-04.08.2023 को 4 व्यक्तियों से भूसा क्रय करने के सापेक्ष भुगतान किया जाना अंकित है जिसे कैश-बुक के पृष्ठ सं0-11 पर क्रसं0-12 से 15 तक अंकित किये जाने का उल्लेख है। कैश-बुक (रूपपत्र सं0-6) में दिनांक 04.08.2023 को वाउचर सं0-12 एवं 13 द्वारा श्री कमलेश पुत्र श्री हरीराम को चेक सं0-482279 के द्वारा रू0 18,400/- एवं चेक सं0-482286 के द्वारा इतनी ही धनराशि का भुगतान किया जाना अंकित किया गया है। इसी प्रकार, दिनांक- 04.08.2023 को ही श्री सुरेश कुमार के नाम से दो चेक संख्या-482286 एवं 482285 के द्वारा क्रमशः रू0 13,600/- एवं रू0 18,400/- की धनराशि का भुगतान वाउचर सं0-14 व 15 के सापेक्ष किया जाना दर्शाया गया है। (संलग्नक-05) यह स्पष्ट नहीं किया जा सका कि जब एक ही तिथि पर एक ही व्यक्ति को भुगतान किया जाना था तो उसके लिए दो अलग-अलग चेक काटने की आवश्यकता क्यों थी। मांगने पर भी चेक-बुक प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह सन्देह उत्पन्न होता है कि भुगतान की धनराशि जानबूझकर रू0 20,000/- से कम रखी गयी है ताकि एकाउण्ट पेयी चेक से भुगतान की बाध्यता न रहे और 'बीयरर चेक' से भुगतान दिखाकर शासकीय धन का मनमाना दुरुपयोग किया जा सके। चौंकाने वाली बात तो यह है कि दिनांक-04.08.2023 को वाउचर सं0-13 के सापेक्ष रू0 18,400/- का भुगतान चेक सं0-482286 के द्वारा श्री कमलेश को किया गया और उसी तिथि को उसी चेक संख्या के द्वारा वाउचर सं0-14 के सापेक्ष रू0 13,600/- का भुगतान श्री सुरेश कुमार को भी किया जाना अंकित किया गया है। एक ही चेक से दो अलग अलग व्यक्तियों को भुगतान सम्भव ही नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि निरीक्षण की सूचना प्राप्त होने पर जल्दी-जल्दी में वित्तीय अभिलेखों को तैयार किया गया है, जो वित्तीय अनुशासन के प्रतिकूल है।
11. ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि गोवंश-आश्रय-स्थल में अतिरिक्त टिन-शेड आदि के निर्माण से सम्बन्धित आगणन स्वीकृत है, परन्तु मांगे जाने पर उससे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख उनके द्वारा उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की गयी। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि पुराने टी0ए0 द्वारा आगणन बनाया गया था, परन्तु वह ट्रान्सफर होकर चले गये हैं। वर्तमान में कार्यरत टी0ए0 को आगणन प्रस्तुत करने को कहा गया है। खण्ड विकास अधिकारी के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया जा सका कि उन्होंने पुराने टी0ए0 को कार्यमुक्त करने से पूर्व आगणन क्यों नहीं प्राप्त किया अथवा नया आगणन बनवाने के बदले उन्होंने पुराना आगणन प्राप्त करने की कार्यवाही क्यों नहीं की।
12. इस गोवंश-आश्रय-स्थल से संबंधित निरीक्षण पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे यह प्रतीत होता है कि इस गोवंश-आश्रय-स्थल का निरीक्षण कभी किसी वरिष्ठ अधिकारी के

द्वारा नहीं किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण एवं उनके दिशा निर्देश ग्राम-प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी एवं गोपालकों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं। अतः गोवंश-आश्रय-स्थल पर निरीक्षण पुस्तिका रखी जानी चाहिए एवं निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाना चाहिए कि वे अपने निरीक्षण के उपरान्त तथ्यात्मक मंतव्य/सुझाव निरीक्षण पुस्तिका में अवश्य अंकित करें। निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा यह भी देखा जाना चाहिए कि पूर्व में अन्य निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा जो सुझाव दिये गए हैं, उनका पालन हो रहा है या नहीं।

13. **निष्कर्ष**— इस गोवंश-आश्रय-स्थल का रख-रखाव एवं प्रबन्धन संतोषजनक ढंग से नहीं किया जा रहा है, जिसका पर्यावरण पर प्रदूषणकारी प्रभाव पड़ रहा है। गोवंश-आश्रय-स्थल का प्रदूषित जल एवं मूत्रादि का पास के नाले में प्रवाह तत्काल रोका जाना चाहिए। गोबर, मूत्र एवं प्रदूषित जल को वैज्ञानिक तरीके से एकत्र कर, उसके प्रसंस्करण की व्यवस्था की जानी चाहिए। गोवंश संख्या, टैगिंग, चिकित्सा, आहार, निरीक्षण, लेखादि से संबंधित अभिलेखों को स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अद्यावधिक रखा जाना चाहिए तथा इन्हें गोवंश-आश्रय-स्थल पर ही रखा जाना चाहिए, ताकि निरीक्षण के समय ये निरीक्षणकर्ता अधिकारी को उपलब्ध हो सकें। वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण को सार्थक एवं प्रभावी बनाये जाने की आवश्यकता है। निरीक्षण के समय उपस्थित मुख्य विकास अधिकारी ने इस गोवंश-आश्रय-स्थल के प्रबंधन को उपर्युक्तानुसार शीघ्र दुरुस्त कराने का आश्वासन दिया।



(अनन्त कुमार सिंह)

सदस्य, ओवरसाइट कमेटी, (एन0जी0टी0)

उत्तर प्रदेश

1157

संलग्नक-01

संलग्नक-02

गौवंश गणना पत्रिका

कृषि विभाग, जयपुर, दिनांक 23-09-23

क्र. सं.	दिनांक	मास	साई	वयस	वर्ण	यौग
	1-09-23	29	17	13	9	60
	2-09-23	29	17	13	9	60
	3-09-23	29	17	13	9	60
	4-09-23	29	17	13	9	60
	5-09-23	29	17	13	9	60
	6-09-23	29	17	13	9	60
	7-09-23	29	17	13	9	60
	8-09-23	29	17	13	9	60
	9-09-23	29	17	13	9	60
	10-09-23	29	17	13	9	60
	11-09-23	29	17	13	9	60
	12-09-23	29	17	13	9	60
	13-09-23	29	17	13	9	60
	14-09-23	29	17	13	9	60
	15-09-23	29	17	13	9	60
	16-09-23	29	17	13	9	60
	17-09-23	29	17	13	9	60
	18-09-23	29	17	13	9	60
	19-09-23	29	17	13	9	60
	20-09-23	29	17	13	9	60
	21-09-23	29	17	13	9	60
	22-09-23	29	17	13	9	60
	23-09-23	29	17	13	9	60

Date: _____
Page: 9

क्र. सं.	दिनांक	संख्या	M/F	वयस
	13-1-20			
65		102939 116222	M	4
66		102939 116211	F	4
67		102939 116062	M	3
68		102939 115684	M	2
69		102939 115662	M	3
70		102939 115635	F	2
71		102939 115797	F	4

संलग्नक-03(क)

संलग्नक-03(ख)



ग्राम पंचायत -कुसमरा बावनी, विकास खण्ड-कदौरा, जनपद- जालौन स्थित अस्थायी
गोवंश-आश्रय-स्थल की निरीक्षण आख्या

दिनांक-24.09.2023 को ओवरसाईट कमेटी, एन0जी0टी0 द्वारा ग्राम पंचायत कुसमरा बावनी, स्थित अस्थायी गोवंश-आश्रय-स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे-

- 1- श्री सुभाष चन्द्र त्रिपाठी, जिला विकास अधिकारी, जालौन।
- 2- डा0 अटल सिंह, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जालौन।
- 3- श्री मनुलाल, खण्ड विकास अधिकारी, कदौरा।
- 4- डा0 कैलाश बाबू, पशु चिकित्साधिकारी, कदौरा।
- 5- श्री मनोज वर्मा, ग्राम विकास अधिकारी, कुसमरा बावनी।
- 6- श्रीमती संतोषी, ग्राम प्रधान, कुसमरा बावनी के प्रतिनिधि।
- 7- श्री चन्द्रभान व 04 अन्य गोपालक।

1. यह गोवंश-आश्रय-स्थल ग्रामसभा की लगभग 5 एकड़ भूमि पर वर्ष 2018 से संचालित बताया गया। इस गोवंश-आश्रय-स्थल में 02 टिन शेड हैं। एक टिन शेड (30मी0 x 6.7मी0) में खड़जा लगा हुआ है, जिसके एक छोर पर चरनी (29मी0 x 1.3मी0) बनी हुई है एवं दूसरे छोर पर मूत्र एवं दूषित जल के निस्तारण के लिए नाली है। यह नाली पक्की सोक पिट में जाती है। सोक पिट में कोई भी प्रदूषित जल नहीं पाया गया, इसका मुख्य कारण शेड की फर्श का स्तर नाली की दीवार से नीचा होना प्रतीत होता है। टिन शेड एवं नाली के ठीक बाहर गोबर, मूत्र एवं प्रदूषित जल का कीचड़ पाया गया। पक्की सोक पिट का आकार बहुत छोटा है। इसमें मूत्र के संचयन से प्रदूषण बढ़ेगा। इसके बगल में काफी बड़े गड्ढे हैं, जिसका उपयोग गोबर, मूत्र एवं प्रदूषित जल से कम्पोस्ट बनाने के लिए किया जा सकता है। वर्तमान में खुले में ही गोबर एकत्र किया जा रहा है, जो पर्यावरण की दृष्टि से उचित नहीं है (संलग्नक-01)। दूसरे टिन शेड (24.7मी0 x 6मी0) में न तो खड़जा है और न ही कोई चरनी। कच्ची फर्श का लेविल भी ऊपर-नीचे है, जिसके कारण मल-मूत्र का जमाव होता है। इस शेड के बाहर गोबर, गो-मूत्र एवं प्रदूषित जल का कीचड़ था। गोवंश के खाने के लिए एक चरनी (15मी0 x 1.5मी0) खुले में बनायी गयी है। इसके अतिरिक्त पानी पीने के लिए एक चरही (5मी0 x 3.6मी0) बनायी गयी है।

2. गोवंश-स्थल के चारों तरफ जालीदार फेंसिंग की गयी है। जालीदार फेंसिंग के अन्दर 5-6 फीट चौड़ा एवं लगभग 3-4 फीट गहरा गड्ढा खुदवाया गया है ताकि गोवंश बाहर न जा सकें। इस गड्ढे में बरसात का पानी जमा है, जिस पर हरे रंग की कार्ड की मोटी परत जमी हुई थी (संलग्नक-02)। जालीदार फेंसिंग की ऊंचाई लगभग 6 फीट है तथा देखने से मजबूत लगता है, ऐसी स्थिति में गड्ढों की अब कोई उपयोगिता गोवंश की सुरक्षा की दृष्टि से नहीं प्रतीत होती है। बल्कि इनका पर्यावरण पर प्रदूषणकारी प्रभाव

देखा जा सकता है। अतः इन्हें भरकर इनका अन्यथा उपयोग किया जाना चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल हो। इस गोवंश-आश्रय-स्थल के बीच में काफी बड़ा गहरा क्षेत्र है, जिसमें वर्षा का जल जमा होता है। इसका उपयोग थोड़ा गहरा कर उसे तालाब का स्वरूप दे देने से इसका उपयोग जल-संरक्षण एवं गोवंश के पेयजल एवं स्नान आदि के लिए किया जा सकता है। परिसर में जगह-जगह वृक्षारोपण पाया गया, फिर भी और अधिक उपयुक्त तरह के पौधे लगाने तथा खाली जमीन को खड़ण्जे या पेड़-पौधे एवं घास से आच्छादित करना कई तरह से उपयोगी होगा।

3. गोवंश-आश्रय-स्थल में चारा मशीन तथा विद्युत की व्यवस्था उपलब्ध है। पीने का पानी सामुदायिक केन्द्र में लगे समर्सिबल पम्प से पाइप के द्वारा लाया जाता है। परिसर में भूसा के भण्डारण के लिए शेड है। इसमें रखे भूसा की गुणवत्ता ठीक पायी गयी। इसके बगल में ही एक खण्ड में 03 नवजात गोवंशों को रखा गया है। उनकी उम्र 03 तीन से कम बतायी गयी। इसके बगल वाले खण्ड में लगभग 01 सप्ताह के नवजात को रखा गया था। बीमार, अशक्त एवं विकलांग गोवंशों के लिए अलग से शेड तो नहीं बनायी गयी है, परन्तु जब कभी कोई गोवंश बीमार पड़ जाता है तो उसे भूसे के बगल वाले 02 खण्डों में ही अलग से समायोजित किया जाना बताया गया।
4. इस गोवंश-आश्रय-स्थल में 05 गोपालक (श्री चन्द्रभान, श्री वरदानी, श्री सुमित, श्री बाबू व श्री तोलाराम) कार्यरत हैं, जिनको प्रतिमाह रू0 6000/- वेतन के रूप में दिया जाता है। अवगत कराया गया कि गोवंश को प्रत्येक 03-04 दिन के अन्तराल में स्नान कराया जाता है। इस गोवंश-आश्रय-स्थल से सटा आबादी क्षेत्र है व निकट में एक विद्यालय भी है। आश्रय स्थल के आस-पास कोई अस्पताल या अन्य कोई गोवंश-आश्रय-स्थल नहीं है। निरीक्षण में पाया गया कि चरनी के आसपास गोबर व दूषित जल की सफाई नहीं हुई है तथा इसके निस्तारण की भी समुचित व्यवस्था नहीं है (संलग्नक 03)।
5. गणना पंजिका के अनुसार वर्तमान में इस गोवंश स्थल में कुल 153 गोवंश का होना दर्ज है। निरीक्षण के दौरान आश्रय स्थल में 149 गोवंश पाए गये, जिनमें 138 टैग किए हुए थे व 11 गोवंश बिना टैग के थे। निरीक्षण के दौरान टैगिंग पंजिका प्रस्तुत की गयी, जिसमें 162 गोवंशों की टैगिंग अंकित है, लेकिन टैगिंग का दिनांक अंकित नहीं है। इस पंजिका के अनुसार, दिनांक 01.04.2023 से 02 गोवंश की मृत्यु हुई व 02 गोवंशों को सुपुर्द करना दर्शाया गया है, जबकि गणना पंजिका में 07 गोवंशों को सुपुर्द करने का विवरण अंकित है। ऐसा प्रतीत होता है कि अभिलेखों का रख-रखाव ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है।
6. निरीक्षण के दौरान गोवंश-आश्रय-स्थल में मौजूद गोवंशों के स्वास्थ्य में काफी अन्तर पाया गया। कुछ गोवंश पूर्ण रूप से स्वस्थ थे, तो कुछ बिल्कुल ही कमजोर (संलग्नक 04)। पूर्ण रूप से स्वस्थ, 05 गोवंशों की टैग संख्या- 120170, 847788, 058034, 516790 एवं 851772 का मिलान टैगिंग पंजिका में अंकित संख्याओं से करने पर पाया गया कि इनमें से केवल 03 टैग संख्या ही टैगिंग पंजिका में अंकित पाये गये। ऐसा

प्रतीत होता है कि बाकी 02 गोवंशों को निरीक्षण से ठीक पूर्व किसी किसान के घर से लाया गया है। इस प्रकार के अन्य गोवंशों के भी यहां होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। चूंकि टैगिंग पंजिका में विधिवत प्रविष्टियां नहीं की गयी हैं, अतः पूरे गोवंश के टैग को मिलाने की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

7. गोवंश-आश्रय-स्थल में गोवंशों के तात्कालिक इलाज के लिए प्राथमिक उपचार किट तो उपलब्ध है, लेकिन इसमें केवल 50 एम0एल0 फिनायल, 01 एन्टीसेप्टिक ट्यूब व कुछ पट्टियाँ ही हैं। गोवंशों की संख्या को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक उपचार किट में उपचार सामग्री को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है ताकि असमय बीमार पड़ने वाले गोवंश को तत्काल उपचार दिया जा सके।
8. श्री कैलाश बाबू पशु चिकित्साधिकारी, कदौरा द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक- 15.09.2023 को एल0एस0डी0 व माह-जून, 2023 में एच0एस0 का सभी गोवंशों में टीकाकरण हो चुका है। इन टीकाकरण से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि माह-अक्टूबर, 2023 में गोवंशों की डी-वार्मिंग कराई जाएगी।
9. ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि के द्वारा अवगत कराया गया कि चारे के लिए 02 बीघा जमीन किसानों से किराये पर ली गई है। जमीन किराये पर लेने तथा उस पर चरी उगाने से सम्बन्धित खर्चों का कोई विवरण अभिलेखों में अंकित नहीं पाया गया। इसी प्रकार, ग्रामीणों से आटा व चोकर जैसे सहयोग प्राप्त किया जाना तो बताया गया परन्तु उनका भी अभिलेखों में कोई विवरण अंकित नहीं है। प्रधान के प्रतिनिधि के द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि गोबर की खाद को ग्राम प्रधान द्वारा अपने खेत में उपयोग किया जाता है, जिसके बदले में उनके द्वारा गोवंश को हरा चारा, दाना आदि दिया जाता है, परन्तु इसका कोई भी विवरण अभिलेखों में अंकित नहीं किया गया है। यह स्थिति ठीक नहीं है। अभिलेखों के रख-रखाव शासन के निर्देशानुसार ही होना चाहिए। इसमें अनौपचारिक लेन देन उचित नहीं है। यद्यपि जनपद स्तर पर आयोजित बैठक में अधिकारियों के द्वारा जो लिखित विवरण उपलब्ध कराया गया था, उसके अनुसार इस ग्राम पंचायत में 0.162 हेक्टेयर भूमि में नेपियर घास व 0.324 हेक्टेयर हरा चारा बोनो की बात बताई गयी, परन्तु मौके पर इस बात की पुष्टि नहीं हुई।
10. गोवंश भूसा/हरा चारा/दाना पंजिका में भूसा का आमद एवं खपत तो दर्शाया गया है, परन्तु यह किससे खरीदा तथा किसको भुगतान किया गया इससे सम्बन्धित अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जा सका। दिनांक 01.04.2023 से 10.08.2023 तक 19 बार विभिन्न चेक के द्वारा भुगतान किया जाना खाता-बही में अंकित किया गया है, परन्तु किसको भुगतान किया गया यह उल्लिखित नहीं है और सारे भुगतान रू0 20,000/- से कम धनराशि के हैं (संलग्नक 05)। ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी से पूछताछ करने पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी कि किससे भूसा खरीदा गया, किसे भुगतान

किया गया और बैंक खाते के माध्यम से भुगतान क्यो नहीं किया गया। यह यह स्थिति खरीद-प्रक्रिया को संदिग्ध बनाता है।

11. निरीक्षण पंजिका में दिनांक- 27.08.2023 को खण्ड विकास अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाना अंकित है, जिसमें उनके द्वारा पांच दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा वित्तीय अभिलेखों एवं स्टॉक पंजिका का अवलोकन ही नहीं किया गया है। खण्ड विकास अधिकारी को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दिनांक 16.09.2023, 18.09.2023, 22.09.2023 एवं 23.09.2023 को पशुधन प्रसार अधिकारी द्वारा अपनी टिप्पणी अंकित की गयी है जबकि चिकित्सा पंजिका के अनुसार उनके द्वारा दिनांक 26.07.2023 से 24.09.2023 के बीच 09 बार इस गोवंश-आश्रय-स्थल का निरीक्षण किया गया है। उनके द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया जा सका कि वह कब अपनी कारगुजारी चिकित्सा-पंजिका में अंकित करते हैं, और कब निरीक्षण-पुस्तिका में। दिनांक-16.09.2023,18.09.2023एवं 22.09.2023 को उन्होंने चिकित्सा पंजिका एवं निरीक्षण पंजिका दोनों में ही अपनी टिप्पणी अंकित की है।
12. निष्कर्ष-कमेटी द्वारा यह पाया गया कि इस गोवंश-आश्रय-स्थल का रख-रखाव एवं प्रबन्धन पूर्ण रूपेण संतोषजनक ढंग से तो नहीं किया जा रहा है, जिसका पर्यावरण पर प्रदूषणकारी प्रभाव पड़ रहा है, फिर भी, अन्य गोवंश-आश्रय-स्थलों की तुलना में इसे थोड़ा बेहतर कहा जा सकता है। गोवंश-आश्रय-स्थल के प्रदूषित जल एवं मूत्रादि का चरनी एवं टिन-शेड के आस-पास का एकत्रीकरण तत्काल रोका जाना चाहिए। गोबर, मूत्र एवं प्रदूषित जल को वैज्ञानिक तरीके से एकत्र कर उसके प्रसंस्करण की व्यवस्था की जानी चाहिए। गोवंश-आश्रय-स्थल से संबंधित समस्त आंकड़ों व लेन-देन का अभिलेखों में अंकण होने तथा इन अभिलेखों का रख-रखाव सुनियोजित ढंग से नियमानुसार किये जाने की आवश्यकता है। निरीक्षण में उपस्थित मुख्य विकास अधिकारी ने इस गोवंश-आश्रय-स्थल के प्रबंधन में पाई गई उपर्युक्त त्रुटियों को शीघ्र दुरुस्त करने का आश्वासन दिया।

(अनन्त कुमार सिंह)

सदस्य, ओवरसाइट कमेटी, (एन0जी0टी0)
उत्तर प्रदेश

संलग्नक-1




संलग्नक-2



संलग्नक-3



संलग्नक-4



संलग्नक-5 (गोवंश भूसा पंजिका)

LEDGER खाता

Name & Address
नाम व स्थान गोवंश भूसा पंजिका

माह तथा तिथि Month & Date	विवरण Particulars	पन्ना Folio	नाम Debit		जमा Credit		शेष Balance
			Rs.	P.	Rs.	P.	
1.4.23	गोवंश भूसा पंजिका				110738		110738
13.4.23	श्रीकलेष्वा 482584		19200				91538
15.4.23	स्वादिगेष्वा 482585				173700		265238
17.4.23	श्रीकलेष्वा 482586		19200				246038
18.4.23	श्रीकलेष्वा 482587		19200				226838
18.4.23	श्रीकलेष्वा 482585		19200				207638
18.4.23	श्रीकलेष्वा 482586		19200				188438
20.4.23	श्रीकलेष्वा 482585		19200				169238
20.4.23	श्रीकलेष्वा 482586		19200				150038
20.4.23	श्रीकलेष्वा 482587		19200				130838
20.4.23	श्रीकलेष्वा 482588		19200				111638
20.4.23	श्रीकलेष्वा 482589		19200				92438
20.4.23	श्रीकलेष्वा 482590		19200				73238
25.4.23	श्रीकलेष्वा 482591		13600				59638
25.4.23	श्रीकलेष्वा 482590		19200				40438
25.4.23	श्रीकलेष्वा 482591		19200				21238
25.4.23	श्रीकलेष्वा 482590		19200				2028
25.4.23	स्वादिगेष्वा 482591				141300		143338
15.6.23	श्रीकलेष्वा 482590		19200				124138
15.6.23	श्रीकलेष्वा 482591		19200				104938

LEDGER खाता

Name & Address
नाम व स्थान

माह तथा तिथि Month & Date	विवरण Particulars	पन्ना Folio	नाम Debit		जमा Credit		शेष Balance
			Rs.	P.	Rs.	P.	
10.8.23	श्रीकलेष्वा 482618		10400				262975
10.8.23	श्रीकलेष्वा 482621		10400				244575